खण्ड-256, अंक-8
बुधवार, 17 चैत्र, शक संवत् 1887
(7 अप्रैल, 1965 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 256 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	७६९–७७३
प्रश्नोत्तर	७७३–८०७
विधायक, श्री नियामतुल्ला अंसारी के निधन के सम्बन्ध में "स्वतंत्र भारत" में निराधार समाचार प्रकाशित होने पर आपत्ति (जारी) ..	८०७
नियम समिति (१९६४–६५) का प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	८०७–८०८
गोरखपुर जिले में राप्ती नदी के दायें किनारे पर बने बांध के अनेक स्थानों पर टूट जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना––	८०८
प्रदेश के कुछ जिलों में उपल-वृष्टि के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं ..	८०८–८०९
विधायक, श्री नियामतुल्ला अंसारी के निधन के संबंध में "स्वतंत्र भारत" में निराधार समाचार प्रकाशित होने पर आपत्ति	८०९–८१०
कतिपय विषय	८१
उत्तर प्रदेश भूमि-विधि संशोधन विधेयक, १९६५ (पारित) ..	८१०–८६०
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६५ (विचारोपरान्त पारित)	८६०–८८१
नत्थियां	८८२–८९३

———

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ७ अप्रैल, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य ३६९—

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
काशीनाथ बहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द काछी, श्री

गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री

पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री

राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजोलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वर, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुम सिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुर सिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफतहु सैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवब्बन लाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री

श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह ,श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा शिक्षा उप मंत्री, डाक्टर रामनारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ७ अप्रैल, १९६५

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

नौगढ़ क्षेत्र समिति द्वारा पशु वधशालाएं बन्द करने का प्रस्ताव

*१—श्री जगदीशप्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बस्ती में विकास खण्ड नौगढ़ और खेसरहा में कितनी वधशालाएं बड़े पशुओं (भैंसा आदि) के लिये चल रही हैं? वे कहां स्थित हैं, क्या इनके पास क्षेत्र समिति, जो लाइसेंस चाहिये वे हैं? क्या इन पशुशालाओं के बारे में बड़ा आन्दोलन चल रहा है और तनाव का वातावरण है?

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

जिला बस्ती में क्षेत्र समिति खेसरहा में कोई वधशाला नहीं है। उक्त जिले की नौगढ़ क्षेत्र समिति में बड़े पशुओं के लिये तीन वधशालाएं चल रही हैं जो क्रमशः ग्राम वेलसड़, मधुबेनिया तथा खजुरिया में स्थित हैं। जनमत द्वारा इन वधशालाओं को बंद करने की मांग है परन्तु कोई तनाव का वातावरण नहीं है।

*२—श्री जगदीश प्रसाद पांडेय—

क्या सरकार बिना लाइसेंस और जनहित के प्रतिकूल चलने वाली उपरोक्त वधशालाओं को बन्द कराने का आदेश तुरन्त देगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

क्षेत्र समिति द्वारा पारित वधशालाओं को बंद कराने के प्रस्ताव को कार्यान्वित कराने में कुछ वैधानिक कठिनाई है जिसके लिये जिला परिषद् आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि जनमत में बारबार इन वधशालाओं के बन्द करने की बात हो रही है तो यह बात कैसे हो सकती है कि तनाव का वातावरण न पैदा हो ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, दरअसल इन वधशालाओं को बन्द करने की बात जिला परिषद् ऐक्ट में है कि जिला परिषद् वधशालाओं के लिये रेस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित करेंगी। परन्तु जिला परिषद् ने अभी ऐसा नहीं किया है। इसके अलावा क्षेत्र समिति को अधिकार है कि वह कहीं भी वधशालाओं के बन्द करवाने या खुलवाने का प्रस्ताव पास करवाती है और उस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने का अधिकार नियम बना कर जिला परिषद् को ही है। क्षेत्र समिति ने प्रस्ताव पारित कर दिया है और जिला परिषद् को लिखा गया है कि वह इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही करे। आगे की कार्यवाही जिला परिषद् ही करेगी।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

यह देखते हुए कि वहां पर तनाव का वातावरण है और जिसे आप की तरफ के श्री शिब्बनलाल जी देख भी चुके हैं, वहां भैंसों के नाम पर गाय और बछड़े काट दिये जाते हैं, श्रीमन्, वहां तनाव की स्थिति कायम है और उपद्रव की स्थिति पैदा होगी। जब तक जिला परिषद् का कानून न बन जाय, क्या सरकार ऐसी स्थिति में बीच में पड़ कर इस वधशाला को तुरन्त बन्द करायेगी ?

विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

तीन वधशालाएं चल रही थीं। दो में तो मुकदमे जीत गये हैं परन्तु एक मुकदमा अदालत के सामने है। जब तक रिवीजन तय न हो जाय उस को बन्द करना मुश्किल मालूम हो रहा है। इस सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट व पुलिस सतर्क हैं कि झगड़ा न होने पाये। पांडे जी ने फरमाया जब तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कन्ट्रोल्ड एरिया डिक्लेयर न कर दे और नियम न बना ले, तो हमारे यहां से तो कोई एतराज नहीं। जरूर वधशालाएं बन्द कर दें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करेंगे कि बेलसर में वधशाला है ? वहां की वधशाला के इंचार्ज बुद्धू हैं, जो नाजायज तरीके से गैरलाइसेन्सशुदा जानवरों को उन वधशालाओं में काट दिया करते हैं और इधर-उधर के जानवर भी काट दिया करते हैं और जिनके बारे में मुकदमा भी चला। क्या माननीय मन्त्री जी जांच करेंगे कि स्थिति तनावपूर्ण है और उसे सुधारने के लिये क्या कोई कदम उठायेंगे ?

श्री राममूर्ति—

जहां तक वधशाला के बन्द करने का सवाल है वह तो नियम की बात है। एक मुकदमें का रिवीजन चल रहा है। जहां तक बुद्धू का जिक्र किया गया है, अगर उसके खिलाफ कोई इस तरह की चीज चल रही है या वह अगर हैबिचुवल बन गया है तो उसका एक ही रास्ता है

कि सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस से मिल कर या लोकल एम० एल० एज० से मिल कर यह मामला निपटाया जाय, या फिर हमें लिख कर दे दें ताकि हम कार्यवाही कर सकें। ऐसा काम नहीं होना चाहिये, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो जाय और हिन्दू-मुस्लिम झगड़ा हो जाय।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि वहां की पुलिस को बंधी हुई रकम मिल जाती है इसलिये पुलिस इसमें दखलन्दाजी नहीं करती है। हम इसमें भी पुलिस से सहायता चाहते थे लेकिन पुलिस सहायता के लिये तैयार नहीं है। हमें डर है कि इससे कहीं कम्युनल वातावरण न पैदा हो जाय। यदि मन्त्री जी को लिख कर दे दिया जाय तो क्या वे अपने इनीशियेटिव पर इसे बन्द कराने की व्यवस्था करेंगे?

श्री राममूर्ति—

फिर भी अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने फरमाया अगर वे लिख कर दे दें इन विशेष वाकयात के बारे में तो हम चीफ सेक्रेटरी से जिक्र कर देंगे ताकि वे यहां से कोई कार्यवाही कर सकें।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

विकास खण्ड अधिकार कोपलसा के विरुद्ध शिकायत

*१—श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या विकास मंत्री को पता है कि विकास खंड अधिकारी, कोपलसा, जिला आजमगढ़ के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र अध्यक्ष, चर्मकला सहकारी समिति, कोपलसा, आजमगढ़ ने दिनांक २३ अगस्त, १९६४ को विकास मंत्री को दिया था जब वे आजमगढ़ दौरे के सिलसिले में गये हुये थे?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां। अध्यक्ष, चर्म कला सहकारी समिति, कोपलसा, आजमगढ़ का दिनांक २३-८-१९६४ का शिकायती-पत्र खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त हुआ था।

*२—श्री बृजबिहारी—

क्या विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उस शिकायती-पत्र में उक्त बी० डी० ओ० के विरुद्ध कौन-कौन से आरोप लगाये गये थे?

श्री बंशीधर पांडेय—

उक्त पत्र में निम्नलिखित आरोप थे :—

१—खण्ड विकास अधिकारी, कोयलसा ने आदर्श चर्म कला सहकारी समिति, कोयलसा को ३,००० रु० (तीन हजार रुपया) अनुदान और उसके १/३ का अग्रिम भुगतान नहीं किया।

२—बी० डी० ओ० ने बेकार, रद्दी व मंहगा सामान समिति को देने के लिए मंगाया।

३—खण्ड विकास अधिकारी ने समिति को नोटिस दे कर धमकी दी कि वे उनके द्वारा क्रय किए हुए सामान ले जायं अन्यथा किसी दूसरी समिति को दे दिया जायेगा। अध्यक्ष द्वारा इस सम्बन्ध में भेजे गए उत्तर को उन्होंने नहीं लिया और रजिस्ट्री वापस कर दी।

*३—श्री बृजबिहारी—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उस आवेदन-पत्र के सिलसिले में उक्त बी० डी० ओ० के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की जा सकी ह?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस सम्बन्ध में जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी तथा जिला उद्योग अधिकारी द्वारा जांच कराई जा चुकी है। जांच द्वारा यह विदित हुआ कि क्षेत्र विकास अधिकारी द्वारा कुछ कीमती तथा खराब सामान क्रय किया गया है जिसको वापस करने के आदेश जिला नियोजन अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा दिये गये हैं तथा फर्म को लिखा गया है कि वह उस सामान को वापस ले लें। जो भी अनियमितता खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की गई है उस की आगे जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री बृजबिहारी—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इन बी० डी० ओ० के विरुद्ध सीमेंट का ब्लैक करने के और ऐसे ही अनेकानेक गम्भीर आरोप ब्लाक प्रमुख तथा अन्य सदस्यों द्वारा लगाये गये ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मुख्य प्रार्थना-पत्र के अलावा अगर कोई और बात होगी तो माननीय सदस्य के कहने पर सरकार देख लेगी।

श्री बृजबिहारी—

जिलाधीश और डी० पी० ओ० ने तहकीकात करके इन बी० डी० ओ० के खिलाफ आरोप ठीक पाये तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—

इंडस्ट्रीज अफ़सर और हरिजन कल्याण अफसर ने जांच कर के कोई अनियमितता नहीं पाई लेकिन लेदर एक्सपर्ट ने कहा कि कुछ सामान खराब या सेकेन्ड हैन्ड खरीदा गया है। मैंने कह दिया है कि दोबारा फिर जांच कराई जाय।

श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

बी० डी० ओ० २५ से ७५ फी सदी तक अधिक दाम लगाकर उस सामान को थोपना चाहते थे, जैसा कि उद्योग अधिकारी की जांच से स्पष्ट है, तो सरकार उन बी० डी० ओ० तथा अन्य बी० डी० ओज० को सजा देने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जांच फिर हो रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सामान ब्लाक में खरीद कर कब लाया गया, इतने दिनों तक ब्लाक में रखने का क्या कारण था ?

श्री बंशीधर पांडेय—

८-१-१९६४ को ३,००० रुपये का अनुदान स्वीकृत हुआ था। साल भर भी नहीं हुआ कि बीच में ही डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर के सामने बात आ गई। जब माननीय मंत्री जी आजमगढ़ गये तो उन को अर्जी दी गई और यह कार्यवाही की गई।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

हरिजन समिति के अध्यक्ष को यह सामान लेने की कब सूचना दी गई और उन्होंने सामान लेने से क्यों इंकार कर दिया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सूचना की तारीख़ मेरे पास नहीं है। उन्होंने लिया इसलिये नहीं कि वह मैटीरियल मंहगा और कुछ खराब था।

श्री बृजबिहारी—

स्वीकृत अनुदान में से अब तक कोई रकम, अध्यक्ष, चर्मकला को दी गई या नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

रुपया तो गांव सभा के पास है ही, उनको सामान फिर खरीदने के लिए कह दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जिन अधिकारियों ने सामान ठीक होने की पुष्टि की, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

उन को कह दिया है कि एप्रूव्ड फ़र्म से ले लें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जिन्होंने गलत इनक्वायरी की उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री बंशीधर पांडेय—

लेदर के अधिकारी चूंकि टेक्नीकल एक्सपर्ट हैं उन की राय के अनुसार कार्यवाही की गई।

*४—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

[नवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गोंडा जिले में कूप निर्माण तथा बोरिंग के लिए सीमेंट

*५—श्री शीतलप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिला के बेलसर तथा वजीरगंज विकास क्षेत्र में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत कूप बनवाने तथा बोरिंग करवाने का अलग-अलग क्या लक्ष्य है तथा उसके निर्माण के लिये पर्याप्त मात्रा में सीमेंट की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो कितने टन की ?

श्री बंशीधर पांडेय—

कूप बनवाने तथा बोरिंग कराने का लक्ष्य क्रमशः १,००० व ८३९ है। उपरोक्त कार्यों के लिये लगभग १,५०० मै०टन सीमेंट की आवश्यकता होगी जिसमें से अब तक ५६३.९ मै० टन की व्यवस्था हो चुकी है, शेष का अभी प्रबन्ध किया गया है।

श्री शीतलप्रसाद—

मैं माननीय मंत्री जी से यह स्पष्ट कराना चाहता हूं कि ५६३ बोरी सीमेंट अब तक दी जा चुकी है, ऐसी सूचना है तो बाकी सीमेंट जिसके लिये कहा जा रहा है कि व्यवस्था की गई है, वह काश्तकारों को कब तक मिल जायगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, सीमेंट की बड़ी कमी है जैसा कि माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं। जिस स्कीम के लिये माननीय सदस्य कह रहे हैं उसके लिये सोलह सौ मैट्रिक टन सीमेंट चाहिये जिसमें से ५६३ टन दिया जा चुका है और शेष की व्यवस्था करने के लिये सरकार कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी वह दी जा सके और कुछ तो अभी दिया भी गया है।

श्री शीतलप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सीमेंट के अभाव में अगर समय के अन्दर कोई काश्तकार कुआं न बनवा सके तो उसको सब्सीडी की अवधि बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

ऐसा किया जाता है कि जिस आदमी ने कर्जा लिया है अगर उसकी अपनी कोई गलती नहीं है जिसकी वजह से कि कुआं नहीं बना तो उसके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक देखा जाता है और उसके लिए टाइम बढ़ा दिया जाता है ताकि वह लैप्स न होने पावे ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

यह सीमेंट की कमी के बारे में शिकायत हर जगह से है जिससे कि कांस्ट्रक्टिव प्लानिंग के प्रोग्राम पूरे नहीं हो पा रहे हैं और यह बात भी है कि जितनी सीमेंट एलाट होती है प्लानिंग विभाग के प्रोग्राम को पूरा करने के लिए उतना भी एलाटमेंट मिल नहीं पाता है । तो क्या माननीय मंत्री जी इसके बारे में कोई विशेष व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्री से बात करके कराने की कृपा करेंगे कि जिससे ये सारे प्रोग्राम पूरे हो सकें जो कि अधूरे पड़े हैं ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, अब सिंचाई के लिये तो टाप प्रायरिटी आज कल दी जा रही है। अभी जिस गोंडा जिले का जिक्र है उस जिले से ८ हजार टन से ज्यादा की मांग थी और वह स्वीकार की गई थी । लेकिन साढ़े सोलह सौ टन कुल मिली है। तो इतना बड़ा गैप है । पिछले दिनों गवर्नमेंट आफ इंडिया के एक स्पेशल आफिसर आये थे, वह भी अपनी मजबूरियां जाहिर कर रहे थे कि कभी डिफेंस को चला जाता है, कभी नहीं चला जाता है, इस तरह वहां भी दिक्कतें हैं । हमारे पास जितना सीमेंट का कोटा आता है उसमें से ७५ फीसदी लघु सिंचाई के लिये दी जाती है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय, श्र—

इस प्रदेश में खास तौर से गोंडा, आजमगढ़, बस्ती, देवरिया वगैरह में बहुत से सिंचाई के कुयें बन रहे हैं और आप जानते होंगे इन कुओं के बनाने में नीचे अगर पांच, सात, दस बोरी सीमेंट न दी जाय तो वह कुआं खराब हो जाता है, मैं अपने जिले की बात कहता हूं, सिंचाई के कुयें बनाने की एक होड़ लगी हुई है लेकिन आपके पास सीमेंट नहीं है, नतीजा यह हो रहा है कि गारे की जोड़ाई हो रही है, इससे जो कुयें हजार और सौ वर्ष चलते वह दस-पांच साल में खराब हो जायेंगे और पानी भी नहीं मिलेगा, तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जब आपके पास सीमेंट नहीं है तो कुओं का बनाना बन्द करिये, नहीं तो करोड़ों रुपया बरबाद हो रहा है और दूसरी बात बिल्डिंग्स और अस्पताल वगैरह जो बन रहे हैं उनको रोक कर के उस सारी सीमेंट को लघु सिंचाई योजना में लगाइये, तभी इससे फायदा हो सकेगा । तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि लघु सिंचाई योजना को प्राथमिकता देने के लिये और जितने काम हैं उनको बन्द कर के इसे करें ?

श्री राममूर्ति—

माननीय रामसुन्दर पांडेय जी के दिमाग में जो यह चिन्ता पैदा हुई वह तो ठीक ही है, लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूं कि जो आदमी कुआं बनवाता है उसको अपनी भी कुछ चिन्ता होती है अगर कोई ऐसा ही बुद्धू हो तब तो वह मिट्टी से और गारे से जोड़ाई करेगा, नहीं तो कोई ऐसा नहीं होगा जो ऐसा करे । लेकिन यह सही है कि अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी जब सीमेंट नहीं मिल पाती है तो वह चूना और सुर्खी लगायें बजाय गारे के ताकि जो चीज बने वह अच्छी बने और फिर हर आदमी को यह भी देख लेना चाहिये कि जब तक पर्याप्त मात्रा में नीचे के हिस्से के लिए सीमेंट नहीं मिलती है तब तक उसको काम भी नहीं शुरू करना चाहिए ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

श्रीमन्, माननीय मंत्री जो ने यह कहा कि सीमेंट का अभाव है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सीमेंट का अभाव केवल खुले बाजार में है या चोरबाजार में भी है, इसका पता है आपको ?

श्री राममूर्ति---

यह जो चोर बाजारी की बात की जाती है इसको जरूरत से ज्यादा बढ़ाकर भी कहा जाता है। यह मैं जानता हूं कि दुनिया के अन्दर चोरियां होती है। लेकिन चोरबाजारी के लिये प्राथमिकता दी जाय, बाकी और सब कामों के लिये कड़ाई की जाय, यह मेरी समझ में नहीं आता।

श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)---

लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत ८ हजार मैट्रिक टन सीमेंट गोंडा के लिये सैंक्शन हुआ है क्या वह पहुंची नहीं है ? तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की कोशिश करेंगे कि वह जल्द से जल्द पहुंच सके ?

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, वह तो मंत्री जी ने कह ही दिया है कि कोशिश कर रहे हैं कि जितने स्वीकृत कार्य हैं, उनको सीमेंट मिले।

विकास क्षेत्र, हसेरन में प्राइमरी पाठशालाओं के लिए अनुदान

*६---श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)---

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र, हसेरन, जिला फर्रुखाबाद द्वारा प्राइमरी पाठशालाओं के निर्माण हेतु डी०पी० सी० ग्रांट की मांग १९६२-६३ तथा १९६३-१९६४, १९६४-६५ में की गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

*७---श्री होरीलाल यादव---

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र हसेरन, जिला फर्रुखाबाद के अन्तर्गत ग्राम सभा खरगपुर, बिलन्द, ब्रायमपुर, सरगौली के सभापतियों को २,००० रुपया पाठशाला भवन निर्माण हेतु दिया जा चुका है ? यदि हां, तो कब और क्या उपरोक्त सभापति भवन निर्माण करा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय---

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री होरीलाल यादव---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सूचना कब तक एकत्रित हो जायगी और एकत्रित हो जाने के बाद, उसको सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

वह १५ दिन के बाद आ जायगी।

पिंडरा डिस्पेंसरी के कर्मचारियों का वेतन

*८—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिंडरा डिस्पेंसरी, जिला वाराणसी के कितने कर्मचारी किस-किस पद पर कार्य कर रहे हैं और उनको कितनी तनख्वाह व महंगाई प्रतिमाह मिलती है ? क्या उसे कुछ सरकार बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

प्रथम भाग—

			वेतन रु०	महंगाई रु०
(१)	डाक्टर	एक	१२०	३०
(२)	कम्पाउन्डर	एक	३६	१९.५०
(३)	चौकीदार	एक	१०	२५.५०
(४)	स्वीपर	एक	१०	२५.५०

द्वितीय भाग—

इस डिस्पेंसरी के कर्मचारियों के वेतन एवं महंगाई भत्ते में वृद्धि का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री ऊदल—

इस बात को देखते हुए कि जो चौकीदार है, उसको १० रुपया तनख्वाह आज के युग में मिलती है और जो स्वीपर है वह भी १० रु० तनख्वाह पाता है, महंगाई मिला दीजिये तो ३०.५० पैसे होता है, कम्पाउन्डर जो है वहां पर, वह भी ट्रेन्ड है । तो क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि इतनी मंहगाई होने के कारण १ रुपया रोज कर देंगे, ताकि कम से कम ३० रुपया महीना तनख्वाह मंहगाई छोड़कर हो जाय ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष जी, यह डिस्पेंसरी सब्सीडाइज स्कीम के मुताबिक चल रही है । इसमें आधा रुपया सरकार देती है और आधा जिला परिषद का होता है । अभी पिछले दिनों सरकार ने विचार किया और हम ऐसे आदेश दे रहे हैं कि जो जिला परिषद् इस स्थिति में हों कि वे महंगाई भत्ता बढ़ा सकती हैं, वे बढ़ा दें ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, इस समय सरकार भी सहायता देती है हर जिला परिषदों को, तो जब तक सरकार की सहायता नहीं होगी, तब तक जिला परिषद् इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकतीं । तो क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि जिला परिषदों को सरकार की तरफ से भी कुछ सहायता बढ़ा दें, ताकि वह भी इनकी तनख्वाह बढ़ा दें ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

बड़ा गांव ब्लाक में अस्पताल की इमारत

*९—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बड़ा गांव, वाराणसी राजकीय एलोपैथिक अस्पताल की इमारत अब तक न बनने का कारण क्या है और इस कार्य के लिये कितना रुपया रखा गया था ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

बड़ा गांव ब्लाक, जिला वाराणसी के राजकीय एलोपैथिक अस्पताल के भवन निर्माण हेतु सरकार द्वारा ७ अप्रैल, १९६२ को ६२,००० रु० के व्यय की स्वीकृति दी गई थी। संकटकालीन स्थिति के कारण यह कार्य अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया गया इस कारण उक्त अस्पताल के भवन का निर्माण अब तक प्रारम्भ नहीं हो सका है ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि निकट भविष्य में यह निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जायगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

भूमि प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है उसके मिलने के बाद शुरू हो जायगा ।

आबकारी निरीक्षकों का चुनाव

*१०—श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)—

क्या सरकार बतायेगी कि यू०पी० एक्साईज इन्स्पेक्टर के चुनाव में कितने उम्मीदवार इस वर्ष छांट लिये गये ? उनकी क्या योग्यता है और किस-किस जिले के हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

सितम्बर–अक्तूबर, १९६४ में आबकारी निरीक्षकों के ५ पदों के चुनाव की परीक्षा के फलस्वरूप लोक सेवा आयोग द्वारा जिन अभ्यर्थियों की सिफारिश की गई है उनका विवरण संलग्न सूची में दिया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८८२ पर)

*११—श्री गिरवरप्रसाद—

क्या इस वर्ष भी कोई बैकवर्ड क्लास का उम्मीदवार नहीं लिया गया ? यदि हां, तो कौन ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

चूंकि बैकवर्ड क्लासेज के लिये स्थान सुरक्षित नहीं होते हैं, इसलिए लोक सेवा आयोग ऐसे उम्मीदवारों की कोई सूची नहीं बनाता । अस्तु वांछित सूचना उपलब्ध नहीं की जा सकती ।

श्री गिरवरप्रसाद—

क्या सरकार बतायेगी कि वर्तमान अध्यक्ष महोदय लोक सेवा आयोग कितने वर्षों से इस पद को सुशोभित कर रहे हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री गिरवरप्रसाद—

क्या सरकार यह बतायेगी कि जब बैकवर्ड क्लास की तादाद ६० प्रतिशत है तो इनमें कितने वर्षों में कोई योग्य व्यक्ति हो सकता है, १७ साल में तो एक योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसकी सूची नहीं रखी जाती है, इसलिये निवेदन करना संभव नहीं है ।

स्वास्थ्य अधिकारी के बिना नगरपालिकायें

१२—श्री शुगनचन्द मजदूर (जिला मुजफ्फर नगर)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश ने सरकार से १९६० के लगभग यह अनुरोध किया था कि स्वास्थ्य अधिकारी का पद अस्थायी रूप से रिक्त होने पर पूर्ण चार्ज सीनियर स्वास्थ्य निरीक्षक या मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक को काम की सुविधा दिये जाने के लिये नियम में संशोधन करके दिया जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी हां ।

*१३—श्री शुगनचन्द मजदूर—

क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि आज कल कितनी म्युनिसिपैलिटीज स्वास्थ्य अधिकारी के स्थान से खाली हैं और स्वास्थ्य निदेशक के अनुरोध को देखते हुये कार्य की सुविधा के लिये उपरोक्त संशोधन किये जाने में क्या कार्यवाही हो रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

२९ म्युनिसिपैलिटियां खाली हैं । संशोधन का मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री शुगनचन्द मजदूर—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हेल्थ आफिसर का स्थान खाली होने पर टैक्नीकल चीफ सेनीटरी इंस्पेक्टर को चार्ज दिया जाता है, इसमें जो सरकारी कारबार में दिक्कत आती है, उसको हल करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह सारा मामला विचाराधीन है ।

सुमेरपुर तथा बीघापुर विकास क्षेत्र में सामुदायिक केन्द्र

*१४—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र, सुमेरपुर और विकास क्षेत्र, बीघापुर में कितने सामुदायिक केन्द्र हैं ? क्या सरकार ने सामुदायिक केन्द्र निर्माण हेतु इन दोनों विकास क्षेत्रों के जिन गांवों को धनराशि दी है उनकी सूची प्रस्तुत करने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

विकास क्षेत्र सुमेरपुर में १३ तथा विकास क्षेत्र बीघापुर में १२ सामुदायिक केन्द्र है । इसके अतिरिक्त सुमेरपुर में ७ तथा बीघापुर में २ सामुदायिक केन्द्र निर्माणाधीन हैं । सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८८३–८८४ पर)

श्री देवदत्त मिश्र—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सामुदायिक केन्द्रों को अनुदान किस आधार पर दिया जाता है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

उनको ४०–५० प्रतिशत के हिसाब से अनुदान दिया जाता है और शेष धन स्थानीय गांवों के लोग इकट्ठा करके लगाते हैं ?

श्री देवदत्त मिश्र—

क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि पर्याप्त धनराशि सामुदायिक केन्द्रों को न मिलने के कारण सामुदायिक केन्द्र निष्क्रिय से हो रहे हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह तो उनके बजट बनाने के ऊपर निर्भर करता ह । जितना बजट वे बनाते हैं उसका ४०–५० फीसदी यहां से मिल जाता है ।

चरखारी विकास खंड में सीमेण्ट वितरण की जांच

*१५—श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मोती लाल, प्रधान, ग्राम सभा चुरारी, विकास खंड चरखारी, जिला हमीरपुर के अन्तर्गत विकास कार्य हेतु खंड विकास अधिकारी, चरखारी द्वारा सन् १९६२–६३ व १९६३–६४ में कितने बोरी सीमेण्ट का कितनी बार परमिट दिया गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

१९६२–६३ में ३५ तथा १९६३–६४ में ७ बोरी सीमेण्ट का परमिट दिया गया।

*१६—श्री मदनपालसिंह—

क्या यह बात सत्य नहीं है कि श्री मोतीलाल, ग्राम प्रधान ने उक्त सीमेण्ट का इस्तेमाल बेजा तरीके पर किया है तथा कुछ सीमेण्ट जांच होने पर वापिस भी किया है ? क्या सरकार श्री मोतीलाल के विकास निर्माण कार्यों की जांच कराके दोषी पाये जाने पर उचित दंड देगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां । दोनों बातें सत्य नहीं है । श्री मोतीलाल ने उक्त सीमेण्ट का प्रयोग विकास कार्यों के लिये किया है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मदनपालसिंह—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जांच किस अधिकारी से कराई गई ?

श्री राममूर्ति—

इस में जांच नहीं कराई गई केवल हालात मालूम कराये गये, तो बी०डी०ओ० ने इत्तिला दी कि ३५ बोरा सीमेण्ट कुयें के लिये मंजूर हुआ था और उसके थोड़े दिन बाद ही स्कूल के लिये ७ बोरे और दिये गये, वह कुआं तो बना नहीं उन्होंने सभी ४२ बोरे स्कूल में ही लगा दिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मंत्री जी सारे सूबे में एक ऐसा नक्शा वितरित करायेंगे कि सब जगह सामुदायिक केन्द्र एक ही ढंग से एक ही खर्च पर बने जिससे यह जो सीमेण्ट और पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और भ्रष्टाचार होता है, वह न हो ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न कहां से उठता है, वह अलग प्रश्न है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिस वक्त सीमेण्ट का परमिट दिया जाता है किसी व्यक्ति को तो उस के साथ यह शर्त होती है कि जिस काम के लिये सीमेण्ट मांगा

गया है वह उसी पर खर्च होगा, यह ३५ बोरे सीमेण्ट कुयें के लिये मांगा गया था जो स्कूल पर खर्च किया गया, तो क्या इस नामुनासिब कार्य के लिये मंत्री जी संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप भी अगर मंत्री होते तो न करते ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)---

यह ३५ बोरा सीमेण्ट कुयें के लिये दिया गया था तो कुआं क्यों नहीं निर्मित कराया गया ?

श्री अध्यक्ष---

वह कहते हैं कि वह सब सीमेण्ट की बोरियां वहीं के स्कूल में लग गईं ।

श्री मदनपालसिंह---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कुयें के लिये सीमेण्ट लिया गया और वह बनाया नहीं गया और उसका रुपया भी वसूल किया गया है, तो क्या इसकी जांच मंत्री जी करायेंगे ?

श्री राममूर्ति---

यह चीज अगर वह लिख कर दें तो जांच करा ली जायगी । लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने सवाल में विचार जाहिर किया, मैंने भी जब इस को पढ़ा तो बुनियादी तरीके से मैं भी इसको अच्छा नहीं समझता कि जिस काम के लिये रुपया लिया जाय उसमें वह न लगे, इसलिये मैंने हिदायतें कर दी हैं कि कंसर्न्ड बी० डी० ओ० को कहा जाय कि जिस काम के लिये रुपया दिया जाता है वह उसी काम पर खर्च हो और अगर दूसरी जगह करना हो तो उसकी पहले से इजाजत ले ली जाय ।

आजमगढ़ जिले में जन-शक्ति योजनायें

*१७---श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनशक्ति योजना के अनुसार आजमगढ़ जिले की कौन-कौन सी योजनायें कितनी-कितनी धनराशि की स्वीकृत हुई हैं ? स्वीकृत धनराशि में से कितनी धनराशि किन योजनाओं में खर्च की जा चुकी है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८८५-८८७ पर)

*१८---श्री दौलतलाल---

आजमगढ़ जिले में जनशक्ति योजना किन-किन विकास खंडों में प्रारम्भ की गई है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

निम्नांकित ब्लाकों में प्रारम्भ की गई है---

१---आजमगढ़
२---बिलरियागंज
३---परदहा

४---तहबरपुर
५---हरैया
६---दोहरीघाट
७---बड़राव
८---महराजगंज

श्री दौलतलाल---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के ब्लाकों की जो योजनायें जनशक्ति योजना के अन्तर्गत स्वीकृति के लिये भेजी गई थीं वह स्वीकृत होकर आई या नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय---

जितनी स्वीकृत होकर आ गई हैं उसकी सूची हमने माननीय सदस्य को दे दी, और दूसरी आयेंगीं तभी सूचित किया जा सकता है ।

श्री बृजबिहारी---

क्या विकास खंड अहरौला, कोयलसा और अतरोलिया में भी जनशक्ति योजना के अन्तर्गत कोई कार्यवाही आरम्भ हुई है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

इसमें सारी लिस्ट हैं, आप कहें तो मैं पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष---

वह देख लेंगे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

जनशक्ति योजना के अन्तर्गत जिन ब्लाकों का चुनाव किया गया है तो उन ब्लाकों को छांटने का आधार क्या निर्धारित किया गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, यह भारत सरकार की योजना है । भारत सरकार के ब्लाकों को छांटने के लिये ३-४ बड़े सिद्धान्त है । जिसमें सबसे बड़ा है मैन पावर का प्रेशर । इसलिये यह सोचा जाता है कि वहां पर वह योजना चालू की जाय जिस पर वे लगाये जा सकें और बेकारी दूर की जाये । जिला अधिकारी जिन-जिन को प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ चरण में रिकमेंड करते हैं, उनको हम भारत सरकार की स्वीकृति के लिये भेजते हैं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जन-शक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत जो ब्लाक लिये गये हैं, उनकी स्वीकृति केन्द्र से आ गयी है ? और उनके अतिरिक्त भी जनशक्ति योजना में जिन ब्लाकों को शामिल करने के लिये केन्द्र से सिफारिश की हैं, उनमें पटेल कमीशन वाले जिलों में से किन-किन ब्लाकों को लिया गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

जितने ब्लाकों की सिफारिश की है वह सूचना तो संलग्न है । १४६ ब्लाकों को ३४ सीरीज में रिकमेंड किया । उनमें से ३५ ब्लाकों को स्वीकार किया है । अभी भारत सरकार के व्हीट प्रोग्राम के अन्तर्गत कुछ और ब्लाक लेने की सिफारिश कर रहें हैं जिनके संबंध में हमारे अधिकारी दिल्ली को जाने वाले हैं । उसका अन्तिम स्वरूप तभी स्वीकार किया जायगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

जो सूची आजमगढ़ जिले के ब्लाकों की है उसमें कौनसी योजनायें स्वीकृत हैं और किस चरण में काम शुरु होगा ?

श्री बंशीधर पांडेय---

परदहा द्वितीय चरण में है । इसमें कच्ची गूलें जो हैं उनके लिये १७,००० रु०, रनवीरपुर ड्रेन में ४० हजार रुपया, बुधवन खाजा सड़क में २ लाख रुपया और अतिरिक्त द्वितीय चरण में गांवों को ऊंचा करने के लिये ६४ हजार रु०, इतौरा मऊ कासिमाबाद लिंक सड़क---१ मील, के लिये ६० हजार रु०, फूलपुर परदहा सड़क २ मील के लिये १ लाख ४० हजार रु०, सुल्तानपुर रानीपुर मऊ सड़क---४ मील के लिये २ लाख ४० हजार रुपया और बुधवन खाजा सड़क ३ मील के लिये २ लाख १० हजार रुपये रखे हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो क्षेत्र बाढ़ पीड़ित हैं वह क्षेत्र उनमें नहीं आते हैं ? अतः मैं निवेदन करूंगा कि जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं और केन्द्र से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, वे नहीं कर पाते, तो क्या माननीय मंत्री जी उस बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में सड़कों को लेने की कृपा करेंगे ताकि केन्द्र से संपर्क स्थापित कर सकें ?

श्री राममूर्ति---

हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाय और जितनी योजनायें हमारे पास आती हैं, हम उनको सेण्टर के पास भेजते हैं । यह कहना कि फलां योजना नहीं रखी गयी काफी नहीं है । हम अपनी तरफ से परी कोशिश करते हैं । जितनी रह गयी है, उनको आप लिख कर भेज दीजिये ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---

बाराबंकी इस योजना में शामिल नहीं किया गया है और तृतीय चरण में जो योजना बनाई गई है वह उसमें नहीं है; तो क्या यह पिछड़े हुये जिले में नहीं आता है ? क्या कोई नये प्रिंसिपल आ गये हैं ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

छतहरा ग्रामवासियों का शिकायती-पत्र

*१९---श्री भीमाप्रसाद तथा श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या सहकारिता मंत्री दिनांक १० फरवरी, १९६५, के तारांकित प्रश्न संख्या ५७ एवं ५८ के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि शिकायती-पत्र की प्रतिलिपि क्या है तथा पत्र की जांच स्वयं अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी ने की अथवा किसी सुपरवाइजर की रिपोर्ट पर प्रार्थना-पत्र निराधार पाया गया ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)---

शिकायती-पत्र दिनांक ४-४-६४ की प्रतिलिपि संलग्न है । शिकायती-पत्र की जांच श्री पशुपतिनाथ मिश्र, अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी, ने स्वयं की । उनकी रिपोर्ट दिनांक १२-१-६५ किसी सुपरवाइजर की रिपोर्ट पर आधारित नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८८८ पर ।)

२०---श्रीभगवतीप्रसाद तथा श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रार्थी ने दिनांक २० फरवरी, १९६०, को कितना रुपया जमा किया था और वसूलयाबी की नोटिस कितने रुपये की थी ?

श्री बनारसीदास--

प्रार्थी ने २०-२-६० को १५ रु० ८९ पैसा जमा किया था जिसमें से १३ रु० ३६ पैसा असल और २.५३ रु० सूद के मद में जमा हुये। बीज भंडार के कागजात में नोटिस की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है इसलिये यह नहीं बताया जा सकता है कि यदि नोटिस दी गई थी तो कितने रुपये बकाया की।

*२१--श्री भीमाप्रसाद तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन सुपरवाइजर ने जाल बना कर गलत गल्ला कागज से दिखलाया और इस शिकायत की जांच कई बार हुई तथा वसूली स्थगित की गई ?

श्री बनारसी दास--

शिकायती पत्र दिनांक ४-४-६४ की जांच से पता चला कि शिकायतकर्ता के ९ मन ३६ सेर बीज पाने के पुर्जों बुक पर हस्ताक्षर हैं जो कि श्री नारायण ने स्वीकार किये। तत्कालीन सुपरवाइजर ने जाल बनाकर गलत कागज से दिखाया यह आरोप शिकायती-पत्र में नहीं था। अतः बान्डों की जांच नहीं की गई क्योंकि वे पुराने होने के कारण दाखिल दफ्तर हो चुके थे और बीज गोदाम पर उपलब्ध न थे। इस जांच से उप निबन्धक सन्तुष्ट नहीं हुये और पुनः जांच कराई। पुनः जांच से पता चला कि बान्ड संदेहात्मक है। पुराने कागजात जो विशेष प्रयत्न के बाद उपलब्ध हो पाये, उनसे यह पता चला कि फरवरी सन् १९६० में एक जांच सहकारी निरीक्षक, मधुबन, द्वारा कराई गई थी जिसके फलस्वरूप तत्कालीन सहायक निबन्धक ने वसूली निलम्बित कर दी और सुपरवाइजर का पिछला वेतन लगभग ९ माह का रोक दिया। इसके पश्चात सहायक निबन्धक व सुपरवाइजर का स्थानान्तरण हो गया। और मामले में आगे प्रगति नहीं हो पाई। इस मामले में अन्तिम निर्णय शीघ्र ही ले लिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

शिवनारायण यादव हैं जगदीशपुर के और प्रार्थना पर जो सिफारिश हैं उसे माननीय मंत्री देखलें जो सही हैं कि २० सेर गल्ला लिया था जिसके लिये नोटिस आया था और उसके दाम चुकता कर दिये गये। फिर यह स्वीकार किया है कि संदेह उनको खुद है और काटपीट कर २० सेर की जगह ९ मन ३६ सेर कर लिया और उसकी वसूलयाबी का नोटिस नहीं भेजा, केवल २० सेर का भेजा, जिससे उसके जिम्मे बकाया सैकड़ों रुपया पड़ा। तो मैं जानना चाहता हूं कि सन्देह किस बात का है ?

श्री बनारसीदास--

जिस वक्त पहले जांच की गयी तो बांड का कागज उपलब्ध नहीं था। काफी पुराना मामला था, इसलिये दाखिल दफ्तर कर दिया गया। बाद में जब देखा तो उसकी रिपोर्ट से थोड़ा सन्देह हुआ जिससे कि दूसरे अधिकारी को भेजा और बांड से ऐसा मालूम होता कि काफी कटा पिटा कागज है जिससे कि सन्देह हुआ। इसलिये उस बारे में निर्णय लिया जायगा आया इसके अन्दर जो दस्तखत था वह नारायण ने किये हैं और उसमें कितना कितना गेंहूं लिया और कितना नहीं लिया। इसलिये इस पर अब तक फाईनल फैसला नहीं हुआ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

उस अधिकारी तथा कर्मचारी के विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करेंगे जिन्होंने कहा कि जिला सहकारी अधिकारी ने स्वयं जांच की जो कि गलत है ? सुपरवाइजर ने जांच की थी। शिवनारायण मीटिंग में आया था और मेरे सामने उसका बांड लिया गया था। सैकड़ों आदमियों के बीच में उसने कहा कि केवल २० सेर गल्ला उसने लिया है और २० सेर का पैसा उससे लिया गया। उसने यह कबूल नहीं किया, गलत है। सुपरवाइजर से इंक्वायरी कराई गई और

सुपरवाइजर की रिपोर्ट पर ही जो आफिसर है उसने गलत रिपोर्ट दी है। मैं यह निवेदन करूंगा क्या माननीय मंत्री फिर से इंक्वायरी करायेंगे कि उस अधिकारी ने बिना शिव नारायण से पूछे सरकार को गलत उत्तर देने के लिये क्यों बाध्य किया ?

श्री बनारसीदास--

इसकी जांच करा रहें हैं। जिस सुपरवाइजर के बारे में सन्देह था उसको ९ महीने का वेतन नहीं दिया गया है और जब पूरे तौर से निर्णय हो जायगा तो उसके वेतन से इस रकम को काट लिया जायगा और जो इस कार्य में गैरजिम्मेदारी के लिये दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। इस सम्बन्ध में हमने आदेश दिये हैं कि जो लोग सन ६० से ले कर अब तक इसके लिये जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

१०-२-६५ के तारांकित प्रश्न के जरिये यह सवाल मैंने उठाया था जिसका उत्तर दिया गया था कि शिकायत निराधार पायी गयी और अब उत्तर दे रहें हैं कि कुछ सन्देह है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पहले जो उत्तर दिया गया और जिसको आपने सही माना, जिस आफिसर ने गलत रिपोर्ट दी उसके खिलाफ क्या कार्यवाही वे कर रहे हैं ?

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, मैंने यह अर्ज किया कि निबंधक ने जब रिपोर्ट देखी तो उनको संतोष नहीं हुआ तब दुबारा जांच के लिये भेजा। इसलिये जब तक दुबारा रिपोर्ट न आ जाय और उसको न देख लें, तब तक उसके बारे में क्या कहा जा सकता है कि किसकी जिम्मेदारी है ?

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, पहले आपका उत्तर यह था कि यह निर्मूल है और आज आप कह रहें हैं कि संदेहात्मक है। तो क्या पहली रिपोर्ट जो आपको मिली थी वह गलत थी ?

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, मैंने अर्ज किया कि पहली रिपोर्ट आई, उसमें लिखा था कि यह निर्मूल है। इसके बाद जब दुबारा भेजा गया तो हमने कहा कि इसकी पुनः जांच की जाय। उस समय मालूम हुआ कि कागजात बहुत पुराने हो गये थे और मिल नहीं रहे थे। मैंने आदेश दिया कि कागजात तलाश किये जायं। जब कागजात तलाश किये गये तो उसमें कुछ कटिंग थे जिससे संदेह पैदा हुआ। इसलिये दुबारा आदेश दिया गया कि फिर से इसकी जांच की जाय कि फैक्ट्स क्या हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, अगर मैं सप्लीमेंटरी न भेजता तो यह उत्तर नहीं होता। सरकारी अधिकारी ने जो रिपोर्ट दी थी वही सही मानी जाती और इसके साथ ज्यादती होती। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस अधिकारी ने गलत रिपोर्ट दी जो निर्मूल थी उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहें हैं जिससे वह इस तरह से जाल-बट्टा न करे ?

श्री अध्यक्ष--

अब जो जवाब आया उससे बहस होती रहे, यह बात दूसरी है। लेकिन वास्तविकता यह है कि पहला जो उत्तर आया था वह अपूर्ण था और गलत था और आपने जब दुबारा प्रश्न किये तो पुराने कागजात मिल गये और आपके हृदय में जो शंका है वही बात हो गई है, इसलिये जांच हो रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, गलत उत्तर दे दिया गया....

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर भेज दीजिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, माननीय हुकुमसिंह जी हमको बदनाम करते हैं कि हम बार-बार सवाल करते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

जी नहीं ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि जिस अधिकारी ने गलत जवाब दिया है वह दोषी है तो उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? उसको टाला क्यों जा रहा है ?

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि माननीय रामसुन्दर जी ने जो कहा वही माननीया सदस्या ने भी कहा है । अगर मेरी दिलचस्पी होती तो जवाब दे देता कि जांच की जरूरत नहीं है । लेकिन मैंने जांच कराई । मैंने देखा कि माननीय सदस्य को शंका है तो पुराने कागजात को तलाश कराया गया और जब तक जांच न हो जाय तब तक अंतिम बात कैसे कह दें ?

श्री बृजबिहारी--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इसकी जांच असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने की है और वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उसने केवल २० सेर गेंहूं लिया था और जो ज्यादा गेंहूं लिखा है वह गलत है ?

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, इसके बारे में निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता हूं । रिपोर्ट यह है कि ९ मन लिया गया है और सवाया लगाकर १२ मन हुआ और क्या इंटरपोलेशन्स हुये, जब तक जांच न कर ली जाय कुछ कहना मेरे लिये कठिन है ।

नर्सिंग असिस्टेंट्स एसोसियेशन का मांग-पत्र

*२२--श्री बृजबिहारी--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जन स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश, के नर्सिग असिस्टेन्ट्स एसोसियेशन की तरफ से १० दिसम्बर, १९५९ को एक पत्र लिख कर सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

सरकार को ऐसा काई पत्र नहीं प्राप्त हुआ था ।

*२३--श्री बृजबिहारी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक उन मांगों के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बृजबिहारी--

अध्यक्ष महोदय, डाइरेक्टर, हेल्थ सर्विसेज, की तरफ से इस आश्वासन का सरकारी पत्र मिला है जिसकी कापी मेरे पास है और यहां यह उत्तर आ रहा है कि सरकार को ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अतः आप इस संबंध में इसको स्थगित कर दें और दूसरे दिन इस प्रश्न पर अतिरिक्त प्रश्न करने की आज्ञा दे दें।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने शब्दों को पकड़ लिया है, आप सरकार के बारे में पूंछ रहे हैं कि उन्हें क्या प्राप्त हुआ है जबकि डाइरेक्टर के यहां प्राप्त हुआ है।

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इस बारे में स्थिति यह है कि सरकार के पास कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ है और यदि हुआ होगा तो डाइरेक्टर को प्राप्त हुआ होगा। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसे आज स्थगित कर दिया जाये और यदि डाइरेक्टर के बारे में आज्ञा दे दें तो जवाब दे दिया जायगा।

श्री बृजबिहारी--

उस पत्र का जो जवाब गया है, उसमें लिखा है, रेजोलूशन नं० १ के बारे में "बिस हैज बीन रेफर्ड टू गवर्नमेंट आर्डर व्हेन रिसीव्ड विल बी कम्यूनिकेटेड" (इसके माने यह है कि गवर्नमेंट के पास यह भेजा गया है, डाइरेक्टर साहब ने इसे भेजा है।) इसलिये यह कहना कि गवर्नमेंट को इसका ज्ञान नहीं है, ठीक नहीं है। कृपया, अध्यक्ष महोदय, आप इस संबंध में मंत्री महोदय को आज्ञा दें कि वह इसका सम्यक उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष--

स्वास्थ्य मंत्री जी, यदि आप तैयार हों तो जिस पत्र का उन्होंने उल्लेख किया है, उसको देखकर इसका जवाब दे दें।

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

अगर आज्ञा हो तो इसी समय उत्तर दे दूं ?

श्री अध्यक्ष--

अच्छा, इसे स्थगित माना जाये।

[तारांकित प्रश्न २२-२३ श्री अध्यक्ष की आज्ञा से स्थिगत किये गये।]

बलिया जिले में जन-शक्ति योजनान्तर्गत बांधों का निर्माण

*२४--श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जिला अन्तर्गत बिड़ला बांध तथा कुछ और बांध एवं गांव पटाई का कार्य टेक्निकल स्वीकृति के उपरान्त मानव श्रमशक्ति आयोग योजना के द्वारा पूर्ण कराने का निश्चय हुआ था, किन्तु वैरिया विकास खंड उक्त योजना में न लिये जाने के कारण कार्य नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य के संबंध में सरकार क्या कर रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जी हां। चूंकि भारत सरकार फिलहाल प्रदेश में और नये ब्लाक इस योजना में स्वीकृत करने के पक्ष में नहीं है। अतः इन कार्यों के लिये जाने के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

श्री मैनेजरसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी विचार करेंगे कि बिड़ला बांध के क्षतिग्रस्त होने के कारण दर्जनों गांव और हजारों एकड़ भूमि असुरक्षित है और २ साल पहले लाखों रुपये की क्षति इससे हुई थी, जिसका उत्तर इस सदन में दिया गया था, इसलिये सामुदायिक विकास मंत्री जो पहले सिंचाई मंत्री रहे हैं उस समय उन्होंने चीफ इंजीनियर को इस बांध की मरम्मत के बारे में लिखा था तो नहीं लिया गया था, तो क्या इसे अब विभागीय योजना में लेकर इसका कार्य पूरा करायेंगे ताकि हजारों रुपये की क्षति न हो सके ?

श्री बंशीधर पांडेय---

यदि माननीय सदस्य लिखकर दें तो सिंचाई विभाग इस पर विचार कर सकता है, लेकिन हमारे यहां जब तक भारत सरकार न कहे तब तक हम इसे लेने में असमर्थ हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बांध का नाम बिड़ला बांध क्यों पड़ा ? क्या उन्होंने इसे बनवाया था या सरकार ने उसे बनवा कर बिड़ला के नाम कर दिया ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री मैनेजरसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि बिड़ला जी जब कौंसिल के चुनाव में खड़े हुये थे तथा उस समय उसी सिलसिले में जब वह उस क्षेत्र में गये थे तो उन्होंने वहां की जनता की अत्यधिक परेशानी को देखकर उस बांध का निर्माण करा दिया था ? तो क्या अब सरकार उसके रख रखाव की अपनी व्यवस्था करेगी, जिससे कि दर्जनों गांव और हजारों एकड़ भूमि क्षतिग्रस्त हो जाती है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

हम अपनी जनरल योजना में तभी लेंगे जब नये ब्लाक स्वीकृत होंगे ।

श्री मैनेजरसिंह---

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि १२५ के करीब ब्लाकों को चतुर्थ सेरीज में लेने की सिफारिश की गयी थी लेकिन भारत सरकर ने केवल ३५ ब्लाकों को ही लिया है । इस बात को देखते हुये कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा कृषि प्रधान प्रदेश है और इसमें बेकारी अन्य प्रदेशों से अधिक है तो ऐसे प्रदेश को जनशक्ति योजना का अधिक लाभ दिलाने के लिये क्या उत्तर प्रदेश की सरकार भारत सरकार को मजबूर करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय---

भारत सरकार से तो इस प्रदेश की सरकार की सिफारिश बराबर रही है कि और अधिक ब्लाक्स लिये जायं । वैसे माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बलिया में इस बात की शिकायत हमारे पास है कि जिन कार्यों को हमने स्वीकृत भी किया है उसमें हमें आदमी नहीं मिल रहे हैं और मैनेजरसिंह जी इससे सहमत होंगे कि वहां बेकारी नहीं है, क्योंकि इन कार्यों के लिये आदमी नहीं मिलते हैं ।

अस्थायी ए० डी० ओ०, पशुपालन

*२५---श्री चन्द्रजीत यादव---

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में कुल कितने ए० डी० ओ० पशुपालन हैं और उनमें कितने स्थायी हैं और जो शेष अस्थायी हैं उन्हें कब तक स्थायी करने का विचार है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

राज्य में कुल ३३१ सहायक विकास अधिकारी (पशु पालन) हैं और वे सभी अस्थायी हैं। उनको स्थायी करने का इस समय कोई विचार नहीं है।

*२६---श्री चन्द्रजीत यादव---

क्या उपरोक्त ए० डी० ओ० तरक्की के द्वारा बी० डी० ओ० होने के अधिकारी हैं और उनकी सेवा पशु विभाग के अन्तर्गत मानी जाती है, या नियोजन विभाग के ?

श्री बंशीधर पांडेय---

सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) जो १२०-२५० रु० के वेतनक्रम में कार्य कर रहें हैं तथा तीन वर्ष की सेवा काल १-४-६४ को पूर्ण कर चुके हैं, क्षेत्र विकास अधिकारी के अस्थायी पदों पर स्थानापन्न रूप से पदोन्नति के अधिकारी हैं, इनकी सेवायें नियोजन विभाग के अन्तर्गत मानी जाती हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव---

इस विभाग के ३३१ ए० डी० ओ० सभी के सभी अस्थायी है और इनकी सेवायें पिछले १०-११ सालों से है। सरकार का जवाब है कि इनको अस्थायी रखने का विचार है। तो जब यह विभाग इतना महत्वपूर्ण है और ये इतने दिनों से काम कर रहें हैं तो इनको स्थायी करने का विचार सरकार का क्यों नहीं है ?

श्री राममूर्ति---

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां ऐसा कायदा है कि ब्लाक के बजट से एक चिकित्सक, पशुपालन, रखा जाता है और उसका वेतन २००-३२५ रुपया होता है। तो शुरू में अफसरान इसके लिये हमको नहीं मिले चूंकि इसके लिये ग्रेजुयेट्स होना जरूरी है। इसलिये हमने सुपरवाइजरों की पदोन्नति करके और उनको गंजरिया फार्म पर ट्रेनिंग दिलाने के बाद नियुक्त कर दिया और उनका वेतनक्रम भी बढ़ा दिया। लेकिन उसके बाद हमें ग्रेजुयेट्स मिलने लगे और अब आहिस्ता-आहिस्ता हम उनको रिप्लेस करने जा रहें हैं और हमें आशा है कि हर ब्लाक पर ग्रेजुयेट चिकित्सक हो जायेंगे। इसलिये इनको स्थायी करने का सवाल नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव---

जब इस काम को करने के लिये सरकार को आदमी उपलब्ध नहीं हो रहे थे उस वक्त तो इनसे काम लिया गया। १० साल के बाद आप उनको रिप्लेस करना चाहते हैं। ये १० वर्ष से सेवा करते चले आ रहे हैं, तो क्या आप अब इनको निकाल देंगे या अन्य स्थान पर रख लेंगे ?

श्री राममूर्ति---

निकाले नहीं जायेंगे बल्कि अपने स्थान पर फिर आ जायेंगे।

श्री होरीलाल यादव---

ये जो ग्रेजुएट लिये जाते हैं उनको भी क्या गंजरिया फार्म पर ट्रेनिंग दी जाती है ?

श्री राममूर्ति---

वह तो मथुरा से ट्रेण्ड लोग होते है, उनकी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती।

नोट---तारांकित प्रश्न २६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

[७ अप्रैल, १९६५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

हैदरगढ़ एवं सुबेहा चिकित्सालय में डाक्टर न होना

*१—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बाराबंकी जिले के तहसील हेडक्वार्टर हैदरगढ़ के अस्पताल में ६ माह से और इसी तरह से स्थित कस्बा सुबेहा, मोतिकपुर में ४ वर्ष से कोई डाक्टर इन अस्पतालों में नहीं है, जिससे इन स्थानों पर अस्पताल खोलने की उपयोगिता बेकार सिद्ध हो रही है और जनता को उसके दैनिक जीवन में अपार कष्ट उठाना पड़ता है तथा मरीजों को चिन्ताजनक हालत में लखनऊ, बाराबंकी ले जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त मुख्यालय के अस्पताल में डाक्टर को नियुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री दाऊ दयाल खन्ना)—

बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ चिकित्सालय में दिनांक १६-१०-१९६४ से व सुबेहा चिकित्सालय में दिनांक ३०-१०-१९६२ से चिकित्सक नहीं हैं ।

हैदरगढ़ एवं सुबेहा चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

मोतिकपुर (असैन्द्रा) चिकित्सालय में दिनांक १५-३-१९६४ से चिकित्सक कार्य कर रहा है ।

हाकिम परगना बरेली के विचाराधीन ग्राम प्रधानों के मुकदमें

*२—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हाकिम परगना, बरेली की अदालत में दो वर्ष की अवधि से भी ऊपर के कितने मामले ग्राम प्रधानों के खिलाफ चलाये हुये अनिर्णीत पड़े हैं और देर लगने के क्या कारण हैं ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं ।

हाकिम परगना बरेली की अदालत में दो वर्ष की अवधि से ऊपर का कोई ऐसा मामला अनिर्णीत नहीं पड़ा है । इसलिये विलम्ब का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*३-४—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

[नवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*५-६—श्री लखी सिंह (जिला मथुरा)—

[नवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*७-८—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[नवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

खड्डा चीनी मिल के श्रमिकों की मांगें

*९—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला के खड्डा चीनी मिल के मजदूरों ने १४ १५ फरवरी, १९६५ की रात के दो बजे से हड़ताल की नोटिस दी थी जिसको श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, ने हस्तक्षेप करके समझौता करा कर हड़ताल होने नहीं दी ? यदि हां, तो मजदूरों के मांग-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखते हुये सरकार बतायेगी कि उनकी कौन-कौन सी मांगें किस हद तक पूरी की गयीं ?

श्री बनारसीदास—

जी हां। खड्डा चीनी मिल में १४, १५ फरवरी, १९६५, की रात से होने वाली हड़ताल को श्रमायुक्त ने हस्तक्षेप करके नहीं होने दिया।

मजदूरों के दो प्रार्थना-पत्रों की प्रतिलिपियां तथा प्रत्येक मांग पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट†'ग' व 'द' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

*१०—श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

[नवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

प्रान्तीय सहकारी बैंक के ऋण में ब्याज की दर

*११—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या सहकारिता मन्त्री को विदित है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने हाल में ही कर्ज देने की जो दर बढ़ा दी उसके फलस्वरूप क्या प्रान्तीय सहकारी बैंक भी जिला सहकारी बैंक को देने वाले कर्जों की दर बढ़ाने का विचार कर रही है?

श्री बनारसीदास—

जी हां।

प्रान्तीय सहकारी बैंक ने भी जिला सहकारी बैंकों को दिनांक १-३-६५ से दिये जाने वाले ऋण की ब्याज दर बढ़ा दी है।

*१२—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हर रिजर्व बैंक द्वारा प्रान्तीय सहकारी बैंक को किस दर पर कर्जा मिलता है तथा प्रान्तीय सहकारी बैंक द्वारा जिला सहकारी बैंकों को किस दर पर कर्जा दिया जा रहा है?

श्री बनारसीदास—

दिनांक १७-२-६५ से रिजर्व बैंक प्रान्तीय सहकारी बैंकों को अल्पकालीन ऋण ४ प्रतिशत पर तथा मध्यकालीन ऋण ४-१/२ प्रतिशत पर देती है।

प्रान्तीय सहकारी बैंक ने दिनांक १-३-६५ से जिला सहकारी बैंकों को ४-३/४ प्रतिशत पर अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण देना आरम्भ कर दिया है।

*१३—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

क्या सहकारिता मंत्री यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि वर्तमान संकटकालीन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये ऐसा आदेश जारी करेंगे कि प्रान्तीय सहकारी बैंक अपने बीच का मार्जिन कम करते हुये जिला सहकारी बैंकों को कर्जा देने की दर में बढ़ोत्तरी न करें जिससे किसानों को सहकारी समितियों द्वारा दिये जाने वाले कर्जे की दर में वृद्धि न हो?

श्री बनारसीदास—

रिजर्व बैंक ने २६-९-६४ को बैंक रेंट ४-१/२ प्रतिशत से बढ़ा कर ५ प्रतिशत कर दिया और १७-२-६५ को ६ प्रतिशत कर दिया। इस बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप प्रान्तीय सहकारी बैंक को मजबूरन अपने अमानतदारों की अमानत पर ब्याज दर बढ़ानी पड़ी। ऐसी परिस्थिति में प्रान्तीय सहकारी बैंक को जिला सहकारी बैंकों को कर्जा देने की ब्याज दर न बढ़ाने की सलाह देना उचित नहीं होगा।

---

†छापी नहीं गई।

*१४-१५—श्री रामकिशोर त्रिपाठी —

[आठवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

इटावा जिले में जन-शक्ति योजना का कार्यान्वयन

*१६—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की नव-घोषित घोषणा जिसमें जन-शक्ति उपयोगी योजना सारे प्रदेश में लागू कर दी गई है, को कार्यान्वित करने की क्या रूप-रेखा होगी और उसको इटावा जिले में कब से लागू किया जावेगा और उसके अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य सम्मिलित किये जायेंगे ?

श्री राममूर्ति—

ऐसी कोई नई योजना घोषित नहीं की गई । ग्रामीण जन शक्ति योजना के अन्तर्गत काम केन्द्रीय सरकार की नीतियों तथा निर्देश के अनुसार ही लिये जाते हैं । फिलहाल उनके निर्देश यह हैं कि यह योजना केवल अब तक स्वीकृत ब्लाकों तक ही सीमित रहे तथा नये ब्लाकों में इसका विस्तार न किया जाये । ऐसी दशा में अभी यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि इस योजना का विस्तार पूरे प्रदेश में होगा भी या नहीं ।

इटावा जिले में उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत दो ब्लाकों—(१) अजीतमल, तथा (२) भाग्यनगर में काम लिये गये हैं ।

*१७—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

[हटा दिया गया ।]

रामपुर इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड रामपुर में मजदूरी कम देने की शिकायत

*१८—श्रीमती किश्वरआरा बेगम (जिला रामपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रामपुर इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, रामपुर, में काम करने वालों को १ रु० ५ आ० प्रति दिन बहुत कम मजदूरी दी जाती है जबकि एक दिन की गैरहाजिरी पर १ रु० ८ आना काटे जाते हैं जबकि कम्पनी की प्रोडक्शन जैसे साइकिल व बिजली के पंखे इत्यादि की कीमत काफी अच्छी है ?

श्री बनारसीदास—

इस प्रतिष्ठान में दैनिक वेतन पाने वाले अकुशल कर्मचारी को १ रु० ३१ पैसे प्रति दिन वेतन मिलता है और अनुपस्थिति के दिन केवल १ रु० ३१ पैसे ही काटे जाते हैं ।

*१९—श्रीमती किश्वरआरा बेगम—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कम्पनी के मालिकान कम्पनी को बराबर नुकसान में दिखाते है जिससे वहां के वर्करों की दशा सुधरना कठिन है ? क्या सरकार इसकी उचित ढंग से जांच कराने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो क्या ?

श्री बनारसीदास—

प्रतिष्ठान ने अपनी आडिटेड बैलेन्स-शीट में जो उसकी आर्थिक दशा का सही आधार माना जा सकता है, १९५५-५६ से १९५९-६० तक और १९६३-६४ से पुनः नुकसान दिखाया है । आडिटेड बैलेन्स-शीट की सत्यता की जांच उसी समय संभव है जबकि यूनियन नियमानुसार अपना विवाद लाकर यह सिद्ध करे कि बैलेन्स-शीट गलत है ।

*२०-२१—श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़)—

[नवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

बस्ती जिले में गांवों की पटाई

*२२—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार दिनांक १०फरवरी, १९६५, के प्रश्न संख्या ३३-३४ के संदर्भ में जांच करके बतायेगी कि जिला बस्ती विकास खंड खलरहा के चौराई ताल तथा उसकाबाजार विकास खंड के हथिवड़ ताल गांव अभी पूरा नहीं पट सका है और तमाम काम आधा पटा हुआ पड़ा है ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं । काम पूरा हो गया है ।

*२३—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार उपरोक्त ग्रामों को इस वर्ष पटवाने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री राममूर्ति—

प्रश्न ही नहीं उठता ।

*२४-२५—श्री रघुनाथ सिंह—

[नवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

बांदा जिले में स्थानापन्न सहायक विकास अधिकारी

*२६—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बांदा में किस-किस ब्लाक में ए० डी० ओ० कितने साल से बी० डी० ओ० के स्थान पर कार्य कर रहे हैं जो आज तक स्थाई पद पर नहीं किये गये ?

श्री राममूर्ति—

जिला बांदा में इस समय निम्नांकित सहायक विकास अधिकारी स्थानापन्न रूप से क्षेत्र विकास अधिकारी के पद पर प्रत्येक के सम्मुख अंकित तिथि से कार्य कर रहे हैं—

नाम ए० डी० ओ० जो स्थानापन्न रूप से क्षेत्र विकास अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं		क्षेत्र का नाम जिसमें कार्य कर रहे हैं	स्थानापन्न क्षेत्र विकास अधिकारी पद पर वर्तमान विकास क्षेत्र में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	स्थानापन्न रूप से क्षेत्र विकास अधिकारी पद पर कब से काम कर रहे हैं उसकी तिथि
१—श्री प्रेम पाल सिंह	..	महुवा	२७-४-६४	२६-१०-५९
२—श्री अजीत सिंह	..	बिसन्डा	३-८-६३	६-७-१९६१
३—श्री सोमनाथ मलिक	..	कमासिन	१-३-६४	१-३-१९६४

*२७—२८—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

[नवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

बभनी विकास खण्ड में अस्पताल की मांग

*२९—श्री रामप्यारे—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद में सबसे दूर स्थित जंगली तथा पहाड़ी विकास खंड बभनी में कोई अस्पताल अथवा औषधालय नहीं है, न अन्य कोई उपचार या साधन ही है ? यदि हां, तो क्या यहां की इस विकट स्थिति को देखते हुये एक अस्पताल चालू वित्तीय वर्ष में खोलने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मिर्जापुर जिले के बभनी विकास खंड के अन्तर्गत स्थान सागों बांध में जिला परिषद का (राजकीय सहायता प्राप्त) आयुर्वेदिक औषधालय कार्य कर रहा है। गत वर्ष (१९६४–६५) में इस ब्लाक के ग्राम जरहा में ४ शय्यायुक्त राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना हेतु भी आदेश जारी किये जा चुके हैं। इनके अलावा बभनी विकास क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत एक एलोपैथिक औषधालय भी यथासमय उक्त विकास खंड में स्थापित किया जायगा।

*३०—श्री केदारनाथ भार्गव (जिला मथुरा)—

[नवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*३१–३३—श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी)—

[नवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

नवगढ़ तथा बलुआ सहकारी बीज भण्डारों में गबन

*३४—श्री रामलखन वकील (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले में कोआपरेटिव बीज भंडार कहां-कहां पर हैं, उनमें कौन-कौन सुपरवाइजर तथा कामदार कब-कब से काम कर रहे हैं तथा उनमें कितने ऐसे सुपरवाइजर तथा कामदार हैं जो बीज भंडार स्थित गांव के ही हैं ?

श्री बनारसीदास—

यदि सदस्य महोदय चाहें तो यह विवरण मेरे कमरे में आकर प्राप्त कर सकते हैं।

*३५—श्री रामलखन वकील—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले के किन-किन बीज भंडारों का गबन तथा गोलमाल की रिपोर्ट अधिकारियों को प्राप्त हुई है तथा उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बनारसीदास—

नवगढ़ और बलुआ सहकारी बीज भंडारों में गबन तथा गोलमाल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। दोनों बीज भंडारों के गबन में सम्बन्धित सुपरवाइजर उत्तरदायी पाये गये जो निलंबित कर दिये गये हैं और उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासन की कार्यवाही हो रही है।

नवगढ़ बीज भंडार के एक सुपरवाइजर के विरुद्ध पुलिस जांच भी हो रही है।

इलाहाबाद में लड़कियों का आई० टी० आई०

*३६—श्री कल्याणचन्द मोहिले तथा श्री सालिग्राम जैसवाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद में सन् १९६४ के अगस्त महीने में आई० टी० आई० के लड़कियों का स्कूल बन्द था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

इलाहाबाद स्थित लड़कियों का आई० टी० आई० अगस्त, १९६४, में बन्द नहीं रहा ।

*३७-३८—श्री नत्था राम रावत (जिला बाराबंकी)—

[सातवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ७१-७२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

राबर्ट्सगंज तहसील में चिकित्सालय

*३९—श्री रामनाथ पाठक (जिला मिर्जापुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले की तहसील राबर्ट्सगंज में जो जनाना अस्पताल खोलने का आदेश हुआ है वह कब तक खुलेगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

रावर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर में महिला अस्पताल की स्थापना के लिये कोई आदेश नहीं है । अतः वहां अस्पताल खुलने का अभी प्रश्न नहीं उठता ।

*४०—श्री रामनाथ पाठक—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राबर्ट्सगंज के ब्लाक नगवा, चतरा, चोपन, राबर्ट्सगंज, घोरावल में एलोपैथिक या आयुर्वेदिक कितने अस्पताल है और कितनी दूरी पर हैं और जिस ब्लाक में ५० मील दूरी में अस्पताल नहीं है उसमें जल्द अस्पताल बनवाने का प्रबन्ध सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री दाउदयाल खन्ना—

राबर्ट्सगंज तहसील के ब्लाकों में एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थिति इस प्रकार है :

नाम ब्लाक	एलोपैथिक अस्पताल	आयुर्वेदिक अस्पताल
१—नगवा	१	..
२—चतरा	१	१
३—चोपन	४	..
४—राबर्ट्सगंज	३	..
५—घोरावल	१	१

उपर्युक्त ब्लाकों में से ब्लाक नगवा और चतरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन न मिलने के कारण स्थापित नहीं किये जा सके हैं और भवन मिलते ही खोल दिये जायेंगे । चतरा ब्लाक का आयुर्वेदिक अस्पताल ब्लाक केन्द्र पर है । चोपन ब्लाक के ४ एलोपैथिक अस्पतालों में से २ ब्लाक केन्द्र पर, एक १२ मील दूर ओबरा में तथा एक २० मील दूर कोन में है । रावर्ट्सगंज ब्लाक के ३ एलोपैथिक अस्पतालों में से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एक ५ मील दूर चुर्क में तथा एक ७ मील दूर गुरमा कैम्प में है । घोरावल का एलोपैथिक औषधालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तथा आयुर्वेदिक औषधालय १२ मील दूर शाहगंज में है ।

*४१—श्री रामनाथ पाठक—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगवा ब्लाक जो लगभग ५०० मील लम्बा है उसमें दवा का कोई प्रबन्ध नहीं है और उसकी जल्द व्यवस्था करने की कृपा सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

नगवा ब्लाक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है परन्तु भवन न मिलने के कारण खोला नहीं जा सका। उपयुक्त भवन उपलब्ध होने पर वह केन्द्र खोल दिया जायगा।

*४२—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

[उत्तर दिया जा चुका है।]

*४३-४५—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

[नवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*४६-४८—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

[नवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

अध्यक्ष, जिला परिषद्, हरदोई द्वारा चन्दा वसूल करने की शिकायत

*४९—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अध्यक्ष, जिला परिषद्, हरदोई ने अध्यापकों से जबरदस्ती चन्दा वसूल करके लगभग एक लाख रुपया बैंक में अपने नाम से जमा किया है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा कोई ऐसा आदेश दिया गया है?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं।

*५०—५१—श्री मंगलप्रसाद आर्य तथा श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

[नवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

झांसी में खुलने वाला मेडिकल कालेज

*५२—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि दिनांक १८ जनवरी, १९६५ को मुख्य मंत्री को सीपरी बाजार तथा शहर की जनता द्वारा इस आशय का कोई प्रार्थना-पत्र उन्हें दिया गया है कि मेडिकल कालेज जो झांसी में खोला जाने वाला है वह जर्मन अस्पताल के समीप जो ७५ एकड़ नजूल लैंड सरकारी पड़ी है, में ही खोला जाय? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां। उक्त प्रार्थना-पत्र की एक प्रति स्वास्थ्य सेवा निदेशक व जिलाधीश, झांसी, को उचित कार्यवाही हेतु भेजी गई है।

*५३—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि कितने समय में व किस स्थान पर झांसी नगर में मेडिकल कालेज का कार्य प्रारम्भ होगा?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

झांसी में चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजना काल में एक मेडिकल कालेज खोले जाने का विचार है। कितने समय में व किस स्थान पर प्रस्तावित मेडकिल कालेज का कार्य प्रारम्भ होगा, यह अभी बताना संभव नहीं है।

*५४--५५--श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

[नवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*५६--श्री मतोलासिंह--

[नवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५७--श्री मतोला सिंह--

[आठवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*५८--श्री कन्हैयालाल--

[सातवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ७३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

मथुरा जिले में सहकारी सुपरवाइजर व इन्सपेक्टर

*५९--श्री कन्हैयालाल--

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में कितने सुपरवाइजर व इंसपेक्टर (ए० डी० ओ० कोआपरेटिव) ऐसे हैं जो पिछले पांच वर्ष से अधिक से मथुरा में ही मौजूद हैं ? क्या ऐसे लोगों के नाम व अवधि मंत्री जी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसीदास--

१० सुपरवाइजर, १ इन्सपेक्टर और १ ए० डी० ओ० (कोआपरेटिव) ऐसे है जो पिछले पांच वर्षों से अधिक से मथुरा में काम कर रहे हैं। इनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८८९ पर।)

*६०--६२--श्री मेड़ीलाल (जिला बाराबंकी)--

[नवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

पी० एम० एस० १ और २ का विलयन

*६३--श्री झारखण्डेराय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पी०एम० एस० १ और पी० एस० एस० २ दोनों का विलयन (मर्जर) निर्णय लागू हो गया है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

इन दोनों सेवाओं का विलयन १-११-६४ से हो गया है ।

*६४--श्री झारखण्डेराय--

क्या यह सही है कि विलयन के बाद भी पी० एम० एस० २ के कैडरों को पी०एम०एस० १ के समान वेतन भत्ता तथा अन्य सुविधायें नहीं मिल रही हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

पी० एम०एस० २ के अधिकारियों को नये वेतन-क्रम के स्वीकार करने के संबंध में एक घोषणा-पत्र महालेखापाल, उत्तर प्रदेश को भेजना है । इस घोषणा-पत्र के प्राप्त होने के पश्चात् महालेखापाल उक्त अधिकारियों को पी० एम० एस० १ के समान वेतन तथा भत्ते देने के बारे में पुनरीक्षित भुगतान प्रमाण जारी करेंगे ।

*६५—श्री झारखण्डेराय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस निर्णय से पी० एम० एस० २ के कितने कैडर प्रभावित हुये हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

पी० एम० एस० २ के पुरुष तथा महिला कैडर प्रभावित हुये हैं ।

सहकारी निरीक्षकों की पदोन्नति तथा श्री शिवदर्शन का आवेदन-पत्र

*६६—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी पर्यवेक्षकों की पदोन्नति का आधार क्या है तथा सहकारी पर्यवेक्षक की सूची में बीच के कुछ को छोड़कर क्रम संख्या ९०० तक के पदोन्नति पा चुके हैं ? यदि हां, तो बीच वालों की पदोन्नति रोक रखने के मुख्य कारण क्या हैं और यह कब तक पदोन्नति पा सकेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

यू० पी० सबार्डीनेट कोआपरेटिव सर्विस रूल्स के अन्तर्गत सहकारी निरीक्षक, ग्रूप, २ के पदों पर २५ प्रतिशत स्थान आडीटर तथा सहकारी पर्यवेक्षकों की पदोन्नति से भरे जाते हैं। केवल उन्हीं सहकारी पर्यवेक्षकों की पदोन्नति के मामले पर विचार किया जाता है जो कम से कम हाई स्कूल पास हों तथा ४० वर्ष तक की आयु के हों ।

सहकारी पर्यवेक्षकों की टाइम स्केल की पुरानी तालिका के ९०० नम्बर तक के पर्यवेक्षकों की पदोन्नति के मामले पर विभिन्न वर्षों में विचार किया गया था और उनमें से ये पर्यवेक्षक जो हाई स्कूल पास नहीं थे एवं ४० वर्ष की आयु के ऊपर के थे या उनका कार्य सन्तोषजनक नहीं था, पदोन्नति नहीं पा सके । इन लोगों की पदोन्नति के मामलों पर अब आदेश शासकीय आदेश संख्या १०७६८/३८-ए—६९१/६४, दिनांक १४-१२-६४ के आधार पर, जिसमें कि कोई आयु का प्रतिबन्ध नहीं है, भविष्य में विचार किया जायेगा ।

*६७—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त सहकारी पर्यवेक्षक, श्री शिवदर्शन मिश्र के कोई आवेदन पत्र श्री निबन्धक महोदय, सहकारी समितियों, उत्तर प्रदेश को पृथक् १३ फरवरी, १९६४ तथा २ फरवरी, १९६५ के प्रथम सप्ताह के प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

श्री शिवदर्शन के आवेदन पत्र निबन्धक के कार्यालय में १३-२-६४ तथा ३०-१-६५ को प्राप्त हुये जिनका उत्तर इस निबन्धक के कार्यालय में दिनांक ११-३-६४ तथा दिनांक २०-२-६५ को प्रेषित कर दिया है ।

बाराबंकी जिले में वृद्धावस्था पेंशन

*६८—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में ओल्ड एज पेंशन की एप्लीकेशन कितने-कितने दिनों की पड़ी हैं जिन पर कोई निर्णय नहीं हुआ ?

श्री बनारसीदास—

सब से पुराना प्रार्थना-पत्र जिस पर कोई निर्णय नहीं हुआ, जून, १९६४ का है ।

*६९—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

अप्रैल, १९६४ से फरवरी, १९६५ तक उक्त जिले में किन-किन लोगों ने ओल्ड एज पेंशन की एप्लीकेशन दीं और उनमें से किन-किन की स्वीकार हुयीं ? उनके नाम और पते क्या हैं ?

श्री बनारसीदास—

यह सूचना तालिका में दी गई है जो सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी ' च' आगे पृष्ठ ८९०–८९२ पर ।)

*७०—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या सरकार ऐसे आदेश जारी करेगी जिससे पेंशन का निर्णय बहुत ही शीघ्र हो जाया करे ?

श्री बनारसीदास—

जी हां, इस संबंध में आदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं ।

मिश्रित प्रणाली के डाक्टरों की नियुक्ति

*७१—श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डाक्टर विहीन एलोपैथिक डिस्पेंसरियों के लिये मिश्रित प्रणाली के स्नातकों का चुनाव हो जाने पर भी उनकी नियुक्ति में क्यों देर हो रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इनकी नियुक्ति के संबंध में आवश्यक आदेश दे दिय गये हैं ।

*७२—श्री ऋषिनारायण शास्त्री—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जोशी कमेटी की सिफारिश मुख्य मंत्री के आश्वासन एवं विभागीय विज्ञापन के बाद सेलेक्शन हो जाने पर भी इंडियन मेडिसिन बोर्ड के स्नातकों की गजटेड पोस्टों पर क्यों नहीं नियुक्ति की जा रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

स्थिति ऐसी नहीं है, बल्कि इंडियन मेडिसिन बोर्ड के स्नातकों को भी इन गजटेड पोस्टों पर नियुक्ति के लिये चुन लिया गया है तथा आवश्यक आदेश दे दिये हैं ।

*७३—श्री ऋषिनारायण शास्त्री—

क्या सरकार को यह मालूम है कि इंडियन मेडिसिन बोर्ड और विश्वविद्यालयों की आयुर्वेद यूनानी फैकल्टियों का पाठ्यक्रम व प्रवेश योग्यता उपाधि आदि के समान होने पर भी उनके, स्नातकों के अधिकारों में अन्तर किया जा रहा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

उपर्युक्त उत्तर को ध्यान में रखते हुये इसका प्रश्न नहीं उठता ।

स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, उझानी के हाउसमैन के विरुद्ध जांच

*७४—श्री सूरजपालसिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० स्टेट बेयर हाउसिंग कारपोरेशन में असिस्टेंट स्टोरेज आफिसर का स्थान सरकार द्वारा स्वीकार है कि नहीं ? यदि नहीं, तो उस स्थान पर कर्मचारी क्यों नियुक्त हैं ?

श्री बनारसीदास--

प्रथम भाग--जी हां ।

द्वितीय भाग--प्रश्न नहीं उठता ।

*७५--श्री सूरजपालसिंह यादव--

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वेयर हाउसमैन यू०पी० स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, उझानी अपने निजी मुकदमें की पैरवी के लिये दिनांक २५ मार्च, १९६४ व १८ अप्रैल, १९६४ व २ तथा १८ मई, १९६४ व २ जून को न्यायालय श्रीमान् जे० ओ० विसोली, जिला बदायूं में बिना छुट्टी के हाजिर रहे ? यदि हां, तो विभाग ने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास--

जांच की जा रही है ।

*७६--श्री रमेशचन्द्र शर्मा--

[नवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*७७--श्री उल्फतसिंह यादव--

[नवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

कानपुर सूती मिल्स श्रमिक यूनियनों का सर्वेक्षण

*७८--श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर), श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद), श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर) तथा श्रीमती रामरती (जिला फैजाबाद)--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६१ से १९६३ के बीच सरकार ने कानपुर के सूती मिलों के श्रमिक यूनियनों का १ मार्च, १९६२ से अगस्त, १९६२ तक का कोई सर्वेक्षण कराया है ? यदि हां, तो कब और क्या रिपोर्ट आई ?

श्री बनारसीदास--

जी हां, सर्वेक्षण १९६२ व १९६३ में किया गया । इस जांच के फलस्वरूप जो तथ्य पाये गये यह संलग्न तालिका में दिये गये हैं, जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८९३ पर)

*७९--श्री ज्वालाप्रसाद, श्री महरामसिंह, श्रीमती शकुन्तला देवी तथा श्रीमती रामरती--

क्या राष्ट्रीय टेक्सटाइल यूनियन की सदस्य संख्या अधिक है ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो कब तक करेगी ?

श्री बनारसीदास--

जी हां, जिन ९ मिलों में राष्ट्रीय टेक्सटाइल मजदूर यूनियन की सदस्य संख्या अधिक है । उनके प्रबन्धकों को लिखा गया है कि ये उद्योग अनुशासन संहिता के अन्तर्गत इस यूनियन को मान्यता प्रदान करें ।

खड्डा चीनी मिल में मजदूरों के साथ समझौता

*८०—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि १४ फरवरी, १९६५ को देवरिया की खड्डा चीनी मिल के व्यवस्थापकों और उस मिल के चीनी मिल मजदूर संघ के नेताओं के बीच समझौता हुआ है और समझौते के तुरन्त बाद से व्यवस्थापक, श्री दीक्षित, के उत्पात गाली-गलौज, गुंडागर्दी और मजदूरों की तनज्जुली करने से औद्योगिक अशांति की अशंका पैदा हो गई है जिसकी सूचना मंत्री जी को श्री समुन्दर सिंह ने दी है? यदि हां, तो कौन सी उचित कार्यवाही अमल में लाई गई है ?

श्री बनारसीदास—

जी हां, १४-२-६५ को खट्डा चीनी मिल के व्यवस्थापकों और चीनी मिल मजदूर संघ के मध्य एक समझौता हुआ है। समझौते के तुरन्त बाद मिल के व्यवस्थापक श्री दीक्षित द्वारा कथित उत्पात, गालीगलौज, गुन्डागर्दी तथा मजदूरों की तनज्जुली करने की शिकायत शासन को प्राप्त हुई थी जो जांच करने पर सत्य नहीं पाई गई।

गोंडा जिले के सघन विकास क्षेत्रों में कुओं का निर्माण

*८१—श्री सुखदेवप्रसाद, (जिला गोंडा) तथा सरदार बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सघन विकास क्षेत्र चीनी मिल तुलसीपुर व बलरामपुर, जिला गोंडा के अन्तर्गत किन-किन किसानों को सिंचाई के कुवें बनाने हेतु सन् १९६२ से १९६४ तक सरकार द्वारा अनुदान या धन प्राप्त हुआ? उनमें से किन-किन के कहां-कहां कुवे पूर्णतया बन चुके हैं ?

*८२—क्या यह सत्य है कि अधिकांश कुयें नहीं बने और बने हैं तो अधूरे रह गये हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्यवाही सम्बंधित अधिकारियों का हाथ होने के कारण नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों और दोषी पाये जाने पर जांच कराकर उन कर्मचारियों को दण्ड देने की कृपा करेगी?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*८३-८४—श्री बसन्तलाल शर्मा तथा दलजीतसिंह—

[हटा दिये गये।]

टिउलिया ग्राम में औषधालय न खुल सकना

*८५—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली जिले के अन्तर्गत ग्राम टिउलिया में एक राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का निश्चय आयुर्वेदिक विभाग ने डेढ़ वर्ष से भी पहले लिया था? यदि हां, तो अब तक ग्राम टिउलिया में उपरोक्त औषधालय न खोलने के कारण क्या हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सीमित प्राविधान एवं अन्य स्थानों पर अपेक्षाकृत आवश्यकता अधिक होने के कारण वहां औषधालय खोलना अब तक सम्भव नहीं हो सका है।

शादियाबाद क्षेत्र में पशु चिकित्सालय

*८६—श्री राजनार्थसिंह (जिला गाजीपुर)—

क्या शादियाबाद क्षेत्र में, जो जनपद का सबसे पिछड़ा भाग है विकास खण्डों के मुख्य स्थान (कार्यालय) के अतिरिक्त किन स्थानों पर पशु चिकित्सालय खोलने की योजना है ?

क्या इस योजना क अन्तर्गत ग्राम बरहद झोटना परसनी के भी नाम प्रस्तावित हैं जो नदियों के कारण मुख्य स्थान से विच्छेद हो गये हैं ?

श्री राममूर्ति--

शादियाबाद क्षेत्र में मनिहारी तथा जखनियां दो विकास खण्ड स्थित हैं। मुख्यालयों पर पशु चिकित्सालय के अतिरिक्त प्रत्येक खण्ड में दो-दो पशु सेवा केन्द्र होते हैं। मनिहारी विकास खण्ड में एक ऐसा केन्द्र अस्थायी रूप से, हंसराजपुर में स्थापित है, उसके लिये भवन निर्माण का प्रश्न सक्रिय रुप से शासन के विचाराधीन है, जो बरहट या थकरांव में जहां भी भूमि पहले उपलब्ध हो गई, होना है। दूसरे पशु सेवा केन्द्र की स्थापना के लिये स्थान चयन अभी संबंधित क्षेत्र समिति द्वारा होना शेष है, जिसके लिये उसको याद दिलायी जा चुकी है। जखनियां विकास खण्ड में दो पशु सेवा केन्द्र दूल्हापुर तथा बुढ़नपुर में चल रहे हैं। इनमें से बुढ़नपुर बाला केन्द्र, स्थायी रूप से, हथियाराम या झांटना में, जहां भी भूमि पहले उपलब्ध हो गई, स्थापित होना है। ग्राम परसनी पशु सेवा केन्द्र भीमापार, क्षेत्र सादात के अन्तर्गत पड़ता है। चूंकि गांगी नदी पर पुल है अतः परसनी के निवासी सैदपुर पशु चिकित्सालय से लाभाविन्त हो रहे हैं। ग्राम परसनी से भीमापार करीब ४ मील की दूरी पर है, जहां से भी पशु सेवा की सुविधा उपलब्ध है।

अध्यक्ष, जिला परिषद् के विरुद्ध जिलाधीश, सीतापुर को पत्र

*८७--श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९६५ के अन्तिम सप्ताह में जिला सीतापुर के राजपत्रित अधिकारियों ने कोई प्रस्ताव जिला परिषद्, सीतापुर के अध्यक्ष के विरुद्ध पारित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधीश को दिया था ? यदि हां, तो वह प्रस्ताब क्या है और उस पर किन-किन अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं ?

श्री राममूर्ति--

जनवरी, १९६५ के अन्तिम सप्ताह में जिला सीतापुर के राजपत्रित अधिकारियों ने जिला परिषद्, सीतापुर के अध्यक्ष के विरुद्ध कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया था। जिला परिषद् की बैठक दिनांक २८-१-१९६५ में तथा उसी दिन सायंकाल को लाला लाजपत राय स्मारक समिति की बैठक में मुख्य अधिकारी के प्रति अध्यक्ष के व्यवहार पर रोष एवं क्षोभ प्रगट करते हुये दो प्रत्यावेदन जिलाधीश को दिये गये थे जिन पर २० अधिकारियों के हस्ताक्षर थे।

ऐन्टी मलेरिया आफिसर, रामपुर के विरुद्ध शिकायत

*८८--श्रीमती किश्वर आरा बेगम--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १७ जून, १९६४ को एंटी मलेरिया आफिस, रामपुर के समस्त कर्मचारियों ने एंटी मलेरिया आफिसर के खिलाफ अपनी तकलीफों के सम्बन्ध में जो पत्र सरकार को भेजा था उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

एंटी मलेरिया आफिसर, रामपुर के विरुद्ध वहां के कुछ कर्मचारियों की एक ऐसी शिकायत स्वास्थ्य सेवा निदेशक को प्राप्त हुई थी उस पर डिप्टी असिस्टेंट डाइरेक्टर द्वारा जांच करायी गयी।

एतमादपुर तहसील में हरनद की बाढ़

*८९—श्री शिव्वरण (जिला आगरा)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला आगरा की तहसील एतमादपुर में हर नद की बाढ़ से सैकड़ों एकड़ भूमि कई सालों से बरबाद होती आ रही है ? यदि हां, तो सरकार इस बरबादी को रोकने के लिये निकट भविष्य में क्या करने जा रही है और क्या इस नद को हजरतपुर के नालों में खुदाकर मिलवाने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

डुमरियागंज—सहजनवां बांध

*९०—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डुमरियागंज-सहजनवां बांध (जिला बस्ती) कब तक बनने जा रहा है और उसमें लग रही देरी का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—

इस वर्ष वर्षा के बाद नवम्बर, १९६५ में कार्य आरम्भ होने का अनुमान है ।

इस कार्य का सर्वेक्षण अभी पूरा नहीं हो पाया है । आशा है कि यह काम जून तक पूरा हो जावेगा ।

अतारांकित प्रश्न

१–३—श्री रामनाथ पाठक—

[नवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

४–५—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[नवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

विकास खण्डों की जीपें

६—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकार की इस घोषणा के आधार पर कि कुछ विशेष प्रकार के विकास खण्डों के अतिरिक्त अन्य समस्त खण्डों में जीप गाड़ियां वापस कर ली जायेंगी, फतेहपुर जिले में इस घोषणा का कहां तक पालन किया गया और किन-किन विकास खण्डों की गाड़ियां वापस की गयीं और कब ?

श्री राममूर्ति—

सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है किन्तु वर्तमान आपत्तिकालीन स्थिति में विकास खंडों के लिये नई जीपों की सप्लाई केन्द्रीय शासन ने स्थगित कर रक्खी है। इसलिये प्रदेश की सरकार ने यह निश्चय किया है कि विकास खण्डों की जीपें प्रथम सोपान के उन विकास खंडों को दे दी जायं जिनको अभी तक जीपें नहीं दी जा सकीं हैं, क्योंकि प्रथम सोपान के विकास खंडों में जीपों की आवश्यकता द्वितीय सोपान अथवा द्वितीय सोपानोत्तर विकास खण्डों की अपेक्षा कहीं अधिक होती हैं। इसी व्यवस्था के अन्तर्गत फतेहपुर जिले के द्वितीय सोपानोत्तर विकास खण्ड महुआ की जीप प्रथम सोपान खण्ड अमोली को स्थानान्तरित होना है ।

वाराणसी जिले में टीन का वितरण

७—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले में नियोजन विभाग द्वारा सन, ६३-६४ तथा ६४-६५ में जनवरी तक कितने टन पनारीदार टीन का कोटा कृषि-कार्य के लिये किन-किन लोगों को दिया है ? उनके नाम तथा पते क्या हैं तथा इन दो वर्षों में नियोजन विभाग ? वाराणसी को कितने टन का कोटा दिया गया है ?

श्री राममूर्ति—

१९६३–६४ में कोई कोटा न था, न बटा । सन् १९६४–६५ में जनवरी, ६५ तक १३३.३५० टन पनारीदार टीन प्राप्त हुआ जिसमें ७४.७ ८२ टन कृषि कार्य हेतु वितरित किया गया । वितरण की सूची †संलग्न है ।

विधायक, श्री नियामतुल्ला अन्सारी के निधन के सम्बन्ध में 'स्वतन्त्र भारत' में निराधार समाचार प्रकाशित होने पर आपत्ति

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, इस सदन के माननीय सदस्य नियामतुल्ला अंसारी की मृत्यु के बारे में समाचार आज के "स्वतंत्र भारत" में निकल गया है, वह बिलकुल गलत है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रामायण राय जी ने लिख कर दे दिया है ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

ठीक है, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने यह खबर पढ़ी होगी, उनके घर वालों और उनके रिश्तेदारों को कितना कष्ट होगा और हजारों रुपया उनका व्यय हो गया होगा। तो आप इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर लें कि किस प्रकार यह सूचना प्रेस को मिली तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है ।

नियम समिति (१९६४–६५) का प्रतिवेदन*

श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियम समिति (१९६४–६५) का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं । मैं इतना और निवेदन करूंगा कि वह प्रतिवेदन अभी छपा नहीं है, जब छपकर आयेगा तो बांट दिया जायगा और तब उसके बाद उस पर विचार होगा ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

प्रतिवेदन कब तक छपकर मिल जायगा ? उस पर सुझाव भी हमको देने होंगे । ऐसा न हो कि वह ऐसे ही रह जाय और छप कर देर में मिले । मैं चाहता हूं कि वह शीघ्रातिशीघ्र हमको छपकर मिल जाय ।

---

†छापी नहीं गई ।

*छापा नहीं गया ।

श्री अध्यक्ष---

हम कोशिश करेंगे कि जल्द-से जल्द मिल जाय ।

गोरखपुर जिले में राप्ती नदी के दायें किनारे पर बने बांध के अनेक स्थानों पर टूट जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

अब नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय रामलखन सिंह और माननीय कल्पनार्थसिंह की सूचना है । उसको मैंने स्वीकार कर लिया है और वह इस प्रकार से है---

"गोरखपुर जिले में राप्ती नदी के दायें किनारे पर बहुत दिनों से बने बांध जो कोठा से रकहट, रिआव से पूर और वैरिया डीह से खुटमार, कांसापुर और सेमरा तक है, कई स्थानों पर गत दो वर्षों की बाढ़ में टूट गये हैं । राप्ती के बायें किनारे पर जो इस बांध के समानान्तर बांध बना था, बल्कि अपूर्ण भी था, उसे सरकार द्वारा न केवल मरम्मत, बल्कि उसे उन स्थानों पर भी निर्मित किया जा रहा है जहां इसके पूर्व बांध नहीं था । इतना ही नहीं, कई स्थानों पर बांध बचाने के लिये ठोकर बनाकर नदी की धार को मोड़ने का भी काम शुरू है । इसके ठीक विपरीत गोरखपुर में बने हुये बांध की न तो मरम्मत ही हो रही है न उसे बनाया ही जा रहा है । ठोकर बनाकर बांध बनाने की बात तो बहुत दूर है । सरकार के इस कार्य से गोरखपुर जिले के लाखों निवासियों को खतरा पैदा हो गया है । इस कार्य से जनता में घोर असन्तोष एवं रोष व्याप्त हो रहा है कि एक ही सरकार नदी के पानी को एक जिले से हटा कर दूसरे जिले की जनता को तबाही पैदा कर रही है । सरकार का यह फर्ज था कि वह दोनों किनारों पर एक ही साथ बांध और उसके बचाव की ठोकर बनाने की कोशिश करती, किन्तु कार्य इसके विपरीत हो रहा है । अतः नियम ५२ के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा चाहता हूं ।"

इस पर माननीय मन्त्री जी, कब वक्तव्य दीजियेगा ?

विद्युत उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)---

दूसरे मंगलवार को हम दे देंगे ।

प्रदेश के कुछ जिलों में उपल-वृष्टि के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---

बुन्देलखंड के सम्बन्ध में मैंने एक दफा ५२ के अन्तर्गत नोटिस दिया था । प्रदेश से वहां की स्थिति भिन्न है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

हम लोगों ने भी म्योर मिल के सम्बन्ध में एक सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय विजय सिंह, माननीय चन्दन सिंह, माननीय जमादार सिंह और माननीय बैजनाथ पांडेय ने ओला और वर्षा से जो क्षति हुई है उसके सम्बन्ध में दिया है । उसको मैंने माननीय राजस्व मन्त्री के पास भेज दिया है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

६ हजार मजदूर वहां पर बेकार है और मिल में तालाबन्दी है तो इस सम्बन्ध में मैंने सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष---

जितनी सूचनायें आती हैं, प्रत्येक के ऊपर मैं पढ़ कर अपना आदेश दे देता हूं। जो आदेश लिख कर दिया गया है उसको आप देख लें। अगर आप समझते हैं कि गलत तौर पर मैंने उसको समझा है तो आप मुझे समझा दीजिये, मैं उसको बदल दूंगा।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

इलाहाबाद नगरपालिका काम नहीं कर रही है, वहां पर झगड़ा है।

श्री अध्यक्ष---

इलाहाबाद में ही थोड़े झगड़ा है। बहुत सारे झगड़े हैं।

विधायक, श्री नियामतुल्ला अन्सारी के निधन के सम्बन्ध में "स्वतंत्र भारत" में निराधार समाचार प्रकाशित होने पर आपत्ति---(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---

माननीय रामायण राय ने और जैसा कि बैजनाथ सिंह जी ने अभी उल्लेख किया है, मैंने भी इस समाचार पत्र को पढ़ा और मुझे भी दुख हुआ कि जो बात यहां पर निश्चित रूप से जानी जा सकती थी उसको न जानकर यह छाप दिया गया कि विधायक की बलरामपुर अस्पताल में मृत्यु हो गई। इस प्रकार की गम्भीर सूचना को प्रकाशित करना बगैर उसकी तस्दीक किये हुये, मैं समझता हूं, बड़ी असावधानी है। इसका परिणाम यह हो सकता है कि जो उनके सम्बन्धीगण होंगे उनको कितनी परेशानी होगी। मैं समझता हूं कि प्रत्येक गंभीर समाचार को इतनी असावधानी से छाप देना बहुत ही अनुचित है और मैं चाहूंगा कि "स्वतंत्र-भारत" इसका परिष्कार करे और यह जानने की कोशिश करे कि उन के संबंधी कौन हैं और उनको तार द्वारा वह सूचित करे कि यह गलत छप गया है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---

मैं आप से आग्रह करूंगा कि यह समाचार तार द्वारा सूचित करें, इसके आदेश तो आपने दे दिये हैं, लेकिन मेरा आग्रह यह है कि यह समाचार रेडियो द्वारा प्रसारित किया जाना चाहिये, क्योंकि "स्वतंत्र भारत" गोरखपुर में बहुत काफी संख्या में वितरित होता है और उसी स्थान से वह आते हैं।

श्री अध्यक्ष---

यह तो .....

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

संबंधियों की सूची दे दी जाय उसको।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

मेरी एक वैधानिक आपत्ति है। उसे सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

यह सुनने की बात नहीं है। आपने अपनी बात मुझे भेजी है, मैं उस पर विचार करके निर्णय दूंगा। आज कोई सवाल नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

"स्वतंत्र भारत" करे या न करे, लेकिन आप तो कर ही दीजिये। आप इसके लिये कोई अधिकारी नियुक्त करें और वह उनके निकट संबंधियों को सूचित करे।

श्री अध्यक्ष---

अगर "स्वतंत्र भारत" कार्यवाही नहीं करेगा तो हम उसके लिये कुछ कार्यवाही करने के लिये मजबूर होंगे । उसे सूचित करना चाहिये ।

कतिपय विषय

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता था। हम लोगों की ओर से नियम ५२ का प्रस्ताव म्योर मिल, कानपुर के संबंध में दिया गया था। वहां तालाबन्दी चल रही है। मेरे पास तार आया है। मैं चाहता हूं कि इस पर आप श्रम मंत्री जी का ध्यान दिला दें कि वह जल्दी ही इस पर वक्तव्य दें ताकि समस्या का हल निकले। कानपुर के झगड़े का असर सारे प्रदेश पर पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष---

इस संबंध में मैंने आदेश दिया हैं । आप प्रश्न पूछ लीजिये, जबाव आ जायगा ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

मैं एक सूचना चाहता था । समाचारपत्रों में छपा है कि नगरमहापालिकाओं के चुनाव स्थगित कर दिये गये, समय बढ़ा दिया गया लेकिन नगर प्रमुखों के चुनाव होंगे और वह इसी अप्रैल, में ही होंगे । तो मै यह जानना चाहता हूं कि इस पर कैबिनेट का डिसीजन क्या है ।

श्री अध्यक्ष---

इसके लिये प्रश्न कर लीजियेगा ।

†उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६५---(क्रमागत)*

खण्ड ११

धारा २२९-ख का संशोधन

११---मूल अधिनियम की धारा २२९-ख की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात् :---

किसी जोत अथवा उसके भाग का आसामी होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणात्मक वाद

"(१) किसी जोत अथवा उसके भाग का अकेला अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप सें आसामी होने का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसी जोत या भाग में आसामी के रूप में अपने अधिकारों के प्रख्यापन के लिए खातेदार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकता है ।"

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ११ और १२ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

मैं खंड १२ का विरोध करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

लेकिन आपने तो १३ के संबंध में लिखा है ।

श्री कमलासिंह यादव---

लेकिन मुझे विरोध करने का तो अधिकार है ही ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

† ३१ मार्च, १९६५ की कार्यवाही में छपा है ।

*६ अप्रैल, १९६५ की कार्यवाही से ।

खण्ड १२

१२--मूल अधिनियम की धारा २३० की उपधारा (२) के खंड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:-- धारा २३० का संशोधन।

" (ट) इस अध्याय के अधीन वादों, प्रार्थना-पत्रों और अन्य व्यवहारों में, तथा इस अध्याय को लागू करने से सम्बद्ध सामान्यतया सभी विषयों में न्यायालयों तथा अधिकारियों का पथ-प्रदर्शन; और "

*श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मैं खंड १२ का विरोध करता हूं ।

जहां तक खंड १२ का संबंध है, माननीय त्रिपाठी जी ने पिछले दिन कमेन्ट दिया था कि सरकार का जो ला-डिपार्टमेन्ट है वह बहुत गैर-जिम्मेदाराना काम कर रहा है। मैं भी यही साबित करना चाहता हूं कि वाकई ला-डिपार्टमेंट सोता रहता है और लकीर के फकीर मंत्री जी बने हुए हैं। जो वे लिख कर भेज दें उस पर मुहर लगा दी जाती है। मैं आपका ध्यान धारा १२ की ओर दिलाना चाहता हूं--

"मूल अधिनियम की धारा २३० की उपधारा (२) के खंड (ट)" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात:--

"(ट) इस अध्याय के अधीन वादों, प्रार्थना-पत्रों और अन्य व्यवहारों में, तथा इस अध्याय को लागू करने से संबद्ध सामान्यतया सभी विषयों में न्यायालयों तथा अधिकारियों का पथ- प्रदर्शन, और"। तो जहांतक इस अध्याय को लागू करने का सवाल है, हमने कहीं नहीं देखा कानून के अन्दर कि अध्याय को लागू किया गया हो, हमेशा उसके प्रयोजन या उसके द्वारा दिये निर्देश लागू होते हैं। इसीलिये मैंने जानबूझ कर संशोधन नहीं रखा कि मंत्री जी अपने विभाग पर कहां तक रिलाई करते हैं यह मैं समझूं। मैं एक बात और दिखाना काहता हूं कि अगर ओरिजिनल ऐक्ट को देखें तो उसकी धारा १२८(१) में दिया हुआ है, "राज्य सरकार को अधिकार होगा कि इस अध्याय के निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिये....." तो जहां निर्देश होगा वहां वह कार्यान्वित होगा, लेकिन जहां प्रयोजन होगा वहां अध्याय कैसे कार्यान्वित होगा ? तो जिस विधेयक के अन्दर इस तरह से गैरजिम्मेदाराना बात हो, उसका मैं समर्थन नहीं कर सकता। मैं इस धारा का सख्त विरोध करता हूं। अगर यह स्वीकृत हो गयी तो यह घसीट सी चीज होगी और किसी जज के सामने यह जायगा तो यही कहेगा कि अध्याय को कैसे कार्यान्वित किया जाय। इसलिये मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

*माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बदकिस्मती है कि मेरी और भाई कमलासिंह की राय मिलती नहीं है। या तो हममें कोई खामी है या हमारे भाई में है जो मैं नहीं कह सकता। अगर यह संशोधन पढ़ा जाय जो रखा गया है तो, " इस अध्याय के अधीन वादों, प्रार्थना-पत्रों और अन्य व्यवहारों में, तथा इस अध्याय को लागू करने से संबद्ध सामान्यतया सभी विषयों में...." तो यहां तात्पर्य है कि जो विषय हैं अध्याय के, उनको लागू करने से मतलब है। लफ्ज बिलकुल साफ हैं और कमलासिंह जी कुछ गलतफहमी में बहस कर गये हैं। उनसे मैं सहमत नहीं हूं और मैं इस खंड को सपोर्ट करता हूं ।

श्रीकमला सिंह यादव--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी यह समझे नहीं। अध्याय को कभी भी आप लागू नहीं कर सकते। अध्याय की धाराओं को लागू करेंगे और अध्याय के प्रयोजनों को लागू करेंगे। यह समझ में नहीं आता।

---

*कमला ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो नियम बनाने के जो अधिकार दिये गये हैं उनके अन्तर्गत है और उसका शीर्षक यों है—"इस अध्याय के निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है। पूर्वोक्त अधिकारों की व्याप्ति को बाधित न करते हुये ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था करते हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, जो मूल अधिनियम पढ़ा उसमें १२८ में अधिकार दिया गया है कि "राज्य सरकार को अधिकार होगा कि इस अध्याय के निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिये....." यहां श्रीमन्, माननीय मंत्री जी कह सकते हैं कि इस अध्याय के जो प्रयोजन हैं उनके विषय से संबंधित नियम बनेंगे, लेकिन श्रीमन्, इसको इस तरह से जरा पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १३

नयी धारा २७४-क का बढ़ाया जाना

१३—मूल अधिनियम की धारा २७४ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

पांच पैसे के गुणित में पूर्णांकन।

"२७४—क—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, यदि किसी व्यक्ति द्वारा मालगुजारी या उसकी किसी किस्त के मद्धे देय धनराशि में पांच पैसे का कोई भाग ग्रस्त हो तो ऐसी भिन्नांक धनराशि पांच पैसे के निकटतम गुणित तक पूर्णांक कर ली जायगी।"

*श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं खंड १३ का विरोध करता हूं।

श्रीमन्, धारा १३ में दिया गया है कि—मूल अधिनियम की धारा २७४ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"२७४—क—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, यदि किसी व्यक्ति द्वारा मालगुजारी या उसकी किसी किस्त के मद्धे देय धनराशि में पांच पैसे का कोई भाग ग्रस्त हो तो ऐसी भिन्नांक धनराशि पांच पैसे के निकटतम गुणित तक पूर्णांक कर ली जावेगी।"

इसका मतलब यह हुआ कि तीन पैसे तक अगर होगा तो पांच पैसे मान लिये जायेंगे और इस तरीके पर अगर देखें तो हजारों रुपया सरकार कलेक्ट कर लेगी। श्रीमन्, मैं यहां पर १९६ (१) भी पढ़ना चाहता हूं। "दि रेवेन्यू पेबुल बाई भूमिधर आर सीरदार शैल बी राउन्डेड अपटु दि नियरैस्ट नया पैसा"। श्रीमन्, सरकार ने तो एक नया पैसा से १०० नये पैसे तक बन दिया है, और सारे क्वाइन हैं। क्वाइन के रहते हुए इस तरह की चीजें रक्खी जायं जबकि नियम के अन्तर्गत यह दिया गया है कि नियरैस्ट नये पैसे तक होगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जालिम की तलवार सब के सिर पर घूम रही है और माननीय मंत्री जी के सिर पर भी। सरकार यह चाहती है कि किसानों की हड्डी जो बची हुई है उसे भी जितना चूस सकें चूस लें। मैं बताना चाहता हूं कि यह जो बनियागिरी की भावना है वह नहीं होनी चाहिये। इन्सायिनत की भावना होनी चाहिये। अगर आप किसान का सुधार करना चाहते हैं। ...तो मैं आपसे कहता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं कि उसको मौका दें कि वह अपनी रीढ़ को मजबूत कर सके । इसलिये माननीय मंत्री जी इतना गलत कानून न बनायें कि तीन नये पैसे की जगह पांच नये पैसे वसूल करें। यह नहीं चाहिये। आपके नियमों में दिया हुआ है कि नीयरैस्ट नया पैसा ऐसी हालतों में होना चाहिये। इसलिये इसको इसमें से हटा देना चाहिये ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

माननीय कमला सिंह जी ने जो बात कही मैं उसका समर्थन करते हुये यह निवेदन करना चाहता हूं कि साधारण स्थिति यह है कि आज रुपये से लेकर एक नये पैसे तक रुपये का हिस्सा अपने देश में और प्रदेश में चल रहा है। पहले यह था कि आने पाई में वसूल होता था। उस वक्त अगर आना पूरा नहीं होता था तो उसे पूरा करके वसूल कर लिया जाता था। लेकिन अब डेसिमल क्वायन की व्यवस्था हो गई है। उसमें नये पैसे तक का सिक्का चलता है। आज एक नया पैसा से लेकर १०० नये पैसे तक की व्यवस्था है। इसलिये इस संशोधन द्वारा यह बड़ी ही गलत चीज सरकार रख रही है। ऐसा प्राविधान जिससे किसान को अधिक देना पड़ेगा वह सरकार करने जा रही है। यह वैसे ही है जैसे दूकानदार डंडी मार लेता है। तो यह चोरी करके अधिक पैसा एकत्र करना उचित नहीं है और इसलिये इसे हटा देना चाहिये। यह अनावश्यकरूप से किसान से अधिक रुपया वसूल करने के लिये है ।

*श्री हुकुमसिंह विसेन---

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं। न मेरी बनियावृत्ति है, न ठाकुर-वृत्ति है । इन्सान की वृत्ति है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह रिक्वेस्ट की है कि छोटे क्वायन्स की बड़ी कमी है। उसका इस्तेमाल कम होना चाहिये। जो हमने रखा है उसमें दो नये पैसे होंगे तो उसे हम छोड़ देंगे और तीन होगे तो पांच कर देंगे। तो दो छोड़ देंगे और दो बढ़ जायेंगे। उसमें फायदा क्या है ? गलतफहमी है सिर्फ ।

श्री अध्यक्ष---

दो पैसा होगा तो आप छोड़ देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जी हां, और दो से ज्यादा होगा तो पांच कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष---

तो ठीक है ।

श्री कमलासिंह यादव---

नहीं, श्रीमन्, एक नये पैसे के सिक्के की कमी है। तीन नये पैसे का सिक्का गवर्नमेंट ने चला रखा है और दो नये पैसे का भी सिक्का है। सिर्फ एक नये पैसे के सिक्के की कमी है। तो एक नये पैसे का मामला हटा लें, लेकिन तीन नये पैसे का सिक्का जब मिलता है, तो तीन की जगह पांच नये पैसे वसूल करना ठीक नहीं है। यह गलत धारणा माननीय मंत्री जी की है जो उनको नहीं अपनानी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय कमला सिंह से कि विरोध अगर होता है तो उसमें फिर उत्तर का जवाब नहीं होता। उत्तर हो जाने पर बहस समाप्त हो जाती है।

श्री कमलासिंह यादव--

यह मैंने स्पष्टीकरण किया था, श्रीमन्।

खण्ड १४--१७

धारा २७९ का संशोधन।

१४--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २७९ की संख्या बदल कर उसे उसकी उपधारा (१) कर दिया जाय, और :--

(१) इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (१) में--

(क) खंड (ङ) में शब्द "का विक्रय करके" के स्थान पर शब्द "को पट्टे पर दे कर या उसका विक्रय करके" रख दिये जायें,

(ख) खंड (च) के अन्त में आये हुए पूर्ण विराम के स्थान पर कामा तथा शब्द "और" रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्--

"(छ) बाकीदार की चल या अचल किसी सम्पत्ति का रिसीवर नियुक्त करके", और

(२) उक्त उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जाय, अर्थात्--

"(२) उपधारा (१) में उल्लिखित किसी भी प्रसर का व्यय मालगुजारी की बकाया में जोड़ लिया जायगा और वह उक्त बकाया की वसूल करने की रीति से वसूल किया जायगा।"

धारा २८१ का संशोधन।

१५--मूल अधिनियम की धारा २८१ में शब्द "गिरफ्तारी और निरोधन का व्यय, यदि कोई हो" के स्थान पर शब्द तथा अंक "बकाया, जिसके अन्तर्गत धारा २७९ की उपधारा (२) के अधीन वसूल किये जाने योग्य व्यय, यदि कोई हो, भी है," रख दिये जायें।

धारा २८२ का संशोधन।

१६--मूल अधिनियम की धारा २८२ में--

(१) उपधारा (३) में शब्द तथा अंक "धारा ६० के प्रतिबन्धात्मक अनुच्छेद" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ६० की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड" रख दिये जायें, और

(२) उपधारा (४) और (५) निकाल दी जायें।

धारा २८३ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन।

१७--मूल अधिनियम की धारा २८३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:--

"२८३--यदि भूमि प्रबन्धक समिति को धारा २७६ के अधीन मालगुजारी वसूल करने और उगाहने का भार सौंपा गया हो तो राज्य सरकार, गजट में सामान्य या विशेष आदेश प्रकाशित करके, समिति को धारा २७९ की उपधारा (१) के खंड (क), (ग), (घ) तथा (ङ) में उल्लिखित किसी एक या अधिक प्रसरों से बकाया की वसूली करने का अधिकार दे सकती है, और इस प्रकार अधिकृत हो जाने पर समिति वसूली करने में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो नियत की जाय।"

भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा वसूली की कार्यवाहियां।

खण्ड १४

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं—

"धारा १४ में (क) खंड में संशोधित शब्दों के पूर्व तथा मूल अधिनियम की पंक्ति में "उस खाते" के बाद निम्नलिखित लिख दिया जाय : "अथवा उसके किसी अंश"। इसीलिये प्रारम्भ ही में कल मैंने कहा था कि यह संशोधन करते समय माल मंत्री की आंख से कुछ ऐसी चीजें छूट गई हैं, जो बहुत आवश्यक थीं। जैसे अभी समय बीत गया और मैं पहुंच नहीं सका, जबकि खंड ११ के ऊपर विचार हो रहा था। कोई मुकदमा अगर कमिश्नर के यहां या बोर्ड आफ रेवेन्यू में इस वक्त विचाराधीन है, जो पार्ट आफ दि होल्डिंग की वजह से रद्द हो जायगा, रिमांड हो जायगा, तो यह जरूरी था कि यह कानून पेंडिंग केसेज के लिये भी लागू हो। मैंने उचित बात रखी है कि किसी के जिम्मे मालगुजारी पूरे खाते की बकाया है, मान लीजिये ५० रुपये हैं और उस खाते में १० बीघे जमीन है, तो अगर एक बीघा जमीन के बेचने से ५० रुपया आ जाता है, तो मुनासिब यह होगा कि केवल एक बीघा जमीन ही बेची जाय। आज भी हमको इजाजत है कि अगर पूरे खाते का एक मालिक है और उसमें १० नम्बर हैं तो आज के उस प्लाट का नम्बर दे करके जिसको बेचना चाहे, बेच सकता है। तब फिर आपको इस संशोधन के मानने में क्या कठिनाई है? और जब बेचना अनिवार्य हो, तभी जमीन बेची जाय और वह भी उतनी ही बेची जाय, जितने में बकाया वसूल हो जाय। इसलिये मैंने कई जगह यह संशोधन रखा है और यहां भी रख दिया है। अगर आप पूरे का पूरा खाता बेच देंगे, तो वह काश्तकार जिसकी जीविका का सहारा ही खेत है, वह बड़ी मुसीबत में पड़ जायगा। मैं चाहूंगा कि मंत्रीजी इस पर विचार करें और यदि मेरे संशोधन की शब्दावली कुछ गलत हो तो उसकी भावना को ध्यान में रखते हुए मंत्रीजी शब्दावली ठीक कर लें ताकि बकायेदार का पूरा खाता बच जाय।

*श्री हुकुमसिंह विसेन--

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मुझे ज्यादा अक्ल लगाने की जरूरत नहीं है, अगर गौर से देखा जाय तो पुराने अधिनियम में शब्द होल्डिंग है, और हमने इसमें लीज और बढ़ा दिया है। आप कहते हैं कि पार्ट आफ दि होल्डिंग जोड़ दिया जाय। इस संशोधन को मानने से पुराने ऐक्ट में जो होल्डिंग है, उसको काटकर अंश कर दें, यह उचित नहीं है। जमींदारी एबालीशन एक्ट में, कुछ पार्टीशन के खिलाफ बंदिशें हैं, जिसमें लिखा है कि इतने रकबे से अगर कम हो, तो पार्टिशन न हो। और ऐसे केसेज बहुत कम होते हैं, जिनमें नीलाम की नौबत हमें आये। आमतौर से लोग और खासकर छोटे काश्तकार सरकार का बकाया दे देते हैं। इसलिये छोटे काश्तकारों की जमीन नीलाम करने की नौबत न आयेगी और यह स्टेप तभी लिया जायगा, जब हम बिलकुल मजबूर हो जायेंगे। सरकार के सामने जब एक नियम बना हुआ है, जमींदारी एबालीशन ऐक्ट में कि इतने रकबे से कम में जुज अलग न किया जाय, तो उस नियम के खिलाफ कैसे कर सकते हैं? और फिर इसमें व्यावहारिक दिक्कतें होंगी, अन्यथा मैं त्रिपाठी जी की बात मान लेता।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस से बहुत दिनों से अलग होने के कारण एक चीज भूल रहे हैं। आपने सारी दिक्कत इसलिये बताई कि बटवारे का कोई प्राविजन नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज नियम के अन्दर कोई पूरे खाते में से एक प्लाट बेंच सकता है कि नहीं? हजारों बेनामें लिखे जाते हैं, एक नम्बर आदमी दूसरे के नाम लिख देता है, बटवारे की जरूरत नहीं पड़ती है। पार्टीशन तो तब होती है जब दो भाई एक ही जायदाद पर कब्जा करते हैं। इसलिये एक नम्बर अगर उसका बिक जाता है, तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत न होगी। इसलिये मैं चाहूंगा कि मंत्रीजी मेरे संशोधन को मान लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि धारा १४ में (क) खंड में संशोधित शब्दों के पूर्व तथा मूल अधिनियम की पंक्ति में "उस खाते" के बाद निम्नलिखित लिख दिया जाय :
"अथवा उसके किसी अंश ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

*श्री कमलासिंह यादव--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ के उप खंड (१) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"(ख) खंड 'च' के स्थान पर खंड 'छ' रख दिया जाय ।" खंड २ के ओरिजिनल में लिखा हुआ है कि बाकीदार की दूसरी अचल सम्पत्ति की कुर्की और नीलाम से और प्रस्तावित संशोधन में लिखा हुआ है कि "बाकीदार की चल या अचल किसी सम्पत्ति का रिसीवर नियुक्त करके ।" मैं इस संशोधन के जरिये मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि २७६ (ङ) में साफ लिखा हुआ है कि उस खाते का विक्रय करके जिसके संबंध में बकाया हो, और अब यह किया जा रहा है कि उसके स्थान पर "को पट्टे पर देकर या उसका विक्रय करके" रख दिया जाय। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि अगर किसी भूमि की मालगुजारी बाकी है और मंत्रीजी वसूल करना चाहते हैं, तो जो जोत होगी, उसको पट्टे पर देंगे। अगर पट्टे पर न दे सकें, तो उसका नीलाम करेंगे. . .

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मैं यह जानना चाहता हूं कि संशोधन नं० ७ पेश नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो ६ (क) पर बोल रहे हैं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

इसमें ७ (क) छपा हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

वह अलग है। माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने ६ नम्बर का संशोधन रखा है और माननीय कमला सिंह यादव संशोधन नं० ६ (क) पर बोल रहे हैं ।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं कह रहा था कि जिस जोत की मालगुजारी बाकी है, उस पर तो आप मेहरबानी करने जा रहे हैं कि जब मालगुजारी बाकी हो तो उसको पट्टे पर आप देंगे और उसके बाद उसे विक्रय करेंगे लेकिन जो यह इस विधेयक का अंश है उसके अन्तर्गत दूसरी प्रापर्टी, यानी जिसकी मालगुजारी दाखिल नहीं है उसके अलावा, प्रापर्टी को भी अटैच करने और सेल करने का सवाल है । विनाश काले विपरीत बुद्धि, वाली बात हो तब तो दूसरी बात है, वरना इसके बारे में माननीय मंत्री जी बतायें। जिस जायदाद पर मालगुजारी बाकी है उसको तो आप पट्टे पर देने का अधिकार दे रहे हैं लेकिन दूसरी प्रापर्टी जिसकी मालगुजारी बाकी नहीं है उसके लिये आप चाहते हैं कि उसको कुर्क और नीलाम कर दिया जाय इसका क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष--

आपका संशोधन समझ में नहीं आ रहा है। प्रस्तुत धारा १४ इस प्रकार से है--

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

"१४--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २७९ की संख्या बदल कर उसे उसकी उप-धारा (१) कर दिया जाय, और--

(१) इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (१) में--

(क) खंड (ङ) में शब्द "का विक्रय करके" के स्थान पर शब्द "को पट्टे पर देकर या उसका विक्रय करके" रख दिये जायं,

(ख) खंड (च) के अन्त में आये हुए "पूर्ण विराम" के स्थान पर "कामा" तथा शब्द "और" रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाय :

"(छ) बाकीदार की चल या अचल संपत्ति का रिसीवर नियुक्त करके", और"

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मैंने जो संशोधन दिया है उसमें यह है कि (च) को हटा दिया जाय और उसकी जगह (छ) रख दिया जाय और उस (छ) को निकाल दिया जाय ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

(च) के रहने या न रहने से कोई अन्तर नहीं रहता है क्योंकि छोटे किसानों पर बकाया रहती ही नहीं है, ऐसा मंत्रीजी कहते हैं । और बड़े काश्तकारों पर माननीय मंत्रीजी का वरद् हस्त रहता ही है । उनका कुछ होने वाला नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

आपका संशोधन समझ में नहीं आ रहा है । उसमें यह है--

खंड १४ के उपखंड (१) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(ख) खंड 'च' के स्थान पर खंड 'छ' रख दिया जाय ।"

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि मूल अधिनियम की धारा २७९ का (च) निकाल दिया जाय और अन्त के (छ) को उसके स्थान पर रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

आपने (च) को निकालने के बारे में तो कुछ कहा नहीं ।

श्री कमलासिंह यादव--

मैंने लिखा है कि (च) के स्थान पर (छ) रख दिया जाय ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, कोरम नहीं है । यह सत्र बिना कोरम के ही चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय उपनेता सदन, मालूम पड़ता है आपके सचेतक में स्वंय चेतना नहीं है । आज गवर्नमेंट का काम हो रहा है और एक भी सचेतक नहीं है । मालूम ही नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट का बिजनेस हो रहा है । आप बिल पायलेट कीजियेगा या कोरम देखियेगा ?

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अध्यक्ष—

श्री कमलासिंह जी, आप की बात समझ में नहीं आई ।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरी बात तो समझ में आ गई है लेकिन सवाल यही है कि संशोधन ठीक है या नहीं । मैंने तो इस में यही कहा है कि २७९ जो मूल धारा है उसके खंड 'च' के स्थान पर नयी प्रस्तावित धारा 'छ' रख दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

उसके तो कोई माने ही नहीं होते, खंड 'छ' तो है ही ।

श्री कमलासिंह यादव—

खंड 'च' के अन्त में आये हुये पूर्ण विराम के स्थान पर 'कामा' तथा शब्द "और" रख दिया और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाय और उसके स्थान पर यह (छ) रख दिया जाय "बाकीदार की चल या अचल किसी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त कर के" । तो जब हम यह रख रहे हैं कि "च" के स्थान पर 'छ' रख दिया जाय तो उसका मतलब होगा कि 'च' निकाला जाय और उसके स्थान पर यह 'छ' रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष—

यह कैसे हो सकता है ? 'च' को हटाया जाय और 'छ' को रखा जाय तो यह होगा कैसे वह तो मूल ऐक्ट में है ही नहीं, 'छ' वहां कहां है ?

श्री कमलासिंह यादव—

इसीलिये मैंने कहा है कि 'छ' निकाल दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

आप का आशय तो समझ में आ गया लेकिन यह बैठता नहीं है । जिस रूप में यह है वह स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

श्री कमलासिंह यादव—

अब तो यह आपने स्वीकार कर लिया, मैंने पेश भी कर दिया और उस पर इतना मैं कह भी चुका हूं ? इसलिये अब रोकना उचित न होगा ।

श्री अध्यक्ष—

आप ठीक कहते हैं लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि अध्यक्ष पद से मुझे यह संशोधन यहां रखना पड़ेगा और मान लीजिये यह स्वीकार हो गया तो सारी बातें बिलकुल गलत हो जायंगी, इसलिये मेरा कर्त्तव्य हो जाता है कि जो भी संशोधन में यहां रखूं वह आशयपूर्ण हों, लेकिन यह आशयपूर्ण नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव—

एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष—

ग्राह्य संशोधनों के संबंध में नियम २८४ (५) है । उसमें दिया हुआ है कि अध्यक्ष किसी प्रक्रम में किसी संशोधन को जो उनकी राय में निरर्थक हो, अननुज्ञापित कर सकेंगे या उस पर मत लेना अस्वीकार कर सकेंगे ।

श्री कमलासिंह यादव--

एक तरीका तो यह है कि निश्चित रूप से हम रख दें कि फलां चीज को हटाया जाय और उसके स्थान पर यह रखा जाय लेकिन दूसरा तरीका यह है कि 'च' के स्थान पर 'छ' को रख दिया जाय जैसा हमने यह रखा है तो इसका मतलब यह है कि.....

श्री अध्यक्ष--

मतलब जो कुछ भी हो लेकिन आप यहां इस प्रस्तुत विधेयक में संशोधन कर रहें हैं, मूल में नहीं । अगर आप का संशोधन स्वीकार किया जाय तो यह विधेयक बिलकुल निरर्थक हो जायगा और इसके कोई माने नहीं होंगे, ऐसी अवस्था में अगर गलती से आप इसे रख भी चुके हैं तो इस को अब आगे रखना उचित न होगा ।

श्री कमलासिंह यादव--

अच्छी बात है तो इस को अभी छोड़ दें, बाद में ले लें ।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, इसे मैं अस्वीकार कर रहा हूं ।

श्री कमलासिंह यादव--

अब तो परमिशन भी हो गई...

श्री अध्यक्ष--

नहीं, अब श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी, नंबर ७ का संशोधन रखें ।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि १४ (ख) द्वारा संशोधित खंड के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :

"परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जिस खाते पर बकाया है और यदि कुर्की के समय किसी कारण उस खाते के किसी भाग पर दूसरे का स्वामित्व हो गया है तो पहले उस खाते पर उक्त कार्यवाही की जायगी जिस पर कि कुर्की के समय बाकीदार का स्वामित्व हो। यदि इससे बकाये की पूरी रकम न प्राप्त हो तो उस दशा में ही शेष या पूरे अंश या पूरे खाते पर कार्यवाही की जा सकेगी।"

मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर निष्पक्ष रूप से विचार करेंगे।

श्रीमन्, मैंने यह संशोधन अनुभव के आधार पर रखा है। मालगुजारी की बकाया के निमित्त अटेचमेंट की जब कार्यवाही शुरू होती है तो एक बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। वह सारी जायदाद कुर्क हो जाती है जिसकी बाबत लगान बाकी था। मान लीजिये कि अगर मालगुजारी ८ साल की बाकी है और २ वर्ष बाद उसमें से वह २ या ३ बीघा हस्तांतरित कर देता है दूसरी जगह को, तो दूसरे आदमी की वह जमीन होगी। फर्ज कीजिये कि एक खेत २१ बीघे का है और उसके अतिरिक्त वह ४ बीघे हस्तांतरित कर चुका है लेकिन वर्तमान में उसका २५ बीघे का नीलाम हो जायगा। २१ बीघा जो आपका बाकी है उससे ही आप पूरा वसूल कर सकते हैं जिसने बकायादार को रुपया दिया है, और जिसने अपना नाम चढ़वा लिया है, वह बड़ी दिक्कत में पड़ जायगा। इसमें इस बात का भी कोई प्रोविजन नहीं है कि वह किसी कानून से लड़े। आप यह जरूर कह सकते हैं कि "लैन्ड रेवेन्यू गोज विद दी लैंड" लेकिन क्या इसका कहीं पर प्राविधान है? तो यह बड़ा झंझट हो जायगा। आप इस पर विचार करें। यदि आप मेरे इस संशोधन को नहीं मानते हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

तो आप कोई और रास्ता निकालें। मान लीजिये एक व्यक्ति के जिम्मे १६ हजार रुपये हैं और उसकी जायदाद ५० हजार रुपये की है। आप सारी जायदाद की नीलामी करते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जायगी उस व्यक्ति के सामने जिसने अपने अधिकार को, अपने स्वामित्व को कुछ दिन के लिये हस्तांतरित किया है और जिसके पास यह भूमि होगी। वास्तव में पहले उस खाते पर कुर्की की कार्यवाही की जानी चाहिये जिस पर कि कुर्की के समय बाकीदार का स्वामित्व हो। उस विचार को ध्यान में रखते हुए मैंने एक प्रस्ताव आपके सामने रखा है। आप इसे स्वीकार करें। इसकी शब्दावली जो आप चाहें रख लें। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो ३ १/४ और ३ १/२ हिस्से से ज्यादा नहीं होता उस खाते का पार्टिशन नहीं होता, डिवीजन आफ होल्डिंग नहीं होती। तो आप कोई ऐसा नियम बनाइये जिससे वह कुर्की उसी जमीन पर कर सके जो कि बाकीदार के स्वामित्व में हो....

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

यह ज्ञात हुआ है कि ९ तारीख को विधान सभा नहीं होगी। सही सही बता दिया जाय ताकि हम लोग प्रोग्राम बना सकें। आज शाम तक इसे बतला दिया जाय।

श्री अध्यक्ष (श्री हुकुमसिंह विसेन से)--

लखपतराम जी यह जानना चाहते हैं कि ९ तारीख को बैठक होगी या नहीं, यह शाम तक बता दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

बतला दिया जायगा।

*श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जितने अंश पर बकाया हो उसी को नीलाम किया जाय, पूरी जायदाद नीलाम न की जाय। इस संशोधन के जरिये सरकार अपने हाथ में ऐसा अधिकार ले रही है जिसका बहुत दुरुपयोग होगा। इससे मुकदमेंबाजी बढ़ेगी और हमें ही परेशागी नहीं होगी बल्कि माननीय मंत्री जी के दिमाग को भी परेशानी होगी। इसलिये इस संशोधन के जरिये से यह व्यवस्था की जाय कि कुर्की के समय केवल उसी खाते पर कार्यवाही पहले की जायगी जिस पर कि उस समय बाकीदार का स्वामित्व होगा।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, ऐसा होता है कि जब अंश होता है बहुत-सी जायदाद बच जाती है, वर्ना सारी की सारी जायदाद चली जाती है। दूसरे नीलाम जब होता है तो लाट्स बनाये जाते हैं। अगर एक लाट को नीलाम करके मालगुजारी पूरी वसूल न हो सके तो दूसरे लाट को नीलाम करके वसूलयाबी की जाय। अगर पूरे खाते के खिलाफ ही कार्यवाही की जायगी तो जिसको बकायादा ने कुछ हिस्सा ट्रान्सफर कर दिया है वह भी आबजेक्शन करेगा और यदि लाट्स बना दिये जायेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, जितना धन आपका बकाया है वह भी वसूल हो जायगा। जायदाद को मर्यादित बना लीजिये, जितना बकाया निकलता है उतनी मर्यादित कर लीजिये।

*श्री कमलासिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, जिस रूप से त्रिपाठी जी ने संशोधन रखा है वह बहुत ही स्पष्ट है। माननीय मंत्री जी की अभी तक यह धारणा रही है कि मालगुजारी गोज विद दि लैंड, यानी किसी के ऊपर मालगुजारी बाकी है तो जिस जायदाद पर मालगुजारी बाकी है पहले उसे ही लेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब रुपया उससे वसूल नहीं होगा तो दूसरी प्रापर्टी अटेच करेंगे। अब अगर किसी जायदाद पर मालगुजारी बाकी है और उसी दौरान उसने ट्रान्सफर कर दी किसी को और दूसरे का कब्जा हो गया तो माननीय मंत्री जी यह तर्क दे सकते हैं कि पिछली मालगुजारी उस जायदाद थी इस लिये पर वह वसूल करने जा रहे हैं। तो पिछली मालगुजारी वसूल न करके अगर दूसरे में कब्जा कर दें तो आक्यूपेंट दूसरा है, कब्जा उसका है। लेकिन अगर हमारी गल्ती से हमारा नाम खाते में न आ सका और औरीजनल टैनेंट है जिसने ट्रांसफर की उससे वसूल की जाय मालगुजारी। लेकिन आप उससे वसूल करेंगे जिसका नाम खाते में हैं। आपको मालगुजारी को वसूल करने का उसूल लैंड वालों है ? आपको उस वक्त यह भी देखना पड़ेगा कि किससे रेवेन्यू वसूल करें, क्योंकि कब्जा दूसरे का है। हमने ट्रांसफर कर दिया है लेकिन कागज में नाम नहीं कराया। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जिस रूप में यह है वह डिफेक्टिव जरूर है। इसलिये रूल में या कहीं भी यह रूप दे दें कि अगर ऐसी कठिनाई हो तो उसे ठीक किया जा सके। इसके साथ ही साथ मैं एक प्रार्थना और करूंगा कि हम लोग ड्राफ्ट एक्सपर्ट नहीं हैं। हम लोगों को तो अपना मत देना है। अभी माननीय त्रिपाठी जी ने भी प्रार्थना की है कि अगर ड्रार्फ्टिग में कोई कमी रह जाय तो उसे दूर कर लिया जाय। मेरे साथ ज्यादती हो गई।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

श्रीमान् जी, सदन में कोरम नहीं है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, बड़े दुखः की बात है कि अभी एक बजा नहीं है और सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हम लोग ड्रार्फ्टिग के एक्सपर्ट नहीं हैं। अगर कोई गलती हो जाय तो श्रीमन् को अधिकार है कि आप उसे ठीक कर सकें। इसलिये मैं ज्यादा न कह कर ध्यान दिलाऊंगा कि जो दिक्कत आई है उसको हमने एक्सप्लेन किया है। यह सोचने वाली बात है और कहीं-कहीं जरूर कठिनाई पड़ेगी इसलिये इसको संशोधन करने के लिये जरूर कुछ न कुछ किया जाय।

*श्री हुकुमसिंह विसेन—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक है मैं यह कहना चाहता हूं कि लैंड रेवेन्यू होल्डिंग वाइज है और होल्डिंग पर चार्ज होती है। अगर इसको मान लें तो बहुत से फिक्टीशस ट्रांसफर हो जायेंगे और मालगुजारी पर बहुत असर पड़ेगा। नीलाम के समय एक आफिसर रहता है। अगर किसी को कोई आब्जेक्शन होता है तो वह उस समय आब्जेक्शन कर सकता है और वह निजात पा सकता है। लेकिन इस संशोधन को मान लेने से हवा बदल जायगी और बहुत से फिक्टीशस ट्रांसफर हो जायेंगे और मालगुजारी पर बुरा असर होगा। इसलिये मैं इसको नहीं मानता।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, कभी-कभी तो मैं हतोत्साहित हो जाता हूं कि बहस नहीं करनी चाहिये। अगर कानूनी बहस की जाय और उसकी कदर की जाय तब तो कुछ कहा जा सकता है। आप वकील रह चुके हैं, आप ही बतायें। आपने बताया कि फिक्टीशस ट्रान्सफर हो जायेंगे, क्योंकि लैंड रेवेन्यू इज दी फर्स्ट चार्ज आन दी लैण्ड, तो जहां जहां जमीन जाती है लैन्ड रेवेन्यू पे करने की जिम्मेदारी चिपकी रहती है। तो यह बात इस संशोधन में कहां आती है, यह दलील कहीं आती ही नहीं, वह सब गलत है। यह दूसरी बात है कि हम करना नहीं चाहते तो चाहे जो बात कह दी जाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

इस वक्त मैं बताता हूं सैकड़ों मुकदमें पड़े हुए हैं जब तक इस प्रकार के नियम रहेंगे, मल्टीप्लिसिटी आफ स्यूट बनी रहेगी, क्योंकि जिस थर्ड आदमी ने जमीन खरीदी, उसकी भी जमीन नीलाम होगी तो उसके पास एक ही दवा रह जायगी कि वह नम्बरी दावा करे सिविल कोर्ट में और हर्जे का भी दावाकरे। तो आप कितने मुकदमें चाहते हैं ? यदि आप मेरा एक संशोधन मान लें तो यह जो मल्टीप्लिसिटी आफ स्यूट जो आजकल बहुत है, दूर हो सकती है। इसलिये फिक्टीशस ट्रांसफर वाली बात बिलकुल ठीक नहीं है।

दूसरी बात आपने कही कि हमारी मालगुजारी पर असर होगा, जिस पहलू पर आप चलेंगे, उससे मैं आपको समझाने के लिये तैयार हूं। यह भी कहा कि अगर मालगुजारी तय करने की दिक्कत हो तो मेरा संशोधन ऐसे ही जोत के लिये लाया गया है जो कानून के अन्दर डिवीजनेबिल या पार्टीशनेबिल है। आप एक भी कारण बतायें जिससे कि आपकी मालगुजारी एफेक्टेड होगी आखिर कानून देखकर बतायें। आप कुछ समय ले लीजिये और देखकर बतायें और संशोधन उचित हो तो उसे आप मान लें। आपने कहा कि यदि किसी की जायदाद कुर्की के अन्दर आ गयी और नीलाम हो गयी तो वह आब्जेक्शन करे। लेकिन मैं कहता हूं कि यह कानून सिर्फ कहने के लिये है, इसका कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि यदि आब्जेक्शन खारिज हो जाता है तो सिवाय नम्बरी अन्य कोई चारा नहीं रह जाता है। आप जो नियम बनाते हैं उसमें आपकी भावना अच्छी हो या दावे के बुरी, उसे तो न्यायालय नहीं सुनता है वह उसका इन्टरप्रिटेशन देखता है और जो इसका अर्थ निकलते है उसी के अनुसार यह कार्यवाही करते हैं, इसलिये हर बात स्पष्ट की जानी चाहिये, सिविलप्रोसीजर कोड के अनुसार वह रेवेन्यू कोर्टमें नहीं जा सकता है और उसकी रेमेडी यही है कि वह पास हो नम्बरी दावा करे तो उसमें उसे कितनी विपत्ति पड़ जाती है। आखिर हम लोग कैसे बात कहें, कैसे हम अपने विचारों से फायदा उठा सकते हैं। मैं कहता हूं कि अगर उनकी यह चल गयी और यह पास गया, नीयत उनकी अच्छी है मैं उसमें दाग नहीं लगाता, तो वह बात ठीक नहीं होगी। यदि आपका ऐसा विचार है कि वह विरोधी पक्ष की तरफ से आयी है तो वह चाहे कितना ठीक हो उसे न माना जाये तब तो ठीक है, नहीं तो संशोधन सर्वथा उचित है और उसे आपको मान लेना चाहिये। लेकिन हम विरोधी हैं, हमें कम बुद्धि वाला समझा जाता है और हमारी बात का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। कोर्ट में कोर्ट के प्वायन्ट से बात होती है वहां यह सब नहीं चलता है जो दलील यहां दी जाती है, बृजभूषण शरण जी ही बतावें कि मंत्री जी की दलील कहां तक उचित जान पड़ती है ?

एक सदस्य—

मंत्री जी भी वकील हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

ठीक है, मैं भी वकील हूं और मंत्री जी भी वकील हैं। ठाकुर साहब वकील हैं, लेकिन वह आउट आफ टच हैं हालांकि मैं भी थोड़ा हूं। कोर्ट में वकालत काम करती है वहां पार्टीबाजी काम नहीं करती है। यहां सदन में भाषण दे देना दूसरी बात है, लेकिन कोर्ट में बुद्धि का इस्तेमाल करते हुये बहस करना दूसरी बात है।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

आप यह बात कैसे कहते हैं, क्या यहां बिना सोचे समझे यों ही बोला जाता है ?

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आप भी बोल लीजिये, नाराज होकर तब मैं बोलूं। श्रीमन्, मैं केवल दुखी होकर यह कह रहा हूं, लड़ता हूं तो एक ऐसे पक्ष के बारे में जिसको आप राहत देने वाले ह और जहां संशोधन की जरूरत है।

श्रीमन्, अगर आप समझ गये हों तो व्यवस्था देने के पहले मुझे समझा दें, वह क्या है जो असंगत है ?

श्री बैजनार्थसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

इस पर तो रूलिंग हो गयी है, इस पर अब आप क्या बहस कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप यह बता दीजिये कि असंगत कैसे नहीं है ?

(हंसी)

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, आप यह बता दीजिये कि आपने असंगत क्या समझा है ? तो इसलिये मेरी प्रार्थना है कि अगर आप मेरे संशोधन को नहीं मानते, मत मानिये लेकिन लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में जो आप संशोधन करने जा रहे हैं तो उसमें अपने एक्सपर्ट्स की राय ले कर कोई ऐसा तरीका अपनाइये जिससे यह तकलीफ दूर हो सके । मैं आवेश में यह सारी बातें नहीं कर रहा हूं लेकिन जनहित में मैं समझता हूं कि यह बात होना जरूरी है इसलिये प्रार्थना करता हूं । आशा है मेरी बात को आप समझ कर आवश्यक कदम उठावेंगे ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जो दिक्कत हमारे दोस्त ने बतायी है आर्डर २१ रूल ५८ की तो उसमें तो रेगुलर सूट्स प्रोवाइडेड है । उससे क्यों भागते है, वह तो फूलप्रूफ मेथड है । अब इसमें प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं मालूम होती ।

श्री अध्यक्ष—

इस पर मत तो दो बजे के बाद लिया जायगा । आइटम ७-क पर अब श्री कमलासिंह जी का संशोधन है वह अनियमित प्रतीत होता है क्योंकि आप जो भी संशोधन दीजियेगा वह तो इस संशोधन विधेयक में दीजियेगा न कि मूल विधेयक में ।

श्री कमलासिंह यादव—

अगर आप बता दें तो मैं उसी प्रकार से इसमें रख दूं ।

श्री अध्यक्ष—

नियम यह है कि जो कुछ आपको जोड़ना, निकालना हो, जो विधेयक सामने है उसी में से निकालेंगे या जोड़ेंगे । यह तो नहीं हो सकता कि जो विधेयक इस सदन के सामने नहीं है उसमें आप कुछ जोड़ियेगा । इस संशोधन विधेयक में तो आप कुछ जोड़ना नहीं चाहते, आप तो मूल विधेयक में जोड़ने के लिये कहते हैं ।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरा तर्क श्रीमन् यह है कि अगर किसी धारा के किसी अंश को आप लेते हैं तो हम उस पूरी धारा को निकालने की बात भी कह सकते हैं । इसी तर्क पर मैंने यह संशोधन दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

आप इसमें जरा इस तरह से संशोधन कर दीजिये कि "खंड १४ के (१) और (२) के बाद (३) इस प्रकार जोड़ा जाय । अगर आपको संशोधन करना है तो इस प्रकार की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अध्यक्ष]
शब्दावली उसकी होनी चाहिये । अगर यह कर दीजिये तो ठीक है, नहीं तो अनियमित हो जायगा और मैं इसको ओवररूल कर दूंगा । मेरी विवशता है ।

*श्री कमलासिंह यादव—

जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसे ही इसको पढ़े देता हूं:—

खंड १४ की प्रस्तावित नई उपधारा में उप-खंड (३) निम्न प्रकार जोड़ दिया जाय:

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि मालगुजारी का बकायेदार अलाभकर जोतवाला किसान हो अथवा निरन्तर कई साल से विपत्ति ग्रसित होकर ऐसी स्थिति में हो कि मालगुजारी अदा न कर सके तो उसकी चल तथा अचल सम्पत्ति कुर्क न की जायगी ।"

अब यह मालूम होता है कि माननीय मंत्री जी भी रंग बदल रहे हैं । जैसे उस भेड़िये ने शेर की खाल पहन लिया था और पहनकर लोगों को डराना शुरू किया । तो उस वक्त मैंने पहले शुरू में कह दिया कि जुल्म की तलवार भी किसानों के सिर पर टकरा रही है । माननीय मंत्री जी के सामने यह नहीं है कि किसानों की स्थिति को किस तरह से हम अच्छा करें । उनके सामने सिर्फ सवाल पैसे की वसूली का है । इस जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के संबंध में जो सेलेक्ट कमेटी बनाई गई उसने भी यह उद्देश्य रखा था कि अलाभकर जोतवाले किसानों की मालगुजारी माफ हो । यह सेलेक्ट कमेटी की सिफारिश थी और कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन हुए हैं उनमें भी इस मांग को कांग्रेस ने माना है कि अलाभकर जोतवाले किसानों का लगान माफ होना चाहिये । आज श्रीमन्, यह बार-बार देखा जा रहा है कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का और आपका भी यह उद्देश्य है कि अलाभकर जोत का लगान माफ कर दिया जाय। मंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी का होने के नाते अब वह सोशलिस्ट पार्टी की खाल ओढ़ ली है और समाजवादी होने का दावा करते हैं । अगर आप समाजवादी होने का दावा करते हैं तो उसके उसूल भी कार्यान्वित कीजिये जिनको कांग्रेस ने भी माना है और समाजवादियों ने भी माना है । उनको किसी तरह से कार्यान्वित होना चाहिये । अगर सरकार किसी प्रकार अपनी कठिनाई महसूस करती है कि हम अलाभकर जोत वाले किसानों को छोड़ नहीं सकते तो मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार को चाहिये कि ऐसे बेबस लोगों को माफ किया जाय जो रातदिन खेतों में कमाई करके भी मालगुजारी अदा नहीं कर सकते हैं । ऐसे लोगों को राहत देनी चाहिये और उनके साथ हर तरह से कृपा दृष्टि होनी चाहिये ताकि उनकी रीढ टूट न जाय । इसीलिये यह चीज रखी है कि अलाभकर जोत के माने सिर्फ यह हैं कि ऐसे खेत जिसमें कोई भी खेती करता हो और खेती की उपज ऐसी न हो कि वह अपना निर्वाह कर सके और खेत की मालगुजारी दे सके। इसके साथ-साथ हमने यह भी रखा है कि "निरन्तर कई साल से विपत्ति ग्रसित होकर ऐसी स्थिति में हो कि मालगुजारी अदा न कर सके तो उसकी चल अथवा अचल संपत्ति कुर्क न की जायगी ।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान २६८ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह दिया है कि:—

268—(1) *Remission or suspension of land revenue on the occurrence or on Agricultural calamity*—Not with standing anything contained in the act the State Government may on the occurrence of an agricultural calamity affecting the crops of any village or part of a village remit or suspend for any period the whole or any part of the revenue of any holding affected by such calamity.

(2) Whenever the State Government takes action under sub-section (1) it may remit or suspend the whole or any part of the rent payable by an asami or adhivasi as the case may be in occupation of such land."

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद) पीठासीन हुये ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस तरीके पर मैं देखता हूं कि आपके यहां यह एक ऐसी नियमित धारा है कि अगर कोई केलेमिटी आये तो उस साल का लगान आप ससपेंड कर सकते हैं । लेकिन मैंने जो रखा है वह इससे थोड़ा भिन्न है । अगर निरन्तर कैलेमिटी आये किसान पर और वह आपकी छूट के पैमाने में न आ सके तो ऐसे लोगों को राहत देने के लिये मेरा संशोधन है कि उनकी कम से कम चल और अचल संपत्ति कुर्क न की जाय ताकि वे अपना जीवन निर्वाह करते रह सकें । यह इंसानियत का तकाजा है । आपत्ति में अगर किसान पड़ जाये तो आपको इतनी सहूलियत अवश्य देनी चाहिये कि वह अपने को कम से कम मेंटेन तो कर सके । इसके लिये आपको ख्याल करना चाहिये । सरकार गरीबी दूर करना चाहती है । नेहरू जी की अपील है कि गरीबी को मिटाओ । अगर वाकई आप उस नीति को मानने वाले हैं तो आपका धर्म हो जाता है कि ऐसे गरीब, जो मालगुजारी न दे सकें उनकी आप चल और अचल संपत्ति कुर्क न करें और वह अपनी जिन्दगी बचा सकें । इसी के लिये मैंने संशोधन दिया है और आशा है कि मंत्री जी इसे मानेंगे ।

श्री रामकुमार शास्त्री—

श्रीमन्, यह सब भावुकता की बात है, लेकिन यहां लगान और खेत से संबंध रहा है । मेरे मित्र फरमा रहे हैं कि आपत्ति में अगर किसान पड़ गया है या वह अलाभकर जोत वाला है तो उसके साथ मनुष्यत्व का व्यवहार करना चाहिये । अगर ऐसी स्थिति है तो उसके लिये फैमिन रिलीफ, ग्रेचुटस रिलीफ है, टेस्ट वर्क खोले जाते हैं । इसके अतिरिक्त अलाभकर की परिभाषा भिन्न-भिन्न हैं । ६ एकड़ से कम जमीन है तो भी वह इंटेंसिव कल्टीवेशन कर के ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है । लेकिन अगर हम लगान की अदायगी के लिये प्रयत्न न करें तो राजकोष में धन नहीं आयेगा और डेवलपमेंट के सारे काम ठप्प हो जायेंगे । इसलिये यह अमेडमेंट मुनासिब नहीं है और केवल भावुकता पर आधारित है ।

*श्री उग्रसेन—

माननीय कमलासिंह जी ने जो संशोधन रखा है उसके समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं । माननीय शास्त्री जी ने कहा है कि यह भावुकतावश लाया गया है । यह बात नहीं है । हमारी तो मांग है कि जमीन कम से कम साढ़े ६ एकड़ हर एक के पास होनी चाहिये और चरण सिंह जी ने भी इस बात को माना है कि औसतन साढ़े ६ एकड़ भूमि काश्तकार के पास होनी चाहिये इस से कम रखने वाले को खेती से कोई लाभ नहीं होगा । लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि हम सघन खेती कर के ज्यादा फायदा उठा सकते हैं । एक बिस्वा खेत मेरे पास है और एक बिस्वा शास्त्री जी के पास भी है । उन्होंने अपने खेत में फैक्ट्री खड़ी कर ली और मैं प्याज ही बोता रह गया । तो इस तरह से वह ज्यादा फायदा उठा सकते हैं । कमेटी के सामने भी यह मामला आया था कि सीलिंग क्या रखी जाय और शास्त्री जी जानते हैं कि पूर्वी जनपद में ३० प्रतिशत किसान ऐसे हैं कि जो अलाभकर जोतों में काम करते हैं ।

वह लगान है या दोहरी, तिहरी मार है । अगर हमारा संशोधन मान लिया जाय कि अगर लगान देना ही है तो कम से कम इतनी गुंजाइश रखी जाय कि हमारा नीलाम नहीं होगा, बेकस को गर मारा तो क्या मारा ? वह तो बेचारा खुद ही अलाभकर है । जब ३६०० रुपये से ज्यादा आमदनी एक सेठ लखनऊ की बाजार में करता है तो वह इनकम टैक्स देता है और अगर ३५,९९ रुपये आमदनी उसकी हो तो नहीं देगा । वहां पर तो लाभ पर टैक्स है और मंत्री जी का ऐसा विधेयक है कि पेशे पर ही टैक्स है । बड़ा गुनाह किया कि वह खेती करने बैठ गया । कर का सर्वमान्य सिद्धांत यही है कि वह आमदनी पर लगता है, कोई मुनाफा नहीं तो कर नहीं । इंगलैन्ड के लोगों को अमरीका के लोगों ने कहा था कि हम तुमको टैक्स नहीं देंगे क्योंकि तुमने हमारा प्रतिनिधित्व रोक दिया है । तो यह तो हमारी पुरानी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री उग्रसेन]

लड़ाई है । मैं १५ वर्ष हुए १९५० में बम्बई से आया । मेरे गांव तो मंत्री जी गये हैं वहां ५० वर्गमील तक पानी आप देखेंगे । मालगुजारी का कैसे हिसाब लगता है गवर्नमेंट का, कि खेत का कितना कोना डूब गया और उसमें 'खेती की', यह लिख दिया जाता है, वही मसल है "लेखा ज्यों का त्यों, लड़का बूड़ल क्यों ?'तो हमें सही मानों में नहीं पनपने देते । शास्त्री जी तो कहते हैं कि भले ही तुम्हारी खेती डूब जाय, फसल मारी जाय, हमारी मालगुजारी नहीं सूखेगी । इसलिये हमने कहा है कि अगर नहीं सूखेगी तो दूसरे तरीके से लो ।

श्री अधिष्ठाता--

जरा समय का ध्यान रखा जाय ।

श्री उग्रसेन--

वह तो है ही । मार्क्स ने एंजिल को जर्मन में लिखा था । उसके अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी में अनुवाद करता हूं कि "हमारे घर में जितना गिरवी रखने के काबिल सामान है सब गिरवी हो गया ।" तो यह जो आपदाओं से ग्रसित सरकार से ग्रसित जो अलाभकर जोत वाले हैं उनके यहां कोई सामान नहीं बचा है जो गिरवी न रख दिया गया हो । अगर पूर्वी जिले में गिरवी रखने की दूकानें देखी जायं तो सब गहने अलाभकर जोत वालों के गिरवी रखे मिलेंगे । भाई कमला सिंह का संशोधन यह नहीं कहता है कि हमसे मालगुजारी मत लीजिये । लें आप, हमारा सूप छलनी, हांडी सब नीलाम कर दीजिये, लेकिन खेती को नीलाम मत करिये । वैसे तो मालगुजारी भी नहीं देनी चाहिये और इसके लिये बगावत करनी चाहिये, लेकिन हम कमजोर हैं इसलिये धन-सम्पत्ति सब ले लीजिये, खेती मत नीलाम कराइये । तो यह किसी भावना से प्रेरित होकर नहीं बल्कि बहुत सोच-समझकर संशोधन रखा जा रहा है कि शायद आज ही मान जायं, पूजा पाठ करके आये हों इसलिए भावनाएं अच्छी हों । वैसे आज दिन भी अच्छा है । (श्री कमला सिंह से) कौन दिन है भाई कमला सिंह ! बुधवार है । ठीक है, दिन भी अच्छा है। मैं समझता हूं कि संशोधन को मंत्री जी मान लेंगे ।

*श्री दीनदयाल करवरिया (जिला बांदा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यों तो मालगुजारी के संबंध में काफी वादविवाद हो चुका है परन्तु उसमें यह बात नहीं आती है, कि जिसका नाम खाने में दर्ज है । बहुत से प्लाट ऐसे हैं देहातों में और किसानों के कब्जे में है लेकिन जिसका असली खाने पर नाम दर्ज है वह दूसरे के कब्जे में है । अगर ऐसा न हो तो सरकार का खजाना कहां से आवेगा । भूमि विधि संशोधन विधेयक प्रस्तुत है पर जो किसानों का हैरासमेंट हो रहा है, एक्चुअल पजेशन न होने से, उससे बड़ी दिक्कत है । बरसों से वे किसान लगान देते चले आ रहे हैं । सवाल यह आता है कि अगर उसका संशोधन हो जाय और उसी किसान का नाम खाने में आ जाय तो ही किसान का भला हो और किसान को उससे खेती करने में दिलचस्पी बढ़े । ऐसा न होने से किसानों को बड़ा खतरा बना रहता है कि उनका नाम खाने में है भी या नहीं , जमीन उनकी रहेगी या नहीं । इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि दिलचस्पी बढ़ाने के लिये आप यह संशोधन करें । कलेक्टर या किसी और अधिकारी द्वारा यह व्यवस्था करें कि वास्तव में उसका कब्जा हो जो बरसों से उस खेत पर काम करता चला आ रहा है । उसी को असली खाने में दर्ज कराने की कृपा की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

आपको संशोधन पर कुछ कहना हो तो कुछ कहिये । आपको दो ही मिनट का समय दिया गया है ।

श्री दीनदयाल करवरिया--

भूमि संशोधन के माने तो मैं यही समझता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

इसी संशोधन पर बोलिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री दीनदयाल करवरिया—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा यही सुझाव है कि उसका नाम खाने में रखने से ही उसका मनोबल बढ़ेगा ।

*श्री कमलासिंह यादव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे माननीय शास्त्री जी के भाषण को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ । मैं समझता हूं कि आप जिसके बल पर चुनकर यहां आये हैं, उस पार्टी की ही बात आप कहते हैं । एक अलाभकर जोतों को छोड़ देने की बात कही और इन्होंने कहा कि किसानों को फेमिन रिलीफ मिल जाता है । मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने कभी भी फैमिन डिक्लेअर किया है । इतनी समस्या अन्न की रही, अन्न नहीं मिला, अकाल की अवस्था थी अभी चन्द दिन पहिले और फिर भी आपकी हिम्मत नहीं हुई कि अकाल घोषित करें । मैं कहना चाहता हूं कि अगर शास्त्री जैसे आदमी, ने जो किसानों के हिमायती थे, कुर्सी पर बैठ कर यह कहा कि फेमिन रिलीफ ऐक्ट है, उससे राहत हो जावेगी, इसका मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ । वह फेमिन रिलीफ नहीं है वह तो घातक सिद्ध हो रहा है । अंग्रेजी को जो देन है उसको आपको बदल देना चाहिये । आज इस ऐक्ट द्वारा किसानों को कोई रिलीफ नहीं मिल रही है । ६ आने और ८ आने तक तो रिलीफ आपने दिया है पर इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हैं । जो भूखा मर रहा हो, जिसकी स्थिति दयनीय हो, जो मालगुजारी तक न दे सके, ऐसे के साथ कृपादृष्टि बनानी होगी, भले ही आपका रुपया कुछ दिन के लिये वसूल न हो । हम देखते हैं कि आज कैपिटैलिस्टों पर कितना रुपया बाकी है और उनके साथ वसूली के लिये कोई ज्यादती या जल्दी नहीं की जा रही है । लेकिन किसानों के ऊपर वसूली के लिये मंत्री जी नंगी तलवार लिये खड़े है । अगर आप अलाभकर वालों की जमीन नीलाम करावेंगे तो वह उन बड़े लोगों के पास चली जायगी जो उसमें इतनी मेहनत नहीं कर सकते जितनी कि गरीब अलाभकर जोत वाला करके पैदा कर सकता है । इसलिये ऐसे केसेज को, अगर इस ऐक्ट में नहीं तो नियमों में या मैनुअल में ऐसा स्थान देने की कृपा करें कि ऐसे लोगों को भी अपने बाल बच्चों के साथ जिन्दा रहने का अवसर रहे । उनके साथ दुश्मनी न करें ।

*श्री हुकुमसिंह विसेन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे माननीय पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने जो तकरीर की वह कमलासिंह जी को पसन्द नहीं आई । जब इस संशोधन को मैंने देखा तो यह मालूम हुआ कि अलाभकर जोतवालों को और ऐसे लोगों को जिन पर मताद्दिद बार आपत्ति आई है उन्हें बचाने के लिये यह संशोधन रखा है । अलाभकर जोत किसे कहते है, यह कहीं किसी जगह डिफाइंड नहीं है । इस सदन के सामने भी कई मर्तबा ऐसा प्रस्ताव आया कि अलाभकर की मालगुजारी छोड़ दी जाय लेकिन सदन ने स्वीकार नहीं किया । यह प्रस्ताव वेग है । मुताद्दिद बार परेशानियों के बारे में हर केस में तहकीकात संभव नहीं है । यह अव्यवहारिक है । जिनको शासन का तजर्बा नहीं है वे इसे नहीं जान सकते हैं । इससे डिफाल्टर्स की तादाद बढ़ जायगी । ५० मर्तबा उज्रदारी करेंगे कि हमारे ऊपर नेचुरल कैलेमिटी आई है । इसलिये पहले उसकी तहकीकात हो तब मालगुजारी वसूल हो । इस संशोधन से ये झगड़े बरपा होंगे ।

श्री कमलासिंह ने कहा कि हम किसानों की रीढ़ तोड़ना चाहते हैं, और हम उनके दुश्मन हैं । इससे तो यह पता चलता है कि कमलासिंह जी ही अकेले उनके दोस्त हैं । मैंने भी जनता की सेवायें की है और उस समय से की हैं जब कमलासिंह जी पैदा भी नहीं हुए होंगे और अब तक करता आया हूं । अगर मालगुजारी की वसूलयाबी में गड़बड़ी हुई तो सारा तमाशा ही खत्म हो जायगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उग्रसेन—

जितना जोर मालगुजारी की वसूली पर दिया जाता है उतना बिक्रीकर की वसूली पर क्यों नहीं देते हैं ।?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हमारी ड्यूटी मालगुजारी वसूल करने की है । इस संशोधन के मानने में हमें दिक्कत है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

*श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ के मूल अधिनियम की धारा २७९ की उपधारा (२) निकाल दी जाय ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मूल धारा में उपखंड (२) है ही नहीं । यह आउट आफ आर्डर है ।

श्री अधिष्ठाता—

धारा १४ में दो उपधारायें हैं, उसकी (२) निकालना चाहते हैं ।

श्री उग्रसेन—

यह गलत छप गया है । मतलब वही है ।

श्री कमलासिंह यादव—

खंड २७९ की जगह पर २ रख दें । यानी खंड १४ में प्रस्तावित उप धारा (२) निकाल दी जाय । इस तरह से कर दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

यह छपने की गलती हुई है ?

श्री कमलासिंह यादव—

जी हां ।

श्री अधिष्ठाता—

इसके ऊपर तो संशोधन आ ही सकता है । लेकिन यह संशोधित रूप में होगा ।

श्री कमलासिंह यादव—

तो माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ मैं इसलिये दिला रहा हूं कि अब तक तो यह था कि किसान की गलती की वजह से आप किसान को मार रहे थे लेकिन अगर राज्य सरकार या रेवेन्यू विभाग का अधिकारी या माल मंत्री खुद ही गलती करे तो उसकी सजा किसान को नहीं मिलनी चाहिये । इसलिये मैं कह रहा हूं कि आप ही का जो अधिनियम और नियम है वह यह बतला रहा है कि यह ज्यादती है कि अगर कोई प्रोसेस आप इश्यू करते हैं तो उसका खर्चा आप किसान से वसूल करें । मैं मंत्री जी का ध्यान जमींदारी एब्रालीशन ऐक्ट की धारा २८० की ओर दिलाना चाहता हूं:

"As soon as an arrear of land revenue has become due, a writ of demand may be issued by the Tahsildar on the defaulter calling upon him to pay the amount within the time to be specified."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

"यानी तहसीलदार काश्तकार को अपने यहां बुलायेगा और काश्तकार आयेगा तो तहसीलदार उससे यह कहेगा कि इतने दिन के अन्दर मालगुजारी जमा कर दो। अब दूसरी बात सुन लें, श्रीमन्, मैं मंत्री जी का ध्यान रूल २०८ की तरफ दिलाना चाहता हूं जो २९४ (२) (डी) के आधार पर बना है। उसमें दिया है :-

"Subject to the provisions of sub-rule (2) payment of revenue will ordinarily be made at the office of the Tahsildar of the Tahsil within the limits of which the holding on account of which the payment is madee, is situate."

यह सबजेक्ट सब रूल टू दिया है। तो सब रूल (२) क्या है वह मैं पढ़ देना चाहता हूं।

"In cases where Amins are appointed for collecion of revenue payments shall ordinarily be made to the Amin within whose jurisdiction the holding on account of which payment is made, is situate."

इस प्रदेश के अन्दर जितनी भी मालगुजारी वसूल होती है वह अमीनों के जरिये वसूल होती है और इस रूल के अन्दर यह दिया हुआ है कि कोई भी काश्तकार अगर मालगुजारी अदा करेगा तो वह सबसे पहले अमीन के पास जायगा और अमीन को मालगुजारी अदा करेगा। जहां पर अमीन अप्वाइंटेड नहीं है वहां वह सीधे तहसीलदार के यहां जमा करेगा। यह साइटेशन जो है वह ऐसे केसेज में करने जा रहे हैं जहां पर कि दूसरे तहसील का आदमी होता है इसके लिये नियम २४१ की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं-

"Process under section 280 writ on demand or citation to appear) shall be issued by the Tahsildar or the Tahsil in which the arrear fell due or by order of the Collector or the Assistant Collector incharge of the Subdivision. If the Tahsildar issues such process against a defaulter residing in another tahsil within the district, he may do so either direct or through the tahsildar of such other tahsil."

तो साइटेशन श्रीमन्, ऐसे केसेज में है। अगर उस तहसील का रहने वाला काश्तकार नहीं है, दूसरी तहसील का रहने वाला है तो उस वक्त इश्यू होगा। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो आपके अमीन है उनका कोई लोकेशन नहीं है, कोई आफिस उनका नहीं है। उनका काम घूम-घूम कर वसूल करना है। तो ऐसी स्थिति में दूसरी तहसील का आदमी कहां पर जायगा और कहां उसको देगा ? क्योंकि उसका कोई आफिस नहीं है, और तहसीलदार को देने की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले कानून में यह व्यवस्था है कि किसान अमीन को मालगुजारी दे और जब अमीन न ले, तब तहसील में जायं। इससे स्पष्ट है कि पहला प्रिफरेंस अमीन को है। सरकार को चाहिये था कि अगर कोई काश्तकार दूसरी तहसील में रहता है, तो उस हल्के के अमीन को उसकी वसूली देनी चाहिये। ऐसा न करके सरकार खुद गलती करती है और उस गलती के लिये किसान को सजा भुगतनी पड़े यह उचित नहीं है। जो दूसरे हल्के में किसान रहता है, सरकार को चाहिये कि वहां के अमीन और तहसीलदार को वसूली के लिये लिख दिया जाय और तब अगर किसान न दे, तो काश्तकार की गलती है और वह डिफाल्टर है उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्यवाही हो, वह की जाय। हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन यहां तो सरकार की गलती है। साइटेशन के जरिये किसान को अपने यहां बुला रहे हैं, सिर्फ इसलिये कि फलां तारीख तक तुम अपना मतालिबा जमा कर दो। एक बार वह यह सुनने के लिये आये और दुबारा रुपया लेकर जाय इसमें कितनी किसान को परेशानी होगी। इसलिये मैं यह उचित नहीं समझता हूं कि आपके कानूनी की खामी के लिये दूसरे को सजा मिले। साइटेशन का खर्चा भी उससे वसूल करेंगे, जिसमें उसका कोई दोष नहीं है, इसलिये मैं चाहूंगा कि ऐसा गलत कानून है, उसके लिये किसान को सजा न दें और अपने कानून में सुधार कीजिये।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय कमला सिंह के जितने संशोधन हैं, वह सब मूल अधिनियम में हैं, जबकि प्रस्तावित संशोधन विधेयक में संशोधन आने चाहिये। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि मूल अधिनियम को पढ़ें या संशोधन विधेयक को पढ़ें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

इस पर व्यवस्था हो चुकी है।

श्री कृष्णानन्द राय—

आप इनका संशोधन देखें कि खंड १४ के मूल अधिनियम की धारा २७९ की उपधारा २ निकाल दी जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आप शायद थे नहीं, यह आपत्ति उठाई गई थी और उसको ठीक करके इजाजत दे दी गई।

श्री कृष्णानन्द राय—

आगे भी देखें....

श्री अधिष्ठाता—

आगे जब आयेगा, तब देखा जायगा।

*श्री हुकुमसिंह विसेन—

अधिष्ठाता जी, मैं अगर फिर वही जुम्ला दोहराऊं तो लोगों को बुरा लगेगा। कहीं का मामला है और कहीं की तकरीर। धारा २७९ में कुछ तरीके दिये हुये है, जिनके जरिये से मालगुजारी वसूल होती है। २७९ में जो दूसरा खंड है, उसमें दिया हुआ है, उसमें यह व्यवस्था है कि वसूली के सिलसिले में जो अखराजात होंगे, वह मालगुजारी की तरह से वसूल होंगे। इतना सवाल है। आप कहते है कि यह हिस्सा निकाल दिया जाय। जो रिट, अरेस्ट, नीलाम आदि का तारीका दिया हुआ है, उसमें जो अखराजात हों, वह किसान से न लिये जायं। अमीन की बात कही, जो हमारी समझ में नहीं आई। यह संशोधन रास्ते में रुकावट डालने वाला है। माननीय सदस्य की इच्छा है कि मालगुजारी कतई बंद हो जाय और यह हो नहीं सकती जब तक संविधान है, तथा हम और आप जिन्दा हैं। इसलिये ऐसा प्रयास न करना चाहिये कि जिससे लोगों को बजाय फायदे के नुकसान हो। पहले तो संशोधन गलत लिखा गया न मालूम सोते में लिखा या जागते में, लिखते हैं कि मूल अधिनियम की धारा २७९ का क्लाज २ निकाल दिया जाय, जो मूल अधिनियम में है ही नहीं।

श्री उग्रसेन—

माननीय कमलासिंह कहते हैं कि हम खर्चा क्यों दें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

(माननीय उग्रसेन से) आप तो बीच में टोक कर हमारा सिलसिला तोड़ देते है और मैं भूल जाता हूं कि क्या कह रहा था। इसलिये आगे कुछ न कह कर मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री कमलासिंह यादव—

एक ही बात मुझे कहना है....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप जबाव दे चुके हैं, आगे चलिये ।

*श्री कमलासिंह यादव--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ में मूल अधिनियम की धारा २८१ के प्रतिबंध की प्रथम पंक्ति में शब्द "अवयस्क" और "की गिरफ्तारी" के बीच निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं--

"अथवा असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति"

*श्री कृष्णानन्द राय--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन्, आप इस संशोधन को देख लें, जो माननीय कमला सिंह ने रखा है । इससे तो यह मालूम होता है कि जो संशोधन करने वाला है, उसको यह अधिकार प्राप्त हो गया कि मूल अधिनियम में संशोधन कर दें । हम लोगों के सामने जो विधेयक है, उसमें आप देखें कि खंड १५ में कहीं भी यह शब्द है ही नहीं । खंड १५ इस प्रकार है-- मूल अधिनियम की धारा २८१ में शब्द "गिरफ्तारी" और निरोधन का व्यय, यदि कोई हो" के स्थान पर शब्द तथा अंक" बकाया, जिसके अन्तर्गत धारा २७९ की उपधारा (२) के अधीन वसूल किये जाने योग्य व्यय, यदि कोई हो, भी है" रख दिये जायं । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य संशोधन विधेयक में संशोधन ला सकते हैं या मूल अधिनियम में संशोधन लायेंगे । मेरी राय में मूल अधिनियम में संशोधन लाने का अधिकार केवल सरकार को है, संशोधनकर्त्ता को नहीं । आप सोच लें, जितने संशोधन हैं, माननीय कमला सिंह के सब मूल अधिनियम में है । प्रस्तावित संशोधन विधेयक इन्होंने देखा ही नहीं । इसलिये मैं चाहता हूं कि इनके सब संशोधन रूल आउट कर दिये जायं ।

श्री कमलासिंह यादव--

माननीय सदस्य भूल गये । इसमें धारा १५ इस तरीके पर दी हुई है--"मूल अधिनियम की धारा २८१ में शब्द "गिरफ्तारी और निरोधन का व्यय, यदि कोई हो", के स्थान पर शब्द तथा अंक "बकाया, जिसके अन्तर्गत धारा २७९ की उपधारा (२) के अधीन वसूल किये जाने योग्य व्यय, यदि कोई हो, भी है", रख दिये जायं । अगर उसी धारा के अन्दर कोई चीज हम लाना चाहते हैं, तो उस वक्त आप हमें रोक नहीं सकते । ओरिजिनल विधेयक की धारा २८१ पढ़ लें, जो इस प्रकार है--"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन किसी स्त्री या अवयस्क की गिरतारी या निरोधन न हो सकेगा, प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई भी व्यक्ति उस खाते की बकाया के लिये जिसका वह भूमिधर या सीरदार नहीं है, केवल इसलिये गिरफ्तार या निरुद्ध नहीं हो सकेगा कि धारा २४३ के अधीन मालगुजारी के भुगतान का उसका संयुक्त दायित्व है । "

तो निरोधन के बारे में हमें कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन इसमें दो चीजों को रखा है-- "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन किसी स्त्री या अवयस्क की गिरफ्तारी या निरोधन न होगा " इसमें यह जो स्त्री और वयस्क की गिरफ्तारी और निरोधन न होने की बात कही गयी है, इसलिये इसको रखा गया है ।

श्री उग्रसेन--

माननीय कमला सिंह जी यह सुझाव दे रहे हैं कि इतनी सी तरमीम हो जाय धारा १५ (ख) के बजाय यह नयी धारा जोड़ दी जाय । इसमें आपको क्या एतराज है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)--

श्रीमन्, मेरा भी यही कहना है कि सिद्धान्ततः जो भी संशोधन किया जा सकता है वह संशोधन विधेयक में ही किया जा सकता है, उसके आगे बढ़ कर मूल अधिनियम में कोई संशोधन नहीं लाया जा सकता ।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं माननीय बेचनराम जी का जबाव देना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठिये आप जबाब दे चुके हैं ।

एक विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है । इसलिये जो भी संशोधन लाया जायगा वह इसी में लाया जायगा, उन्हीं धाराओं में लाया जायगा जो इस विधेयक में दी गई हैं, मूल अधिनियम में कोई संशोधन नहीं लाया जा सकता । यह जो संशोधन है .....

श्री कमला सिंह यादव--

श्रीमन्, अभी आप रूलिंग न दें, मेरी बात सुन लें । मेरा कहना यह था कि जो संशोधन है वह इस बात का संशोधन है कि गिरफ्तारी या निरोधन अवयस्क या स्त्री का न होगा । मैं उसी के बारे में इस संशोधन को रखना चाहता था । २८१ की उपधारा (१) में यह प्रतिबन्ध है कि स्त्री और नाबालिग की गिरफ्तारी नहीं हो सकती और उनका डिटेंशन ही हो सकता है । इसमें आप स्त्री और नाबालिग को छोड़ रहे हैं । इसके साथ ही अगर कोई असाध्य रोग से पीड़ित है तो उसे भी छोड़, इस धारा के अन्तर्गत उससे भी वसूली हो जायेगी । जिस तरह से स्त्री और नाबालिग को छोड़ा है उसी तरह से असाध्य रोगी को भी छोड़ दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

आप जो भी संशोधन कर सकते हैं वह केवल इसी विधेयक में कर सकते हैं, जो मूल विधेयक है, उसमें आप नहीं कर सकते, यह संशोधन आप का मूल विधेयक में है और यह कोई भाषा की भी गलती नहीं है । इसलिये इस संशोधन को मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

सदन में कोरम नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

कोरम है ।

प्रश्न यह है कि १४ (ख) द्वारा संशोधित खंड के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय--

"परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जिस खाते पर बकाया है और यदि कुर्की के समय किसी कारण उस खाते के किसी भाग पर दूसरे का स्वामित्व हो गया है तो पहले उस खाते पर उक्त कार्यवाही की जायगी जिस पर कि कुर्की के समय बाकीदार का स्वामित्व हो यदि इससे बकाये की पूरी रकम न प्राप्त हो तो उस दशा में ही शेष या पूरे अंश या पूरे खाते पर कार्यवाही की जा सकेगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ ।

पक्ष में--३७,

विपक्ष में--४१ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १४ की प्रस्तावित नई उपधारा में उपखंड (३) निम्न प्रकार जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि मालगुजारी का बकायेदार अलाभकर जोतवाला किसान हो अथवा निरन्तर कई साल से विपत्ति ग्रसित होकर ऐसी स्थिति में हो कि मालगुजारी अदा न कर सके तो उसकी चल तथा अचल सम्पत्ति कुर्क न की जायेगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्न मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—४०,

विपक्ष में—४८ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १४ में प्रस्तावित उपधारा (२) निकाल दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्न मतानुसार अस्वीकृत आ—

पक्ष में—४५,

विपक्ष में—५४ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १४, १५, १६ तथा १७ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १८

१८—मूल अधिनियम की धारा २८४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:—

धारा २८४ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन ।

"२८४—(१) कलेक्टर, पूर्वनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य प्रसरों के अतिरिक्त अथवा उनके बजाय, स्वतः अथवा भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर ऐसे जोत की कुर्की कर सकता है जिसके सम्बन्ध में बकाया हो ।

जोत की कुर्की, उसे पट्टे पर देना या बेचना

(२) जब किसी जोत की इस प्रकार कुर्की की जाय तो कलेक्टर इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुय जो नियत की जायें, आगामी अनुवर्ती जुलाई के प्रथम दिन से प्रारम्भ होने वाले दस वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जो वह उचित समझे, जोत को, बाकीदार से भिन्न किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को पट्टे पर दे सकता है, जो जोत के सम्बन्ध में देय समस्त बकाये का भुगतान करे और पट्टे की अवधि में मालगुजारी की उसी धनराशि का भुगतान करने को सहमत हो जो जोत की कुर्की किये जाने के ठीक पूर्व बाकी दार द्वारा उस जोत के सम्बन्ध में देय थी ।

(३) यदि पट्टे की अवधि में पट्टेदार पट्टे के अधीन देय मालगुजारी का भुगतान करने में चूक करे तो उससे बकाया धारा २७९ की उपधारा (१) के खण्ड (क) से (ग), (च) तथा (छ) में उल्लिखित किसी एक या अधिक प्रसरों द्वारा वसूल की जा सकती है और उसका पट्टा भी समाप्त किया जा सकेगा ।

(४) पट्टे की अवधि समाप्त हो जाने पर जोत के सम्बन्ध में मालगुजारी की किसी बकाया के लिये राज्य सरकार के बिना किसी दावे के जोत सम्बद्ध खातेदार को वापस दे दी जायगी ।

(५) यदि कलेक्टर का यह समाधान हो जाय कि कोई उपयुक्त व्यक्ति उपधारा (२) के अधीन भूमि को पट्टे पर लेने को तैयार नहीं है तो इस अधिनियम में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, वह जोत को समस्त भारों से मुक्त, ऐसी रीति से बेच सकता है, जो नियत की जाय और आय को बकाया के भुगतान में लगा सकता है, तथा यदि कुछ बचे तो उसे बाकीदार को लौटा देगा।

(६) कलेक्टर उपधारा (५) के अधीन किये गये किसी विक्रय की प्रसूचना (Report) राजस्व बोर्ड को देगा । "

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ द्वारा संशोधित धारा के खंड (२) की पांचवी पंक्ति में शब्द "जोत" और "को" के बीच में शब्द "अथवा उस किसी अंश", लिख दिये जायं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

व्यवस्था का प्रश्न है । आइटम ६ पर जो संशोधन है उसके अस्वीकृत हो जाने पर यह आउट आफ आर्डर हो जाता है ।

(इस समय २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए ।)

श्री कृष्णानन्द राय—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने संशोधन अभी प्रस्तुत किया है जिसमें लिखा है कि धारा १८ द्वारा संशोधित धारा के खंड (२) की पांचवीं पंक्ति में शब्द "जोत" और " को" के बीच में शब्द "अथवा उस किसी अंश" यह शब्द जोड़ दिये जायं । श्रीमन्, इसकी शब्दावली, आप देखें कि धारा १८ द्वारा संशोधित धारा के खंड (२) से धारा २८४ संशोधित हो रही है और जो संशोधन हो रहा है उसके मूल अधिनियम मे वे शब्द मौजूद नहीं हैं । यह इस रूप में आना चाहिये था कि धारा १८ में माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन प्रस्तावित किया है, उसमें हमारा यह संशोधन है । लेकिन इन्होंने यह लिखा है कि धारा १८ द्वारा संशोधित धारा में यह संशोधन ला रहे हैं । मूल अधिनियम की धारा २८४ का संशोधन हो रहा है और उसमें यह नहीं ला सकते हैं । इसमें गवर्नमेंट ला सकती है और संशोधित विधेयक में किसी भी माननीय सदस्य को अधिकार नहीं है कि वह संशोधन ला सकें । इसलिये इस संशोधन की शब्दावली गलत हो जाती है । इसलिये मैं चाहता हूं कि आप व्यवस्था दें और इसको ओवर रूल कर दिया जाय ।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मेरे दो तर्क हैं । पहला यह कि इस प्रकार के संशोधन मैंने रखे और उन सारे संशोधनों को हमें प्रस्तुत करने की आज्ञा दी गई । इसकी एक दफा व्यवस्था हो चुकी है तो दुबारा व्यवस्था नहीं होनी चाहिये । दूसरी बात यह है कि इसको आप पढ़ लें तो कहेंगे कि यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दोषपूर्ण नहीं है। हम यह कहते है कि धारा १८ द्वारा संशोधित धारा के खंड (२) की पांचवीं पंक्ति में वहीं संशोधन किया है जो आपने प्रस्ताव किया है कि ऐसा संशोधन है। इसमें मैं संशोधन रख रहा हूं। मूल अधिनियम का नाम मैंने नहीं लिया। यदि कोई टैक्नीनिकल गल्ती हो तो उसे हटा देना चाहिये। लेकिन इसमें वह भी नहीं है। धारा १८ यह है जो आपके सामने प्रस्तुत है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका संशोधन तो जो प्रस्तावित संशोधन है, उसमें है ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं सुन नहीं सका।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं यह अर्ज कर रहा था कि आप यह कह रहे हैं कि जो संशोधन सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया गया है उसी में आप संशोधन कर रहे हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

जी हां।

श्री कृष्णानन्दराय—

उपाध्यक्ष महोदय, अभी इसके पूर्व माननीय कमलासिंह यादव का संशोधन था और उन्होंने भी मूल अधिनियम में प्रस्ताव रखा था और उसमें यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था और उसमें चेयर द्वारा रूलिंग हुई थी कि मूल अधिनियम में संशोधन नहीं हो सकता है। श्रीमन्, इस संशोधन की शब्दावली को पढ़ लें। इसमें यह लिखा है कि धारा १८ द्वारा संशोधित धारा और यह धारा मूल अधिनियम की धारा २८४ को संशोधित कर रही है। तो यह इस धारा में आ जाता है। प्रस्तावित संशोधन में संशोधन नहीं करना चाहते हैं। श्रीमन्, यह बिल-कुल गलत प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरा खयाल यह है कि जो संशोधन है, वह जो संशोधित प्रस्ताव सरकार का प्रस्तुत है उसमें संशोधन है इसलिये ठीक है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, अब तो आपकी व्यवस्था हो गयी इसलिये मुझे बोलने दीजिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अभी क्लाज ७ के बारे में भी वही बात हुई थी कम्पलीट या पार्ट के लिये, और उसे रिजेक्ट कर दिया गया है, इसलिये यह भी आउट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने जो कहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

यह शब्द बार बार आते थे इसलिये उसमें से हटा दिये गये। मैं यह सोचता हूं कि आपकी रूलिंग से एलाउ हो गया तो पहले वाली बात खत्म हो जाती है।

श्री उपाध्यक्ष—

त्रिपाठी जी, एक बात है, जो रिजेक्ट हो चुका है, उसको असंगत होते हुये भी हम अगर एलाउ करेंगे तो वह असंगत होगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

यह मेरा संशोधन है, इसकी बात डिजेक्ट करके जो हम पहले पास कर चुके हैं वह कटता है, लेकिन यह कहना कि यह आउट आफ आर्डर है, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

श्री उपाध्यक्ष—

जब इससे कन्ट्राडिक्शन होगा तब यह अवश्य आउट आफ आर्डर होगी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

जब पहले पास या रिजेक्ट हो गया है तो कहना कि उससे कन्ट्राडिक्शन होता है, ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बैजनाथसिंह बंद्य—

आगे वाले केसेज से स्कीम पर असर होता है, पिछले वाली स्कीम से असर नहीं होता है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

अब मेरी केवल एक बात सुन ली जाये, दुबारा नहीं कहूंगा क्योंकि कदाचित् आप मुझे नहीं समझ पा रहे हैं या मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, आपने एक फैसला दे दिया कि जो संशोधन यह लाये हैं वह वैधानिक है, उसके बाद मालमंत्री जी ने दूसरा प्वाइन्ट उठा दिया। तो एक बार जब आपने उस पर फैसला दे दिया तो दुबारा उसे विवादग्रस्त क्यों बनाते हैं? अब दूसरे पर चलें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने यह कहा कि जो आपने एतराज किया वह सही नहीं, तब तक दूसरा आ गया और कहा कि इससे कन्ट्राडिक्शन होता है, एक दूसरे में फर्क पड़ता है तो वह नहीं आ सकता है।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, इसमें तो यह है कि एक धारा की जगह दूसरी धारा जो सरकार रखना चाहती है और नयी धारा जो प्रस्तावित है उसमें २ शब्दों का हेरफेर हम करना चाहते हैं, तो इसमें आपत्ति की कौन सी बात है। यदि इतना भी हमें अधिकार नहीं होगा तो संशोधन हमारा कैसे मान्य होगा। नया जो सरकार का प्रस्ताव आया है उनके प्रस्तावित संशोधन के बीच में 'जोत' और 'को' शब्दों के बीच में 'अथवा उस किसी अंश' और केवल रख दिये जाने की बात है।

श्री उपाध्यक्ष—

सवाल यह है कि पहला जो एक संशोधन रखा गया वह अस्वीकृत हो गया।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

वह कहां हुआ, वह तो दूसरी बात है। श्रीमन्, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप व्यवस्था अभी न दें। जब वह सदन के सामने असंगत वाली बात थी तब आप उपस्थित नहीं थे।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

रिकर्ड आपके पास है वह निकलवा लीजिये ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी–

न वह समझा पाये और न आप समझ पाये कि वह क्यों असंगत किया गया था ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप यह बतलाइये कि वह क्यों रिजेक्ट हो गया था ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

आप खंड १४ लीजिये । उसके (ख) को देखिये वह मालगुजारी की वसूलयाबी के बारे में था कि " मालगुजारी के खाते के या उसके किसी अंश के "विक्रय करके वसूल लेंये । इसमें १८ में देखिये कि पट्टे के संबंध में है । अब यह कैसे असंगत हो गया । उसमें बेचने की बात थी कि पूरा या अंश नहीं बेंच सकता, इसमें पट्टा देने की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें कैसे असंगत हो गया मंत्री जी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बात वही है सारी होल्डिंग को अटैच किया जाय या पट्टे पर दिया जाय, बात तो वही पूरे और अंश वाली है ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, वहां तो बेचने की बात थी और इसमें पट्टे पर देने की है । माननीय मंत्री जी आपका यह एतराज नहीं चल सकता । मैं इसे संगत करार देता हूं ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन ३ बजे इस विधेयक को खत्म करना है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

समय तो खराब करते हैं । मैं इसको सिर्फ पढ़ देता हूं कोई तर्क नहीं दूंगा, इससे मतलब स्पष्ट हो जायगा । इसमें है " जब किसी जोत की इस प्रकार कुर्की की जाय तो कलेक्टर इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जायें, आगामी अनुवर्ती जुलाई के प्रथम दिन से प्रारम्भ होने वाले दस वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जो वह उचित समझें, जोत"। मैं कहता हूं कि इसके बाद " अथवा उस किसी अंश" जोड़कर कर दिया जाय " जोत अथवा उस किसी अंश को, बाकीदार से भिन्न किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को पट्टे पर दे सकता है, जो जोत के संबंध में देय समस्त बकाये का भुगतान करे और पट्टे की अवधि में मालगुजारी की उसी धनराशि का भुगतान करने को सहमत हो जो जोत की कुर्की किये जाने के ठीक पूर्व बाकीदार द्वारा उस जोत के संबंध में देय थी ।", स्पष्ट है । मैं आर्गू नहीं करता ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

आई आपोज इट । मैं भी आर्गूमेंट नहीं देता ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि धारा १८ द्वारा संशोधित धारा के खंड (२) की पांचवीं पंक्ति में शब्द "जोत" और "को" के बीच में शब्द "अथवा उस किसी अंश" लिख दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ की नई प्रस्तावित धारा २८४ के उपखंड(२) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पट्टे की अवधि के भीतर सभी देय मालगुजारी का भुगतान करने पर जोत सम्बद्ध खातेदार को बिना किसी दावे के वापस दे दी जायगी।"

इसमें इतना और जोड़ देना चाहता हूं :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पट्टेशुदा जमीन को किसी प्रकार क्षति होने पर पट्टेदार उस क्षति की पूर्ति करेगा।"

इसमें मेरा निवेदन यह है कि यह बिलकुल निर्विवाद है कि हमारे ऊपर जो मालगुजारी बाकी है उसमें कलेक्टर को अधिकार दिया गया कि वह पट्टे पर हमारी जमीन को दे दे। अगर पट्टे पर वह जमीन दे दी जाती है और उस बकाया को अगर हम बीच में ही अदा कर देते हैं तो फिर वह जमीन हमको वापस मिलनी चाहिये। उस अवस्था में वह पट्टा वापस हो जाना चाहिये। जिस अवधि के लिये पट्टा किया गया है, ५ साल या १० साल के लिये पट्टा किया गया है तो हम अगर उस अवधि के भीतर उस बकाया की अदायगी कर देते हैं तो फिर वह जमीन हमको वापस मिलनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि अगर पट्टेदार हमारी उस जमीन को, जो आपने उसको पट्टे पर दी है, उसको क्षति पहुंचाता है, तो उस हालत में वह क्षति पूर्ति करेगा। सी० पी० सी० के आर्डर ४ सी० में यह दिया है कि अगर ऐसा होगा तो उसको क्षति पूर्ति करनी पड़ेगी लेकिन पट्टेदार के बारे में कोई प्राविजन इस विधेयक के अन्दर कहीं भी नहीं है और न ऐसा कोई प्राविजन है कि पट्टेदार की नेगलिजेन्स से अगर जमीन को क्षति पहुंचती है तो उसकी पूर्ति उसको करनी चाहिये। चूंकि यह चीज इसके अन्दर नहीं है और उसको मौका है कि अगर कलेक्टर ने उसके हक में पट्टा लिख दिया है तो वह हर तरह से उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वह क्षति करेगा तो उसकी पूर्ति करेगा। यह बहुत सिम्पुल सा संशोधन है और मंत्री जी को यह मानना चाहिये। जो रुपया आपका हमारे ऊपर चाहिये था वह हमने दे दिया तो वह चीज हमको मिलनी चाहिये और वापस होनी चाहिये। इन सब बातों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता था।

श्री रक्षपालसिंह—

श्रीमन्, हमारे संशोधन भी इसी तरह के हैं, तो उनको भी मूव हो जाने दें और अगर पेश करने का मौका नहीं देते तो हमको बोल लेने दें।

श्री कमलासिंह यादव—

इनका दूसरे खंड पर है और मेरा संशोधन दूसरे पर है।

*श्री हुकुमसिंह विसेन—

उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन रिडन्डेन्ट है। इसकी जरूरत नहीं है उसकी रू से जैसा कि प्राविधान है, पट्टेपर उस समय दिया जायगा जब बकाया होगी। पट्टे पर लेने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वाला आदमी अदा करेगा तो असल बाकीदार की सारी जिम्मेदारी खत्म हो जायगी। बीच में अदा करने का सवाल पैदा नहीं होता। अगर वह देगा तो भी हम नहीं लेंगे। लिहाजा हम इसकी जरूरत नहीं समझते कि संशोधन पास किया जाय।

*श्री कमलासिंह यादव—

हम लगान अदा न कर सके और कलेक्टर ने दूसरे को पट्टा लिख दिया दस साल के लिये। तो अगर हम बीच में वह रुपया दे दें तो उस जमीन के छूट जाने का प्राविधान होना चाहिये। सरकार की अगर ऐसी जुल्मी तलवार चलेगी तो किसान जिन्दा नहीं रहेगा। कलेक्टर अगर किसी से नाराज हो गया और जमीन का पट्टा दूसरे को लिख दिया तो उसके लिये प्राविधान होना चाहिये कि अगर रिसीवर को वह रुपया अदा कर दे तो जमीन उसे वापस हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप पहले कह चुके हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

लेकिन यह दूसरे में है। इसके लिये मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपका कानून ही गलत है। आपको अधिकार दिया गया है कि आप दूसरे के नाम पट्टा लिख कर रुपया ले लें। लेकिन अगर किसान बीच में अपना वह पैसा अदा करना चाहता है तो वह लाचार रहता है इस कानून में। पट्टे का मतलब ट्रासफर नहीं है, सिर्फ आपने पजेशन दिया है। पजेशन अगर दूसरे के पास है और वह बीच में पैसा अदा कर देता है तो उसे अधिकार होना चाहिये कानून में कि वह उस भूमि को वापस भी ले सके और इसीलिये मैंने यह भी रखा था कि अगर वह भूमि को क्षति पहुंचाये तो उसका मुआवजा पाने का भी उसे हक होगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं यह कहता हूं कि जहांतक रिसीवर की तकर्ररी का सवाल है और बकाये का सवाल है उसके लिये कानून कंप्लीट है। वह रुपया दे देगा और क्षति के लिये अगर जनरल ला में उसका हक पहुंचता है तो वह दावा दायर करके वसूल लेगा। इस सब के इसमें रखने की क्या जरूरत है?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १८ की नयी प्रस्तावित धारा २८४ के उपखंड (२) के बाद निम्न-लिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिये जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पट्टे की अवधि के भीतर सभी देय मालगुजारी का भुगतान करने पर जोत सम्बद्ध खातेदार को बिना किसी दावे के वापस दे दी जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा २८४ की उपधारा (४) की पंक्ति २ में शब्द "राज्य सरकार" और "के बिना" के बीच शब्द "या कब्जे की बिना पर पट्टेदार" जोड़ दिये जायं।

श्रीमन्, सीधी सी बात है कि जब जमीन पट्टेदार को लिख दी जायगी तो वह उसके कब्जे में रहेगी और लेखपाल उस पर कर्ज अवश्य भरेगा। लेकिन उसकी मुद्दत खत्म होने के बाद राज्य सरकार के लिये तो लिख दिया गया कि उसका कोई क्लेम उस जमीन पर न होगा लेकिन वह आदमी जिसने जमीन पट्टे पर ले रखी है और जिसका इंदराज कब्जे की हैसियत से खाने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

कैफियत में हो चुका है, कर दिया गया है और दफा १३३ के मातहत उसे असामी होने का अधिकार मिल गया है उसके लिये उसे फिर मुकदमा दायर करना होगा कि वह उसे छोड़ दे। तो इसके माने यह है कि कब्जे की मियाद ६ साल से ज्यादा हो जायगी और वह कहेगा कि हम इसे नहीं छोड़ते। इसलिये राज्य सरकार के साथ अगर पट्टेदार को भी जोड़ दिया जाय तो सरकार तथा कब्जे के आधार पर पट्टेदार भी जमीन के लिये कोई क्लेम नहीं करेगा। यही मेरा मकसद है।

श्री रामकुमार शास्त्री—

यह अमेंडमेंट स्वीकार करने योग्य नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १८ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा २८४ की उपधारा (४) की पंक्ति २ में शब्द "राज्य सरकार" और "के बिना" के बीच शब्द "या कब्जे की बिना पर पट्टेदार" जोड़ दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रताव करता हूं कि खंड १८ की प्रस्तावित धारा २८४ में निम्नलिखित संशोधन किया जाय :—

उक्त धारा के उपखंड (४) के बाद उपखंड ४ (अ) जोड़ दिया जाय—

"४ (अ) पट्टे की अवधि के अन्दर जोत के संबंध में मालगुजारी की किसी बकाया को अदा कर देने पर राज्य सरकार सम्बद्ध खातेदार को जोत वापस कर देगी।"

इस संबंध में मुझे यह कहना है कि माननीय मंत्री जी किसानों के बड़े हामीदार ह और उनका दावा है कि उन्होंने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई है, और यह सही दावा है, लेकिन जो कानून इस समय पेश किया गया है और अगर यह जनमत के लिये भेज दिया गया होता और किसान की नजर इस पर पड़ती तो शायद इनका दावा झूठा हो जाता और इससे उनको बड़ी परेशानी पैदा होती। हमारा, संविधान द्वारा प्रदत्त, मौलिक अधिकार है कि हम अपना पेशा कर सकते हैं। किसान का पेशा केवल कृषि है। अगर आपने पट्टेदार को जमीन दे दी या बेच दी तो किसान अपने पेशे से महरूम हो जायगा। शास्त्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि वे ग्रेटूटस रिलीफ और फलड रिलीफ इत्यादि मुसीबत के समय किसानों को देते हैं, तो जमीन जाने पर ऐसी परिस्थिति पैदा हो जायगी कि जो भूमिहीन हो जायेंगे उनके लिये आपको लंगर खोलने होंगे, उनको रोजगार और पेशे देने होंगे। अगर आपको लंगर खोलना है तब तो आपको यह कानून मुबारक हो, लेकिन अगर किसानों ही हालत दुरुस्त करनी है और उन्हें इस देश का सच्चा नागरिक बनाना है तो इस कानून को नहीं बनाना चाहिये क्योंकि यह उनके मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात करता है।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि आज से करीब ४–५ महीने पहले राष्ट्रपति ने वर्धा में कहा था कि जो देश में कुव्यवस्था और परेशानी है वह इसलिये है कि इस देश की भूमि व्यवस्था ठीक से संचालित नहीं है। आज हमारा समाजवादी दृष्टिकोण है कि जमीन जोतने वाले के पास यानी "लैंड टु दि टिलर" रहे और इसीलिये जमींदारी अबालीशन भी किया गया था। उसके बिलकुल विपरीत यह कानून लाया जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यहां मार्गेज की व्यवस्था है। अगर वहां दखली-मार्गेज है तो वह अपने आप सेल हो जाता है। यह पट्टा ५-१० वर्ष के लिये दखली तौर पर दे दिया जा रहा है। यह एक कार का सेल हो जायगा और पट्टेदार को हक हासिल हो जायगा कि वह कहे कि वह जमीन का मालिक है इसलिये खातेदार को पट्टे की अवधि खत्म हो जाने पर एक अच्छा खासा मुकदमा करने का मौका मिलेगा। किसान गरीब आदमी है जिसे पैसे की गमी के कारण अपनी जमीन खोनी पड़ी। वह मुकदमा नहीं कर सकेगा तो इसका क्या नतीजा होगा? इसलिये इस पर विचार करें कि अगर पट्टे की अवधि में वह पैसा दे दे तो पट्टेदार उसको छोड़ दे और जमीन खातेदार को वापस हो जाय। सिर्फ एक बात है कि इनका किसान से रिश्ता खत्म हो गया, ये पैसा लिये और किनारे हो गये, लेकिन खातेदार का रिश्ता पट्टेदार से हो गया जिसका कांट्रेक्ट उससे कोई नहीं है। इनका पट्टेदार से है। इसलिये नियमों में आप ऐसी व्यवस्था करें कि पैसा पट्टे की अवधि में जमा होने पर अपने आप जमीन किसाने के पास पहुंच जाय। इन शब्दों के साथ इस संशोधन को मैं प्रस्तुत करता हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं इसको अपोज करता हूं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

इन्होंने "अपोज" शब्द अंग्रेजी का प्रयोग किया है, श्रीमन्।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अच्छा, तो मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १८ की प्रस्तावित धारा २८४ में निम्नलिखित संशोधन किया जाय :—

उक्त धारा के उपखंड (४) के बाद उपखंड ४ (अ) जोड़ दिया जाय—

"४ (अ) पट्टे की अवधि के अन्दर जोत के संबंध में मालगुजारी की किसी बकाया को अदा कर देने पर राज्य सरकार सम्बद्ध खातेदार को जोत वापस कर देगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

***श्री कमलासिंह यादव—**

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ में मूल अधिनियम की नई प्रस्तावित धारा २८४ के खण्ड (५) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि बाकीदार अपनी भूमि नीलाम होने के बाद खर्च सहित सब बकाया मालगुजारी तीन माह के अन्दर भुगतान कर दे तो वह जोत सम्बद्ध खातेदार को वापस दे दी जावेगी।"

श्रीमन्, इसमें जो प्रस्ताव लाया गया है उसमें यह है कि बाकीदार अपनी भूमि नीलाम होने के बाद अगर तीन मास के अन्दर भुगतान कर दे तो उसको जोत वापिस मिल जाय। इसके खिलाफ यह नहीं होना चाहिये कि किसानों की बरबादी हो। जो बाकी मालगुजारी दे देता है तो नीलाम होने के बाद व्यवस्था होनी चाहिये, जैसा मैंने प्रस्ताव किया है।

श्री उपाध्यक्ष—

एक आर्गुमेन्ट आप कर चुके हैं। वही आप कर रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमलासिंह यादव—

तो श्रीमन्, इसलिये मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि आर्डर नं० २१ रूल ८९ और ९२ में भी यह दिया हुआ है कि अगर कोई आदमी रुपया डिपाजिट कर दे खर्चे के साथ तो वह उस को वापिस हो जावेगा। ऐसी ही समस्या किसान की भी है। किसान को भी इस नियम के अनुसार सहूलियत मिलनी चाहिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

समय कम है, इसलिये मैं विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १८ के मूल अधिनियम की नई प्रस्तावित धारा २८४ के खंड के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि बाकीदार अपनी भूमि नीलाम होने के बाद खर्च सहित सब बकाया मालगुजारी तीन माह के अन्दर भुगतान कर दे तो वह जोत सम्बन्ध खातेदार को वापस दे दी जावेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री रक्षपालसिंह—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ द्वारा प्रस्तावित धारा २८४ के उपखंड (५) के बाद निम्नलिखित उपखंड (७) जोड़ दिया जाय—

"(७) उपरोक्त धारा १ लगायत ३ में किसी अन्य बात के होते हुए भी बकायादार (मूल खातेदार) यदि पट्टे की अवधि के बीच में बकाया का पूरा रुपया अदा कर दे तो उसे ऐसी शर्तों के अधीन जो तद्‌र्थ सरकार द्वारा निश्चित की जाय, अधिकार होगा कि वह अपनी प्रभावित जोत पर सभी पूर्व अधिकार प्राप्त कर ले।"

श्रीमन्, इस संशोधन को पेश करते हुए मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि "ऐसी शर्तों के अधीन जो सरकार द्वारा तद्‌र्थ निश्चित की जांय किसानों द्वारा जमीन निकालने की व्यवस्था हो"। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि एक आदमी ने पैसा दे दिया। १० साल का पट्टा ले लिया, ऐसी आशंका की जाती है। अगर बीच में खत्म करने का अधिकार हो जाय तो कोई पट्टा न ले। इसलिये मैंने रक्खा कि "ऐसी शर्तों के अधीन..... जिसे सरकार नियत करे।" १० साल में उसका अधिकार भी बदल सकता है। सात साल में दूसरा आदमी काश्तकार सीरदार बन सकता है। अगर इस बीच में कोई खेत को जोतना चाहता है तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि मूल खातेदार यदि पट्टे की अवधि में बकाया रुपया अदा कर दे तो वह अपनी प्रभावित जोत पर सभी पूर्व अधिकार प्राप्त कर सके। तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर विचार करें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १८ द्वारा प्रस्तावित धारा २८४ के उपखंड (५) के बाद निम्नलिखित उपखंड (७) जोड़ दिया जाय—

"(७) उपरोक्त उपधारा १ लगायत ३ में किसी अन्य बात के होते हुए भी बकायादार (मूल खातेदार) यदि पट्टे की अवधि के बीच में बकाया का पूरा रुपया

अदा कर दें तो ऐसी शर्तों के अधीन जो तदर्थ सरकार द्वारा निश्चित की जाय, अधिकार होगा कि वह अपनी प्रभावित जोत पर सभी पूर्व अधिकार प्राप्त कर ले।'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, मैं खंड १८ में निम्न संशोधन उपस्थित करता हूं कि धारा १८ के अन्त में निम्नलिखित उपखंड (७) बढ़ा दिया जाय--

"यदि पट्टेदार पट्टे पर मिली ऐसी भूमि अथवा उस पर की किसी सम्पत्ति को जान-बूझ कर या बदनीयती से अपने व्यवहार अथवा चूक से क्षति पहुंचाता है तो किसी भी प्रकार कलेक्टर की जानकारी में आने पर वह इसका पट्टा समाप्त कर सकेगा तथा क्षतिपूर्ति भी धारा २७९ की उपधारा (१) के खंड (क) से (ग) तथा (च) एवं (छ) में उल्लिखित किसी एक या अधिक प्रसरों द्वारा वसूल कर सकेगा।"

श्री उपाध्यक्ष--

एक मिनट में आप समझा दें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, मैं इसलिये समझाना चाहता हूं हालांकि यह मैं मानता हूं कि मेरी बात चाहे जितनी भी उचित हो, माननीय मंत्री जी मानेंगे नहीं। मान लीजिये, कि अगर किसी को पट्टे पर भमि दे दी जाय, वह ग्रोव है, पेड काट डाले, खोद डाले, उसकी हैसियत खराब कर दे, वेल्यू खराब कर दें, उस पर भट्टा लगा दे तो आप क्या करेंगे? अगर उसको यह भय रहेगा कि कुछ गड़बड़ की तो फौरन् वापिस करनी पड़ेगी, लीज टरमिनेट हो जावेगी। इल लिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

इसे वापस कर लिया जाय, सोचेंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

सोचने का आश्वासन दें तो। अच्छा, मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १९

नयी धारा २८४-क का बढ़ाया जाना

१९--मूल अधिनियम में यथा प्रतिस्थापित धारा २८४ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:--

"२८४-क--यदि कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन कुर्क की गयी कुर्क भूमि पर आगम के बिना काबिज व्यक्तियों को बेदखली किसी भूमि पर इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल कब्जा कर ले अथवा अपना कब्जा बनाये रखे तो वह--

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(क) धारा २८४ के अधीन भूमि के पट्टे पर दिये जाने या बेचे जाने की दशा में, यथास्थिति पट्टेदार या खरीदार के वाद पर, और

(ख) किसी अन्य दशा में, कलेक्टर द्वारा कुर्की की जाने पर कलेक्टर के वाद पर तथा भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा कुर्की की जाने पर समिति के वाद पर,

बेदखल किया जा सकेगा और क्षति मूल्य का देनदार होगा।"

श्री रक्षपालसिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १९ द्वारा प्रस्तावित धारा २८४–क में—

(क) में आये हुए शब्द "खरीदार के वाद पर" के स्थान पर "खरीदार या पट्टे की अवधि खत्म होने पर बकायादार के वाद पर" रख दिया जाय।

श्रीमन्, यह जो मेरा संशोधन है इसमें बेदखली का प्राविजन है। जो आदमी पट्टे पर जमीन ले लेगा अगर उस के कब्जे के प्रतिकूल कोई तीसरा आदमी कब्जा कर ले तो इसमें यह व्यवस्था तो है कि उस पट्टेदार को अधिकार होगा मुकदमा दायर करने का या सरकार मुकदमा दायर कर सकती है। परन्तु ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि तीसरा आदमी कब्जा कर ले और मुकदमा दायर न हो, जैसे पांच साल के लिए मान लीजिये पट्टा है, दो साल जब रह गया तो किसी तीसरे ने कब्जा कर लिया और पट्टेदार ने मुकदमा दायर नहीं किया तो ऐसी स्थिति में वह जो मूल खातेदार है उस को मुकदमा दायर करने का अधिकार होना चाहिए। उसका भी इसमें समावेश होना चाहिए और इसलिए मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करें लेंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उस गरीब आदमी को कहां इसमें फंसाइयेगा। कलेक्टर खुद ही कर लेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १९ द्वारा प्रस्तावित धारा २८४–क में—

(क) में आये हुये शब्द "खरीदार के वाद पर" के स्थान पर "खरीदार या पट्टे की अवधि खत्म होने पर बकायादार के वाद पर" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री कमलसिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १९ के मूल अधिनियम की प्रस्तावित नई धारा २८४–क के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि बाकीदार भूमि पट्टा पर दिये जाने अथवा बेचे जाने की दशा में यदि पट्टेदार या खरीदार ने बेदखली का वाद प्रस्तुत कर दिया हो तो खर्च के साथ देय मालगुजारी की अदायगी पर पट्टा रद्द कर दिया जायगा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और बेची की दशा में खरीदार को एक साल के अन्दर देय मालगुजारी खर्चा तथा २५ प्रतिशत अधिक देने पर पुनः भूमि वापस हो सकेगी।"

मेरा जो प्रस्ताव है उसमें यह भी है श्रीमन्, कि अगर दावा किसी के ऊपर हो जाय उसे बेदखल करने के लिए और वह काश्तकार पूरा रुपया दे देता है तो उसकी बेदखली उस वक्त नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसमें तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए, इतना तो मानना चाहिए। जो रुपया आप का बाकी है अगर वह उस को दे देता है तो उसकी वापसी में क्या एतराज है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह इसमें अगर होगा तो खरीदार बड़े सस्पेंस में रहेगा और खेती बाड़ी नहीं कर सकेगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १९ के मूल अधिनियम की प्रस्तावित नई धारा २८४–(क) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय:—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि बाकीदार भूमि पट्टा पर दिये जाने अथवा बेचे जाने की दशा में यदि पट्टेदार या खरीदार ने बेदखली का वाद प्रस्तुत कर दिया हो तो खर्चे के साथ देय मालगुजारी की अदायगी पर पट्टा रद्द कर दिया जायगा और बेची की दशा में खरीदार को एक साल के अन्दर देय मालगुजारी खर्चा तथा २५ प्रतिशत अधिक देने पर पुनः भूमि वापस हो सकेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २०

धारा २८५ का निकाला जाना

२० मूल अधिनियम की धारा २८५ निकाल दी जाय।

*श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २० के मूल अधिनियम की धारा २८५ के स्थान पर निम्नलिखित धारा २८५ रख दी जाय :—

"धारा २८५– खाते के धारा २८४ के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अन्तर्गत दिये गये कुर्की तथा नीलाम सम्बन्धी नियम लागू होंगे।"

इसमें जो मूल अधिनियम का २८५ है उसको निकालने के लिए माननीय मंत्री जी ने कहा है। तो मैं यह कह रहा हूं कि २८५ जो है वह दूसरे रूप में रख दिया जाय।

"धारा २८५– खाते के धारा २८४ के अधीन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अन्तर्गत दिये गये कुर्की तथा नीलाम सम्बन्धी नियम लागू होंगे।"

माननीय मन्त्री जी यह तो मानेंगे कि कोई नियम अवश्य होना चाहिए कुर्की और नीलामी के सम्बन्ध में जिससे कि अदालत में कार्यवाही होगी। अगर इसको निकाल दे रहे हैं, मनमाने ढंग से, अराजकता फैलाना चाहते हैं तो मुझे कुछ कहना नहीं है। अगर सरकार किसानों को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

बरबाद करना चाहती है तो करे। लेकिन वैसे हमेशा यह होता है कि कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए नियम बनते हैं, अगर इस धारा को निकाल कर के यह कहा जाता कि सी० पी० सी० अप्लाई करेगा तो वह बात तो है नहीं। इसीलिए मुझे यह संशोधन लाना पड़ा है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इस पर जरूर गौर करेंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

धारा २७९ के सब क्लाज (२) और धारा २८४—के सब क्लाज (५) के होते हुए यह बिलकुल गैरजरूरी है और मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २० के मूल अधिनियम का धारा २८५ के स्थान पर निम्नलिखित धारा २८५ रख दी जाय:—

"धारा २८५– खाते के धारा २८४ के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अन्तर्गत दिये गये कुर्की तथा नीलाम संबंधी नियम लागू होंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २१

२१—मूल अधिनियम की धारा, २८६ में—

(१) उपधारा (१) के शब्द "बाकीदार के स्वत्व से" के स्थान पर धारा २८६ शब्द "बाकीदार के स्वत्व की कुर्की करके तथा उसे बेच कर" रख दिये का संबोधन जायें; और कामा तथा शब्द "मानो उक्त बकाया ऐसी दूसरी सम्पत्ति पर निर्धारित मालगुजारी की बकाया हो और उसी के सम्बन्ध में देय हो।" निकाल दिया जाय।

(२) उपधारा (२) में शब्द "सम्पत्ति से" और शब्द "वसूल" के बीच में शब्द "प्रसर द्वारा" बढ़ा दिये जायें।

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड २१ में निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं—

खण्ड २१ के मूल अधिनियम की धारा २८६ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अन्य अचल सम्पत्ति जिससे बकाया वसूल होगा वह नीलाम नहीं किया जायगा केवल पट्टा पर दिया जा सकेगा और जब कभी पट्टे की अवधि के भीतर कुल बकाया अदा हो तो भूमि सम्बद्ध व्यक्ति को बिना किसी वाद के वापस दे दी जायगी।"

'किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि पट्टे शुदा सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति होने पर रिसीवर उस क्षति को पूर्ण करे।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, इस संशोधन में एक बात है, अगर अचल सम्पत्ति जिससे बकाया वसूल होगी, वह नीलाम नहीं की जायगी, सिर्फ यही है कि सीधे अगर नीलाम करना चाहें, तो नीलाम नहीं होना चाहिए, बल्कि छोटे काश्तकारों की जमीन पट्टे पर दे दीजिए, ताकि कुछ बचत हो सके और अगर नीलाम कर दी, तो किसान भूमि-हीन हो जायगा। यही मेरे संशोधन की मंशा है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जैसी जरूरत होगी, वैसा किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २१ के मूल अधिनियम की धारा २८६ के अन्त में निम्लिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अन्य अचल सम्पत्ति जिससे बकाया वसूल होगा वह नीलाम नहीं किया जायगा केवल पट्टा कर दिया जा सकेगा और जब कभी पट्टे की अवधि के भीतर कुल बकाया अदा हो तो भूमि सम्बद्ध व्यक्ति को बिना किसी वाद के वापस दे दी जायगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि पट्टे शुदा सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति होने पर रिसीवर उस क्षति को पूर्ण करेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २२—२५

२२—मूल अधिनियम की धारा २८६ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

रिसीवर की नियुक्ति

"२८६-क—(१) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जब मालगुजारी की बकाया देय हो तो, कलेक्टर पूर्व निर्दिष्ट किसी भी प्रसर के अतिरिक्त अथवा उसके बजाय, आदेश द्वारा—

नयी धारा २८६(क) का बढ़ाया जाना।

(क) ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे, बाकीदार की किसी चल या अचल सम्पत्ति के लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है;

(ख) किसी सम्पत्ति से किसी व्यक्ति का कब्जा या अभिरक्षा हटा सकता है;

(ग) उसे (सम्पत्ति को) रिसीवर के कब्जे, अभिरक्षा या प्रबन्ध में दे सकता है;

(घ) वादों को संस्थित करने तथा उनका प्रतिवाद करने तथा सम्पत्ति की वसूली, उसका प्रबन्ध संरक्षण, परिक्षण और सुधार करने, उसके किराये और लाभों की वसूली, ऐसे किरायों और लाभों का उपयोग और निस्तारण करने तथा लेख्यों का निस्पादन करने के सम्बन्ध में, रिसीवर को समस्त ऐसे अधिकार दे सकता है जो बाकीदार को प्राप्त हों, अथवा उनमें से ऐसे अधिकारों को दे सकता है जो कलेक्टर उचित समझे।

(२) इस धारा की किसी बात से कलेक्टर को यह प्राधिकार नहीं होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति का सम्पत्ति पर से कब्जा या अभिरक्षा हटा दे जिसे हटाने का वर्तमान अधिकार बाकीदार को नहीं है।

(३) कलेक्टर समय-समय पर रिसीवर की नियुक्ति की अवधि को बढ़ा सकता है।

(४) इस धारा के अधीन नियुक्त किये गये रिसीवर के सम्बन्ध में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के प्रथम शिड्यूल में दिये गये आर्डर ४० के नियम २ से ४ तक के उपबन्ध उनमें आये हुए कोर्ट के अभिदेश कलेक्टर के अभिदेश से प्रतिस्थापित होकर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे उक्त कोड के अधीन नियुक्त रिसीवर के सम्बन्ध में लागू होते।"

धारा २८९ से २९१ तक का निकाला जाना।

२३--मूल अधिनियम की धारा २८९ से २९१ तक निकाल दी जाये।

धारा २९२ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन।

२४--मूल अधिनियम की धारा २९२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात् :--

"२९२--इस अध्याय के अधीन किसी भूमि के कुर्क होने के पश्चात् उसके असामी या कब्जा रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके सम्बन्ध में लगान या अन्य देयों के निमित्त कलेक्टर से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को की गयी अदायगी वैध परिशोध (discharge) न होगी।"

कुर्क भूमि के सम्बन्ध में लगान अथवा अन्य देयों की अदायगी

धारा २९४ का संशोधन।

२५--मूल अधिनियम की धारा २९४ की उपधारा (२) के वर्तमान खण्ड (ङ ङ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात्:--

"(ङङ) धारा २७९ की उपधारा (१) में उल्लिखित प्रसरों के सम्बन्ध में वसूल किय जाने वाला व्यय"

श्री रक्षपालसिंह--

श्रीमन्, मैं निम्न प्रस्ताव उपस्थित करता हूं :--

प्रतिबन्धात्मक

खंड २२ द्वारा प्रस्तावित धारा २८६-क के उप खंड (४) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ दिया जाय:--

प्रातिबन्ध यह है कि उपरोक्त प्रविधान ६ १/४ एकड़ से कम रकबा वाले किसी जोत पर लागू नहीं होंगे।"

श्रीमन्, मेरा इस संशोधन से यही तात्पर्य है कि माननीय मंत्री जी जो अक्सर छोटे किसानों पर दया की बात करते हैं, वही मैं इस संशोधन के जरिये चाहता हूं कि कुर्की और नीलाम आदि की कार्यवाही ६ १/४ एकड़ अलाभकर जोतों पर लागू न हो।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खण्ड २२ द्वारा प्रस्तावित धारा २८६-क के उपखण्ड (४) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड जोड़ दिया जाय---

"प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त प्राविधान ६ १/४ एकड़ से कम रकबा वाले किसी जोत पर लागू नहीं होंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन्, मैं खंड २२ में निम्न संशोधन उपस्थित करता हूं---

खंड २२ के मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा '२८६-क' के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि बाकीदार की चल तथा अचल सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचने पर उसकी पूर्ति रिसीवर करेगा।"

"प्रतिबन्ब यह भी है कि पट्टे की अवधि के भीतर कुल बकाया अदा करने पर अथवा पट्टे की अवधि बीत जाने पर खाता तत्संबंधी खातेदार के पक्ष में उक्त खाता की बकाया के लिये राज्य सरकार के समस्त दावों से मुक्त होकर प्रत्यर्पित (रिसटोर्ड) हो जायगा।"

श्रीमन्, मैंने जो संशोधन रखा है, वह यही है कि पट्टे की अवधि के भीतर अगर किसी ने रुपया दे दिया या पट्टे की अवधि बीत गई हो, तो उसको बिना किसी वाद के जमीन मिल जाना चाहिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड २२ के मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा २८६-क अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय:---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि बाकीदार की चल तथा अचल सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचने पर उसकी पूर्ति रिसीवर करेगा।

"प्रतिबन्ध यह भी है कि पट्टे की अवधि के भीतर कुल बकाया अदा करने पर अथवा पट्टे की अवधि बीत जाने पर खाता तत्संबंधी खातेदार के पक्ष में उक्त खाता की बकाया के लिये राज्य सरकार के समस्त दावों से मुक्त होकर प्रत्यर्पित (रिसटोर्ड) हो जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड २२ से २५ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २६-३९

धारा ३४१ का संशोधन

२६---मूल अधिनियम की धारा ३४१ में शब्द तथा अंक "इंण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८" के स्थान पर शब्द तथा अंक "लिमिटेशन ऐक्ट, १९६३" रख दिये जायें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुसूची २ का संशोधन

२७—मूल अधिनियम की अनुसूची २ में, प्रविष्टि संख्या ४२ के पश्चात् निम्नलिखित नयी प्रविष्टि बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

१	२	३	४	५	६
४३	२८४-क	कुर्क भूमि पर आगम के बिना काबिज व्यक्तियों की बेदखली के लिये और क्षति-मूल्य के लिये वाद	असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी	कमिश्नर	बोर्ड

अपवाद का वैधीकरण ।

२८—मूल अधिनियम की धारा २७९, जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व थी, में उल्लिखित किसी प्रसर के संबंध में, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व शुल्क या तलबाना के रूप में वसूल की गयी कोई धनराशि उस प्रसर के व्यय स्वरूप वैध रूप से वसूल की गयी समझी जायगी मानों इसे अधिनियम के संगत उपबन्ध सभी सारवान दिनांकों पर प्रचलित थे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २९, १९५७ की धारा १ का संशोधन ।

२९—उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १ की उपधारा (के) के खंड (क) में शब्द तथा अक्षर "भाग क" के स्थान पर शब्द तथा अक्षर "भाग के खंड (क) से (घ)" रख दिये जायें, और शब्द "नोटोफाइड एरिया, टाउन एरिया अथवा कैन्टूनमेंट" के स्थान पर शब्द "किसी नोटोफाइड एरिया, किसी ऐसी टाउन एरिया, जो रामपुर में स्थित रामपुर (एडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ में यथा परिभाषित टाउन एरिया न हो, अथवा किसी कैन्टूनमेंट" में रख दिये जायें ।

धारा २ का संशोधन ।

३०—मूल अधिनियम की धारा २ में—

(१) खंड (१५) के उपखंड (क) में शब्द तथा अक्षर "भाग क" के स्थान पर शब्द तथा अक्षर "भाग क के खंड (क) से (घ)" रख दिये जायें, और शब्द "म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया अथवा कन्टूनमेंट एरिया के स्थान पर शब्द "म्युनिसिपैलिटी, किसी नोटिफाइड एरिया, किसी ऐसी टाउन एरिया, जो रामपुर में स्थित रामपुर (ऐडमिनिस्ट्रशन) आर्डर, १९४९ में तथा परिभाषित टाउन एरिया न हो, अथवा किसी कैन्टूनमेंट के" रख दिये जायें ;

(२) खंड (१७) के अन्त में आये हुये, पूर्ण विराम के स्थान पर कामा रख दिया जाय और तत्पश्चात निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(१८) उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० तथा यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के संबंध में अथवा तद्धीन बनाये गये नियमों के संबंध में अभिदेश क्रमशः समय-समय पर संशोधित उक्त अधिनियम (एक्ट) या नियमों क संबंध में अभिदेश समझे जायंगे ।"

धारा ६५ का संशोधन ।

३१—मूल अधिनियम की धारा ६५ में शब्द तथा अंक "१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) द्वारा संशोधित यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के उपबन्ध एवं उसके अधीन बनी नियमावली इस अधिनियम के अधीन अर्जित कृषि क्षेत्रों पर लागू होगी" के स्थान पर शब्द तथा अंक "उन क्षेत्रों में, जिनके संबंध में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति हो, अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ और तदधीन समय-समय पर बनाये गये नियम अथवा जारी की गयी आज्ञाओं के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन अर्जित कृषि क्षेत्रों पर लागू होंगे" रख दिये जायें ।

अनुसूची का संशोधन ।

३२—मूल अधिनियम की अनुसूची के भाग क में शब्द "नोटोफाइड एरिया, टाउन एरिया अथवा कैन्टूनमेंट" के स्थान पर शब्द किसी नोटोफाइड एरिया, किसी ऐसी टाउन एरिया, जो रामपुर में स्थित रामपुर (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ में यथापरिभाषित टाउन एरिया न हो, अथवा किसी कैन्टूनमेंट" रख दिये जायें ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १७, १९६० की धारा १ का संशोधन ।

३३—कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम १९६० (जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

(२) इसका प्रसार निम्नलिखित को छोड़कर समस्त कुमायूं तथा उत्तराखंड डिवीजनों में होगा—

(क) वे क्षेत्र जिनमें, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व दिनांकों को किन्हीं अपवादों या परिष्कारों के साथ अथवा उनके बिना उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० प्रचलित था,

(ख) नैनीताल जिले के तराई तथा भावर सरकारी आस्थान के गांव,

(ग) नैनीताल जिले के तराई तथा भावर सब-डिवीजन के भावर गांव जो अभी तक मध्यवर्तियों के पास है, और

(घ) धारा २ के खंड (घ) में उल्लिखित गांवों को छोड़कर गढ़वाल जिले के गढ़वाल भावर सरकारी आस्थानों में सम्मिलित गांव ।"

धारा २ का संशोधन ।

३४—मूल अधिनियम की धारा २ का खंड (ग) निकाल दिया जाय ।

धारा ३ का संशोधन ।

३५—मूल अधिनियम की धारा ३ में—

(१) खण्ड (१६) अन्त में आया हुआ शब्द "तथा" निकाल दिया जाय; और

(२) खंड (१७) के अन्त में आये हुये पूर्ण विराम के स्थान पर सेमी कोलन तथा शब्द "और" रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"(१८) उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० तथा यू०पी० लैन्ड रवेन्यू ऐक्ट, १९०१ अथवा

तदधीन बनाये गये नियमों के संबंध में अभिदेश क्रमशः समय समय पर यथा संशोधित उक्त अधिनियम (ऐक्ट) या नियमों के संबंध में अभिदेश समझे जायेंगे, और सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि अर्जन से सम्बद्ध अधिनियमितियों के संबंध में अभिदेश, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय समय पर यथा संशोधित उन अधिनियमितियों के संबंध में अभिदेश समझे जायेंगे ।"

धारा १९ का संशोधन ।

३६--मूल अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (१) में "शब्द देय मालगुजारी" के स्थान पर शब्द "देय मालगुजारी, अबवाब तथा स्थानिक कर" रख दिये जायें और सदैव से रक्खे गये समझे जायें

धारा ४८ का संशोधन ।

३७--मूल अधिनियम की धारा ४८ की उपधारा (२) में शब्द तथा अंक "यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के उपबन्ध जैसे कि वे उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० द्वारा संशोधित हुये हैं, और तदन्तर्गत निर्मित नियम या विनियम या दी गयी आज्ञायें" के स्थान पर शब्द तथा अंक "यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ कोई उपबन्ध जैसे कि वे उन क्षेत्रों में जिनके संबंध में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति जारी हो चुकी है अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर संशोधित हों और तद्धीन बनाये गये नियम अथवा दी गयी आज्ञायें" रख दिये जायं ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ११, १९५६ की धारा २ का संशोधन ।

३८--जौनसार बाबर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा २ में--

(१) खंड (ढ) के अन्त में आया हुआ शब्द "और" निकाल दिया जाय और उसके ठीक पहले आये हुए कामा के स्थान पर सेमीकोलन रख दिया जाय ।

(२) खंड (ण) के अन्त में आये हुये पूर्ण विराम के स्थान पर सेमीकोलन तथा शब्द "और" रख दिये जायें और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाय तथा सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्--

"(त) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० तथा यू०पी०लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के संबंध में अथवा तद्धीन बनाये गये नियमों के संबंध में अभिदेश क्रमशः समय-समय पर यथा संशोधित उक्त अधिनियम, ऐक्ट या नियमों के संबंध में अभिदेश समझे जायेंगे ।"

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१ की धारा ४ का संशोधन ।

३९--यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ (जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ४ में, खंड (१६) के अन्त में आये हुये पूर्ण विराम के स्थान पर सेमीकोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाय:--

"(१७) किसी अधिनियम का कोई अभिदेश उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा-संशोधित उक्त अधिनियमित अभिदेश और कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की दशा में, उसकी प्रथम अनुसूची में दिये गये नियमों में उच्च न्यायालय द्वारा उसकी धारा १२२ के अधीन समय-समय पर किये गये किन्हीं अभिशून्यनों, परिवर्तनों

तथा परिवर्द्धनों के भी अधीन रहते हुए, उक्त कोड का अभिदेश समझा जायगा ।"

श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन् मेर व्यवस्था का प्रश्न है । यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट १९०१ का जो अंग्रेजी में है इसका हिन्दी में ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, जब कि संशोधन इसमें हिन्दी में किये हैं तो अंग्रेजी के अधिनियम में अंग्रेजी में ही संशोधन होना चाहिये । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

इसका फैसला पहले ही हो चुका है ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड २६ से ३९ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड ४०---५२

धारा १४६ का संशोधन ।

४०---मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १४६ की संख्या बदलकर उसे उसकी उपधारा (१) कर दिया जाय, और

(१) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) में---

(क) खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्---

"(ज) बाकीदार की अन्य अचल सम्पत्ति की कुर्की करके या उसका विक्रय करने" और

(ख) खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्

"(झ) बाकीदार की चल या अचल सम्पत्ति का रिसीवर नियुक्त करके"

(२) उक्त उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्---

"(२) उपधारा (१) में उल्लिखित किसी भी प्रसर का व्यय मालगुजारी का बकाया में जोड़ लिया जायगा और उस उक्त बकाया को वसूल करने की रीति से वसूल किया जायगा ।"

धारा १६२ का संशोधन ।

४१---मूल अधिनियम की धारा १६२ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्---

"(१) यदि बकाया धारा १४६ की उपधारा (१) के खंड (ज) से (छ) तक में उल्लिखित किन्हीं भी प्रसरों द्वारा वसूल नहीं किया जा सकता तो कलेक्टर, बाकीदार की किसी अन्य अचल सम्पत्ति के स्वत्व की कुर्की करके या उसे बेंचकर बकाया की वसूली कर सकता है;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब ऐसी सम्पत्ति बेंची जाय तो धारा १६१ के उपबन्ध ऐसी बिक्री पर लागू न होंगे ।"

नयी धारा १८२-क का बढ़ाया जाना ।

४२--मूल अधिनियम की धारा १८२ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्--

"१८२-क--(१) रिसीवर की नियुक्ति इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी जब मालगुजारी की बकाया देय हो तो, कलेक्टर पूर्व निर्दिष्ट किसी भी प्रसर के अतिरिक्त अथवा उसके बजाय, आदेश द्वारा--

(क) ऐसी अवधि के लिये जो वह उचित समझे, बाकीदार की किसी चल या अचल सम्पत्ति के लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है,

(ख) किसी व्यक्ति को सम्पत्ति के कब्जे या उसकी अभिरक्षा से हटा सकता है,

(ग) उसे (सम्पत्ति को) रिसीवर के कब्जे, अभिरक्षा या प्रबन्ध में दे सकता है,

(घ) वादों को संस्थित करने तथा उनका प्रतिवाद करने तथा सम्पत्ति की वसूली, उसका प्रबन्ध, संरक्षण, परिरक्षण और सुधार करके, उसके किराये और लाभों की वसूली, ऐसे किरायों और लाभों का उपयोग और निस्तारण करने तथा लेख्यों का निष्पादन करने के संबंध में, रिसीवर को ऐसे समस्त अधिकार दे सकता है जो बाकीदार को प्राप्त हो, अथवा उसमें से ऐसे अधिकारों को दे सकता है जो कलेक्टर उचित समझे ।

(२) इस धारा की किसी बात से कलेक्टर को यह प्राधिकार नहीं होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को सम्पत्ति के कब्जे या उसकी अभिरक्षा से हटाये जिसे हटाने का वर्तमान अधिकार बाकीदार को नहीं है ।

(३) कलेक्टर समय-समय पर रिसीवर की नियुक्ति की अवधि को बढ़ा सकता है ।

(४) इस धारा के अधीन नियुक्त किये गये रिसीवर के संबंध में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के प्रथम शिड्यूल में दिये गये आर्डर ४० को नियम २ से ४ तक के उपबन्ध उनमें आये हुये कोर्ट के अभिदेश, कलेक्टर के अभिदेश से प्रतिस्थापित होकर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे उक्त कोड के अधीन नियुक्त रिसीवर के संबंध में लागू होते ।"

धारा २३४ का संशोधन ।

४३--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २३४ को संख्या बदलकर उसे उसकी उपधारा (१) कर दिया जाय, और

(१) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) में--

(क) प्रारम्भिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्--

"(१) राज्य सरकार, खंड (ए) से (एफ), खंड (एम) के उपखंड (१), खंड (ओ) से (एस), खंड (वी) के उपखंड (१), खंड (डब्लू०) के उपखंड (१), खंड (एक्स) के उपखंड (१), और खंड (वाई) तथा (जेड) के अधीन

विषयों के संबंध में इस अधिनियम से संगत नियम बना सकती है, और बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से खंड (जी) से (एल), खंड (एम) के उपखंड (२), खंड (एन), (टी) और (यू०), खंड (बी) के उप-खंड (२) खंड (डब्लू०) के उपखंड (२) और खंड (ऐक्स) के उपखंड (२) के अधीन विषयों के संबंध में इस अधिनियम से संगत नियम बना सकता है ।"

(ख) खंड (वाई) के अन्त में आये हुये पूर्ण विराम के स्थान पर सेमीकोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्--

"(जेड) राजस्व न्यायालयों में याचिका लेखकों के रूप में कार्य करने के लिये व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करना, ऐसे व्यक्तियों के कार्य संचालन तथा उनके द्वारा लिये जाने वाले शुल्कों के मानक्रम को विनियमित करना, और शर्तों तथा प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने के लिये ऐसे लाइसेंसों को रद्द करना ।"

(२) उक्त उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्--

"(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक एक या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल १४ दिन की अवधि पर्यन्त रक्खे जायेंगे, और जब तक कोई बाद का दिनांक निश्चित न किया जाय, गजट में प्रकाशन के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों (annulments) के अधीन रहते हुये, प्रभावी होगें जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हो, किन्तु इस प्रकार का कोई ऐस परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले कीगयी किसी कार्यवाही की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५३ ई० की धारा ३ का संशोधन ।

४४---उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ (जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ में---

(१) खंड (११) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्---

"(११) खातेदार का तात्पर्य भूमिधर अथवा सीरदार से है और उनके अन्तर्गत---

(क) असामी,

(ख) सरकारी पट्टेदार या सरकारी अनुदान ग्रहीता, या

(ग) सहकारी कृषि समिति जो ऐसी शरतों को पूरा करती हो जो नियत की जायें, भी है" तथा

(२) खंड (१२) के अन्त में आये हुये पूर्ण विराम के स्थान पर सेमीकोलन तथा शब्द ; "और" रख दिये जायें तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (१३) बढ़ा दिया जाय, अर्थात्---

"(१३) उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० तथा यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के संबंध में अभिदेश, समय-समय पर यथा संशोधित उक्त अधिनियम ऐक्ट के संबंध में अभिदेश समझे जायेंगे"

धारा ५ का संशोधन।

४५—मूल अधिनियम की धारा ५ में—

(१) पार्श्व शीर्षक में शब्द "प्रख्यापन" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "धारा ४(२) के अधीन विज्ञप्ति" रख दिये जायें ।

(२) प्रारम्भिक पैरा में शब्द तथा अंक "धारा ४ के अधीन" के स्थान पर, शब्द तथा अंक"धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन" रख दिये जायं, और शब्द "प्रख्यापन" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन विज्ञप्ति" रख दिये जायें,

(३) खंड (ख) के उप-खंड (२) में शब्द "को मान्य होगी" के स्थान पर शब्द "द्वारा मान्य होगी" रख दिये जायें,

(४) प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द तथा अंक "धारा ४ के अधीन" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन" रख दिये जायें ।

धारा २३ का संशोधन।

४६—मूल अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (३) में—

(१) खंड (१) में शब्द"के लिये" और शब्द"अंतिम प्रदेशन आज्ञायें समझा जायगा" के बीच में कामा तथा शब्द "इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये," बढ़ा दिये जायें, और

(२) खंड (२) में शब्द "के लिये" और शब्द "अंतिम प्रदेशन आज्ञायें होंगी" के बीच में कामा तथा शब्द, इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए," रख दिये जायं ।

धारा २७ का संशोधन।

४७—मूल अधिनियम की धारा २७ की उपधारा (२) और (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिये जायें, और सदा से रखे गये समझे जायेंगे, अर्थात्—

"(२) उपधारा(१) के उपबन्धों के अनुसार तैयार किये गये अधिकार अभिलेख की सभी प्रविष्टियां ठीक मानी जायेंगी जब तक कि उसके प्रतिकूल प्रमाणित न कर दिया जाय ।

(३) धारा ५२ के अधीन विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् कलेक्टर अपने द्वारा पहले रक्खे जाने वाले नक्शे, खसरा तथा अधिकार अभिलेख के स्थान पर, उपधारा (१) के अनुसार तैयार किया गया नक्शा खसरा तथा अधिकार-अभिलेख रक्खेगा, और यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा २८ और ३३ के उपबन्ध यथास्थिति ऐसे नक्शे, खसरा तथा अभिकार अभिलेख के रखे जाने पर लागू होंगे ।"

धारा ४९ का संशोधन।

४८—मूल अधिनियम की धारा ४९ में शब्द तथा अंक "धारा ४ के अधीन" के स्थान पर शब्द या अंक "धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन" रख दिये जायं ।

धारा ५२ का संशोधन।

४९—मूल अधिनियम की धारा ५२ की उपधारा (१) में शब्द तथा अंक "धारा २७ के अधीन" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा २७ की उपधारा (१) के अधीन" रख दिये जायें।

धारा ५४ का संशोधन।

५०—मूल अधिनियम की धारा ५४ की उपधारा (२) में—

(१) खंड (क) में शब्द तथा अंक "धारा ४ के अधीन" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन" रख दिये जायं,

(२) खंड (घ) में शब्द "पुनरीक्षण" के ठीक पश्चात् आया हुआ शब्द "से" निकाल दिया जाय।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३८ १९५८ ई० की धारा ४९ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन।

५१—उत्तर प्रदेश जोत-चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५८ की धारा ४९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात्—

संक्रमणीय उपबन्ध

"४९—जब इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय किसी कटक में चकबन्दी क्रियायें चल रही हों तो—

(१) यदि क्रियायें मूल अधिनियम की धारा ७ के अधीन भू-अभिलेखों की जांच करने की व्यवस्था में हों, तब सहायक चकबन्दी अधिकार उक्त धारा में उल्लिखित विवरण-पत्र को पूर्ण रूप से तैयार करेगा मानो यह अधिनियम प्रचलित ही न हुआ हो, और तदुपरान्त विवरण-पत्र का इस प्रकार पुनरीक्षण तथा तैयार किया जाना संशोधित अधिनियम की धारा ७ तथा ८ में उल्लिखित विवरण-पत्र का पुनरीक्षण तथा तैयार किया जाना समझा जायगा, और तत्पश्चात् उसके आगे की समस्त कार्यवाहियां संशोधित अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसकी धारा ९ के अधीन कार्यवाहियों से प्रारम्भ करके, संचालित तथा समाप्त की जायेंगी।

(२) यदि क्रियायें मूल अधिनियम की धारा ८ के, अधीन कार्यवाहियों की अवस्था या उसके बाद की किसी अवस्था में हों, तब उसके आगे की समस्त कार्यवाहियां मूल अधिनियम के अनुसार जारी रक्खी जायेंगी तथा समाप्त की जायेंगी मानो यह अधिनियम प्रचलित ही न हुआ हो ;

स्पष्टीकरण —इस धारा में, "संशोधित अधिनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम से है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८, १९६३ की धारा ४७ का संशोधन।

५२—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९६२ की धारा ४७ की उपधारा (१) में :—

(क) प्रारम्भिक पैरा में शब्द तथा अंक "धारा ४ के अधीन" के स्थान पर शब्दतथा अंक "धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन" रख दिये जायं ;

(ख) खण्ड (२) में शब्द "प्रस्तावों" के स्थान पर शब्द "सिद्धान्तों" रख दिया जाय; और

(ग) शब्द "मानो यह अधिनियम प्रचलित ही न हुआ हो" के स्थान पर शब्द तथा अंक "मानो धारा ४३ को छोड़कर, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रचलित ही न हुए हों" रख दिये जायं।

श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन्, मैं खंड ४० में निम्न संशोधन उपस्थित करता हूं:---

"खण्ड ४० के खंड (१) के स्थान पर निम्न लिखित खंड (१) रख दिया जाय:---

"१---इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) में:

खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड (ज) रख दिया जाय और (झ) निकाल दिया जाय ;

'(ज) बाकीदार की चल अथवा अचल सम्पत्ति का रिसीवर नियुक्त करके' ।"

श्रीमन्, मेरे संशोधन का आशय यह है कि अगर बाकी हो, तो बाकीदार की अचल सम्पत्ति जो है, वह अगर अवधि पूरी होने पर या उसके भीतर बकाया अदा कर देता है, तो वह उसे बिना किसी वाद के वापस हो जाना चाहिये ।

श्री हुकुम सिंह विसेन---

मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ४० के खंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित खंड (१) रख दिया जाय:

"१---इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) में:

खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड (ज) रख दिया जाय और (झ) निकाल दिया जाय:

'(ज) बाकीदार की चल अथवा अचल सम्पत्ति का रिसीवर नियुक्त करके'"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं खंड ४६ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । चकबन्दी के बाद रिकर्ड आफ राइट तैयार करने जा रहे हैं । तो रिकर्ड आफ राइट वही माने जायेंगे, लेकिन उसके बाद एक वाक्य जोड़ दिया है कि "जब तककि इसके प्रतिकूल प्रमाणित न कर दिया जाय" मैं इस वाक्य को निकालना चाहता हूं, अन्यथा रिकर्ड आफ राइट की प्रमाणिकता किसी स्तर पर नहीं रहेगी । चकबन्दी का ध्येय है कि रिकर्ड आफ राइट फाइनली तैयार हो जाय और किसान मुकदमेबाजी से बच जाय । अतः जब तक यह प्रमाणित वाला झगड़ा रहेगा वकील लोग हर वक्त मुकदमेबाजी करते रहेंगे । इसलिये मैं चाहता हूं कि यह झगड़ा खत्म हो जाय । धारा ५२ के अधीन जब किसान को कब्जा मिल जाय, वह हमेशा के लिये फाइनल हो और रिकर्ड आफ राइट को किसी अदालत में चैलेंज न किया जाय। मैं चाहता हूं कि जो प्राविजन अभी तक था, वही रहना चाहिये । इस पर एक तरह रेसजुडिकेट लगना चाहिये । जब चकबन्दी फाइनल हो गई और रिकार्ड आफ राइट मिल गया तो वह किसी अदालत में चैलेन्ज न हो । अगर ऐसा कानून हो जाता है, तो किसान को छुट्टी मिल जायगी । इसलिये यह क्लाज आप निकाल दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह बात आप तृतीय वाचन में कह दीजियेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कमलासिंह यादव--

धारा २८ और ३३ दी हुई हैं, फैक्ट और मैरिट्स में कोई नहीं जा सकता। २८ में इन-हेरीटेंस का प्रश्न है और ३३ में अगर कोई क्लीयर या एक्सीडेंटल मिस्टेक हो, तो उसका सुधार हो सकता है। इसलिये माननीय काशीनाथ का भ्रम गलत है। इस क्लाज के रहने से जो चकबन्दी में बहुत सी गलतियां हुई हैं, उनका सुधार हो जायगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

माननीय काशीनाथ की राय जनमत के खिलाफ है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह वकीलों की डिमांड है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ४० से ५२ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६५

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५०, उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६, कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९६०, जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६, यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम १९५३ तथा अन्त में उल्लिखित अधिनियम को संशोधन करने वाली कतिपय अधिनियमितियों का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि-विधि संशोधन अधिनियम, १९६५ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारंभ।

(२) अध्याय ३, १२ मार्च, १९५७ से प्रचलित हुआ समझा जायगा, धारा ४४, ४५, ४७ से ४९ तक और ५१, ८ मार्च, १९६३ से, प्रचलित हुई समझी जायेंगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रचलित होंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुमसिंह विसेन--

उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६५ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६५†

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६५ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक छोटा सा विधेयक है। यह इसलिये प्रस्तुत किया गया है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में जो सन् ४७ का है उसमें गांव सभाओं को लघु सिंचाई की योजनायें बनाने, मरम्मत करने, रख-रखाव के कामों को आब्लीगेटरी फंक्शन नहीं किया गया था। इधर आपने देखा होगा कि जब से गल्ले की कमी अपने देश और प्रदेश में हुई है दिल्ली को सरकार और इस प्रदेश की सरकार यह प्रयत्न कर रही है कि लघु सिंचाई की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाय। उसके लिये ऋण भी दिये जा रहे है और छूट भी दी जा रही है। हमारे पास भी केन्द्रीय सरकार की ऐसी सिफारिश आयी है कि हम एक एसा संशोधन विधेयक लायें जिसमें पंचायत राज अधिनियम में जो काम अनिवार्य रूप से नहीं है, उनको एक आब्लीगेटरी फंक्शन बना दिया जाय। लिहाजा यह संशोधन विधेयक सिर्फ इतना ही है कि लघु सिंचाई योजनाओं को बनाने और उनके रख-रखाव तथा संरक्षण पंचायतों को दे दिया जाय।

इसके साथ ही साथ बाढ़ से गांवों को बचाने के लिये जो बांध बनाये गये हैं और जो गांवों को ऊंचा किया गया है, उनके बारे में फ्लड बोर्ड ने लिखा है कि पंचायतों को उनका रख-रखाव दे दिया जाय। इसके अलावा एक प्रावीजन यह भी किया गया है कि गांव सभायें यदि कहीं बंधियां बनाये, तालाब खुदवायें या पानी पीने के लिये कुएं बनवाये, उसके लिये जो धन की जरूरत हो उस धन को भी वे लोगों से वसूल कर सकें। उसके लिये कर लगाने का प्रावीजन इसमें किया गया है। इस प्रकार से यह एक छोटा सा संशोधन विधेयक है, मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इसको स्वीकार करेंगे।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६५ को एक प्रवर समिति को भेजा जाय जिस को विधेयक में परिवर्तन तथा परिवर्द्धन करने का अधिकार हो तथा समिति अपना प्रतिवेदन ६० दिन के अंदर सदन के समक्ष प्रस्तुत करे।

श्रीमन्, यह जो माननीय मंत्री जी ने विधेयक दिया है वह अंग्रेजी में है। मूल अधिनियम अंग्रेजी में है और उसको हिन्दी में संशोधित किया जा रहा है। यह कैसे होगा?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो तय हो चुका है कि सब का हिन्दी में अनुवाद होगा?

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन् जब तक उसका अनुवाद न हो जाय तब तक तो अंग्रेजी में ही आना चाहिये।

---

†९ मार्च, १९६५ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---

जिस धारा के ये अमेंडमेंट हैं वे उसमें लगा दिये जायेंगे और जब अनुवाद होगा तो उसमें इनको इनकारपोरेट कर लिया जायगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

श्रीमन्, अंग्रेजी तो लार्ड मेकाले और डलहौजी की औलाद के लिये है । यहां के लिये तो हिन्दी ही ठीक है ।

श्री उपाध्यक्ष---

जब तक अनुवाद नहीं हो जाता तब तक जरूरी संशोधन तो करने ही होंगे, नहीं तो काम रुक जायगा । वह एक दम तो नहीं हो सकता ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

जो अंग्रेजी चाहते हैं उन को लन्दन भेज दिया जाय ।

श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है इसके द्वारा हम गांव सभाओं को आटोनामस बाडी बनाने जा रहे हैं और उनको हर तरह का अधिकार देने जा रहे हैं कि किस तरह से वह स्वयं अपनी व्यवस्था कर सकें और अपने पैरों पर खड़ी हो सकें । वह स्वयं अपनी सिचाई, नालियों और गूलों-बांधों का प्रबन्ध कर सकें और अपने गांवों में जिस तरह की व्यवस्था उनको चाहिये वह सब वह कर सकें जैसे कि टाउन एरिया या म्युनिसिपल बोर्ड्स में जनता करती है । असल में इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं इन चीजों का, और इसलिये गांव सभाओं को यह अधिकार हम देने जा रहे हैं । जहां तक इन अधिकारों का सम्बन्ध है इसमें दो-तीन चीजें हैं जिनके विषय में यह विधेयक लाया गया है । पहला उद्देश्य यह है सिंचाई कार्यों का निर्माण, मरम्मत अथवा अनुरक्षण । निर्माण कैसे हो, मरम्मत कैसे हो और फिर उनका अनुरक्षण कैसे हो यह खास चीजें हैं जिनके लिये यह कानून लाया गया है । इसके साथ ही बाढ़ निवारक कार्यों के अनुरक्षण का भी सवाल है जिससे गांव बरबाद होते हैं और गांवों की रक्षा करने के लिये यह कार्य भी जरूरी है । बाढ़ निवारक कार्य भी गांव में किये जायं और फिर उनका अनुरक्षण करना भी जरूरी है क्योंकि बांध बनाये जायं और उनकी देखभाल न रहे और वह टूट जांय तो हालत बिगड़ सकती है, वह ध्वस्त हो जाते हैं और फिर उनका बनना मुश्किल हो जाता है। उनकी भी रक्षा इस संशोधन के द्वारा हो सकेगी ।

मंत्री जी ने बताया कि पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, मेरे खयाल में यह व्यवस्था पहले से है लेकिन जिस तरीके से आप लाना चाहते हैं उस तरह से वह नहीं थीं क्योंकि अब जो आप की व्यवस्था हो रही है वह प्लान्ड योजना होगी जिसे सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स बनायेंगे और जिस तरह से वह कहेंगे उसी तरह से बांध, गूल या सिंचाई का प्रबन्ध किया जायगा, उनके कहने के अनुसार प्लान्ड योजना के अन्तर्गत तमाम नहरें और नालियां आदि बनेंगी । चीज तो बहुत अच्छी है, हर आदमी इसको पसन्द करेगा कि ऐसी चीजें हों लेकिन मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये कि ऐसे काम जो गांव सभा करने जा रही हो उसको करने के पहले गांव सभा की भी स्वीकृति लेनी चाहिये । अपने प्रस्तावों के द्वारा जिस प्लान्ड योजना को आप कार्यान्वित कराने जा रहे हैं उसको पहले गांव के लोगों के सामने रखा जाय और उसके कार्यान्वयन में या उसके अनुरक्षण में अगर कोई दिक्कत है तो गांव के लोगों की उस दिक्कत को सुनना चाहिये । उनको उसकी पहले से जानकारी होनी चाहिये और इसलिये इसमें ऐसा प्राविधान होना चाहिये जैसा कि स्वायल कन्जरवेशन ऐक्ट में है कि अगर कोई भी ऐसा काम सरकार गांव सभाओं के द्वारा कराना चाहती है तो सब से पहले यह होता है कि

[श्री कमलासिंह यादव]

वह प्लान पहले गांव समाज के पास भेजी जाती है और वहां मीटिंग में उस पर वादविवाद होता है और एक प्रस्ताव के द्वारा उस पर निर्णय लिया जाता है और अगर वह उसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो उस परिवर्तन के साथ वह फिर तवज्जह करते हैं, इस तरह से सोचने विचारने के बाद योजना कार्यान्वयन के लिये आती है। वह मौके पर जाकर लोगों की बातों को सुनते हैं स्वायल कन्जरवेशन के सम्बन्ध में और अगर संशोधन करने लायक कोई चीज होती है तो वह संशोधन करते हैं। अगर वह अच्छी चीज होगी तो अधिकारी गांव वालों को समझा कर उसी प्रकार करवायेंगे और अगर कोई कार्य प्लान्ड योजना के अन्तर्गत चाहते हैं तो आपको ऐसा प्राविधान करना होगा कि गांव सभाओं के सामने यें योजनायें रखी जायं, जिनमें बांध या नहर बनाना हो अगर ये योजनायें फायदा नहीं पहुचायेंगी, नुकसान पहुंचायेंगी तो उस सूरत में उनको एक मौका देना चाहिये कि अगर वे परिवर्तन करना चाहें तो आपको परिवर्तन करने का मौका देना पड़ेगा। अगर सम्बन्धित अधिकारी यह समझता है कि जो परिवर्तन गांव सभा चाहती है बांध बनाने या नहर बनाने के सम्बन्ध में वह ठीक है तो वह कार्य करेगा। पर अगर वह संतुष्ट है कि पहले जो योजना बनायी थी वह ही ठीक है तो वह उन्हें समझायेगा कि वह ही ठीक है। मैं समझता हूं कि अगर गांव वालों की ऐसे कार्यों में सलाह ले ली जाय तो वही सबसे बड़ी योजना होगी। उसमें माननीय मंत्री जी के काम भी सफल हो जायेंगे।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के जरिये यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की ३ धाराओं का संशोधन किया जा रहा है। पहली धारा १५, दूसरी धारा १७ और तीसरी धारा ३७ है जिसमें संशोधन किया जा रहा है। जहां तक धारा १५ का सम्बन्ध है उसमें दिया हुआ है कि लघु सिंचाई प्रायोजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम सभाओं का क्या कर्त्तव्य होना चाहिये। धारा १७ में यह दिया हुआ है कि गांव समाज की पावर्स क्या हैं। धारा ३७ में टैक्स लगाने की पावर है कि वह किस प्रकार से फीस लगाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर कोई योजना माननीय मंत्री जी स्वीकार करते हैं तो उसमें शर्तें होती हैं कि ३/४ सरकार देगी बशर्ते कि १/४ गांव समाज दे दे। तो उस समय ग्राम समाज को पावर की आवश्यकता होती है कि वह धन इकट्ठा कर सकें उन कामों में लगाने के लिये जो कि गांवों के निवासियों के फायदे के लिये हों। अगर कोई भी योजना कार्यान्वित होगी तो उसके लिये यह आवश्यक है कि पैसा इकट्ठा हो। पैसा इकट्ठा करने के लिये जरूरी होता है कि गांव सभाएं इस प्रकार टैक्सेशन कर सकें।

इस विधेयक के अन्दर टैक्सेशन के लिये २ चीजें रखी गयी हैं। एक तो जल शुल्क और दूसरी सिंचाई शुल्क। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर वे चाहते हैं कि एक कुआं बनवा दिया जाय और उस कुएं से जो लोग अपने घरेलू कार्य के लिये पानी लेते हैं तो उस पर अगर आप टैक्स लगावें तो उचित नहीं है। मेरी राय में इस पर किसी प्रकार का टैक्स न लिया जाय। दूसरी बात यह है कि अगर आप पोखर आदि पर भी टैक्स लगावें तो भी उचित न होगा क्योंकि किसान उनसे सींचने के लिये पानी पहले भी लेते थे।

आजकल जल वितरण की योजना भी चल रही है। अभी तक जल वितरण की योजना टाउन एरियाज में ही थी पर अब केन्द्रीय सरकार जल-कल की योजना गांवों में भी चला रही है। इसके लिये केन्द्रीय सरकार ने कुछ अनुदान भी दिये हैं। टाउन एरियाज में चूंकि वह अर्बन एरिया में ही आता है ३/४ धन टाउन एरिया को देना पड़ता है और १/४ उसको उस काम के लिये सरकार देती है और वह क्षेत्र जो टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया अथवा म्युनिसिपल बोर्ड नहीं है और वहां किसी प्रकार की जल वितरण योजना बनाई जाती है तो उसमें सरकार ३/४ मदद देती है और १/४ लोकल लोग मदद देते हैं। अगर यह योजना वाटर सप्लाई की गवर्नमेंट आफ इंडिया का जो प्राविधान है, उसके अनुसार चलाई

जाती है तो गांव पंचायतों को उस सम्बन्ध में टैक्सेशन करने का अधिकार होना चाहिये। सिंचाई के लिये अगर कोई बड़ा टैंक बनाया जाता है, रिजरवायर बनाया जाता है जिससे किसान को फायदा हो सके तो उसके लिये टैक्सेशन होना चाहिये और उसमें किसान को गुरेज नहीं होगा क्योंकि उससे उसको फायदा होगा। लेकिन कुएं खोद कर, छोटे पोखरों पर मेड़ा बांध कर आप चाहें कि टैक्सेशन हो तो गांव का आदमी इसके लिये तैयार नहीं होगा क्योंकि यह उसके इंटरेस्ट के खिलाफ जायगा। इसी तरह से हैंड पम्प पर टैक्स लगा दें तो उचित नहीं होगा।

प्रवर समिति में भेजने का जो संशोधन पेश किया गया है उसका एक कारण यह भी है जैसाकि माननीय मंत्री जी ने बतलाया है जल शुल्क के सम्बन्ध में। गांव सभा द्वारा घरेलू उपयोग के लिये जल सम्भारित किया जाता है और वह जल कल योजना के द्वारा सम्भारित होता है तो टैक्सेशन करने का अधिकार होना चाहिये। अगर यह सब सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनानुसार होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उनमें इम्दाद दी जायगी और इस प्रकार सरकार गांव में पीने के पानी की व्यवस्था जल कल द्वारा कराना चाहती है तो यह बहुत ही बेहतरीन चीज होगी और अगर इस पर टैक्सेशन हो तो कोई एतराज की बात नहीं है, गांव का आदमी उसे पसन्द करेगा। दूसरी चीज यह है ४ (ख) में कि सिंचाई शुल्क जहां गांव सभा द्वारा अपने द्वारा निर्मित या अनुरक्षित किसी लघु सिंचाई प्रायोजना से सिंचाई के लिये जल सम्भारित किया जाता है। गांव समाज सिंचाई के लिये जो भी व्यवस्था अपने द्वारा कर रही है उसका अनुरक्षण तो उसके ऊपर होना ही चाहिये लेकिन सरकार द्वारा बनाई गयी बहुत सी लघु सिंचाई योजनायें हैं जिनको सरकार खुद गांव सभा को ट्रान्सफर करना चाहती है, यह चीज इससे स्पष्ट नहीं होती क्योंकि जो यह संशोधन विधेयक इस आदरणीय सदन में रखा गया है उससे ग्राम सभाओं द्वारा सिंचाई की छोटी-छोटी योजनायें बनाई जायेगी और उनकी मरम्मत निर्माण और अनुरक्षण के कार्य इनके द्वारा होंगे। इसलिये मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि सरकार की जो योजनायें है उनको भी गांव सभाओं को दे दिया जाय और वे ही उनकी मरम्मत, निर्माण और अनुरक्षण के काम करें। इसलिये ऐसा संशोधन विधेयक नहीं आना चाहिये जिससे लोगों को किसी तरह की गलतफहमी हो। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गांव के लोग पढ़े-लिखे नहीं होते हैं और वे लोग टैक्नेलिटी को भी नहीं जानते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि अदालत की मुकदमेबाजी से इसको दूर रख कर इसमें साफ शब्दों में लिख दिया जाय जिसे पढ़ कर गांव के आदमी आसानी से समझ सकें। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि प्रवर समिति में भेजा जायगा।

*श्री बैजनार्थासिह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो इतना छोटा सा विधेयक है कि इस पर ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना आवश्यक और सामयिक है कि मंत्री जी ने जो इस विधेयक को सदन में रखा है, उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। श्रीमन्, अन्न संकट काल में सब से अधिक आवश्यकता पानी की होती है अन्न उपजाने के लिये। हमारे गांव के किसानों को सब से बड़ी असुविधा पानी की ही होती है। हालांकि सरकार ने नहरें बनाई हैं, नलकूप लगाये हैं और कुओं का भी प्रबंध हो रहा है, लेकिन कभी-कभी नहरें समय पर पानी नहीं देती हैं और नलकूप भी खराब हो जाते हैं। इसलिये सरकार ने सोचा है कि छोटी-छोटी सिंचाई की योजनायें, जैसे गांव के कुएं हैं, पूलें हैं, छोटी-छोटी नहरें हैं, नालियां हैं, पानी को रोकना है और कटाव को रोकना है, इनकी व्यवस्था की जाय। ये योजनायें बड़ी आवश्यक प्रतीत होती हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें संशोधन की क्या आवश्यकता है? गांव पंचायतों से पूछने की क्या आवश्यकता है? हमारी गांव पंचायतें तो मंत्री जी को बधाई देंगी कि उन्हें और अधिकार दे दिये गये हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बैजनाथसिंह वैद्य]

श्रीमन्, इस समय सरकार का दृष्टिकोण प्रदेश में अधिक से अधिक अन्न उपजाने का है । सरकार चौबीसों घंटे इसी प्रयत्न में रहती है कि किस तरह से किसान अधिक से अधिक अन्न पैदा करें । इसके उद्देश्य और कारण पढ़ने के बाद इसमें कोई चीज ऐसी नहीं रह जाती है जिससे इसमें संशोधन पेश करें । हालांकि माननीय कमलासिंह जी को यह मिला भी नहीं था । अभी मंत्री जी से उन्होंने मांगा और जल्दी-जल्दी में पढ़ा । अगर उन्होंने इसे कल ही प्राप्त कर लिया होता और अगर ठीक से उन्होंने पढ़ लिया होता तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह कभी भी संशोधन न लाते, इसलिये कि इसकी आवश्यकता नहीं है । इस तरह का उनका संशोधन है कि गांव वालों से पूछा जाय, प्रवर समिति को दिया जाय और इस पर विचार किया जाय, इनमें बड़ा समय लगेगा और जो अच्छा कार्य जल्दी होने वाला है उसमें देर होगी । इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है यह तो एक छोटा सा मासूम संशोधन विधेयक है जिसमें कहा गया है कि गांव सभाओं को अधिकार दे दिये जायं कि किस तरह से वे अपनी खेतों की उपज को बढ़ायें और किस तरह से टैक्सों का निर्धारण करें, इसी तरह की व्यवस्थायें की गई हैं । मैं आपके द्वारा माननीय कमला सिंह यादव से प्रार्थना करूंगा कि वे इसको वापस ले लें और इसको इसी रूप में पास होने दें ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, यह जो पंचायत राज संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसमें श्रीमन्, जो गांव सभाओं के अधिकार नहीं थे उन अधिकारों को बढ़ाने के लिये वह रखा गया है । तो यह अधिकार श्रीमन्, ऐसे हैं जिसमें एक अच्छी खासी धनराशि गांव सभाओं में उनके द्वारा व्यय किये जाने की संभावना हो सकती है । श्रीमन् , इसमें २–३ बातें हैं, जिसमें से एक आध बातें तो अच्छी हैं और एक दो बातों के बारे में मुझे आशंका है कि क्या उसका उपयोग हो पायगा ? गांव सभाओं को जो बाढ़ के लिये रुपया दिया जाने वाला है यह तो श्रीमन् , एक अच्छी बात है, परन्तु श्रीमन्, गांव सभाओं के अन्तर्गत जो योजना के लिये और जिस तरह योजना संबंधी रुपया दिया जाता रहा है, उसके संबंध में हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा । यो तो यह योजना आलटरनेटिव रूप में है कि किसान लोग यदि व्यक्तिगत रूप से किसी काम को न करें तो वह धन गांव सभा में चला जायेगा ।

श्रीमन्, गांव सभा को धन दिये जाने पर उसका निश्चित रूप से दुरुपयोग होगा, ऐसी मेरी शंका है । श्रीमन्, मैं एक गांव सभा में जाने वाले धन के बारे में थोड़ा सा निवेदन कर दूं । पिछले साल गांव सभाओं के माध्यम से विकास संबंधी जो पैसा गया है, उसके संबंध में शिकायत है । सिद्धान्ततः विकेन्द्रीकरण की प्रथा पर विकास को बढ़ावा देने के लिये धन है, किन्तु धन का ठीक से उपयोग नहीं हुआ है । हरिजनों को अपने लिये कुआं बनाने के लिये रुपया गांव सभाओं के माध्यम से सरकार दिलाती है, लेकिन अनेक प्रकार की यह शिकायत रही कि गांव पंचायत के खाते में धन जमा हो गया, किन्तु वह धन हरिजनों को कुआं बनवाने के लिये नहीं मिला जब कि वहां पर कुओं की बहुत ही दिक्कत रही, और सारा पैसा गांव सभापति और ग्राम सेवक मिलकर हड़प कर ले गये । तो गांव के विकास के लिये, ग्रामीणों की भलाई के लिये जब यह रुपया दिया जाने वाला है तो इस पर किसी प्रकार की योजना को पूर्ण प्रकार से तैयार करने के पहले सरकार को इस पर विचार कर लेना चाहिये कि किसी रूप में इस धन का गांव सभाओं द्वारा दुरुपयोग न होने पावे । इस विधेयक में सरकार की ओर से अपनी जिम्मेदारी टालने वाली एक बात है नाली बनाने की और इससे वास्तव में गांव वालों का कोई फायदा होने वाला नहीं है । जो नहर की नालियां निकालने वाली बात है और सरकार ने कहा कि गांव सभाओं की जिम्मेदारी है कि वे उसे करें, उस पर भी हमें शंका है कि वह इस कार्य के लिये इस धन का उपयोग कर भी सकेंगीं या नहीं । वह नियमों में ऐसा प्राविधान करें कि उसका दुरुपयोग न हो ।

जो वाटर टैक्स लेने वाली बात है, वह शहर में तो ठीक है, लेकिन गांव-गांव में यह रोग फैलाकर उसके जीवन में एक गन्दगी फैलान की बात आप न करें। यह गांव के जन जीवन के लिये ठीक नहीं है। यह ठीक है कि गांव सभायें पानी का दाम ले लें अगर सरकार पाइप लगा दे। लेकिन इन्होंने गांव सभा के अन्दर एक कुआं बनवा दिया या एक टैंक बना दिया और उसके लिये गांव वालों से पैसा टैक्स लगा कर ले लिया तो यह ठीक नहीं है। इसी तरह यह भी हो जायगा कि किसी गांव सभा में कोई तालाब है और गांव सभा पास कर दे कि उस तालाब से पानी ले जाने का हम टैक्स लेंगे तो यह गलत होगा। तो आप जो वाटर टैक्स लेने जा रहें हैं वह गलत है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह वैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं कि यह जो विधेयक प्रस्तुत है, उसके उद्देश्य और कारण में नीचे वाली लाइन में 'के लिये' "के लिये का" डबल इंजन क्यों जोड़ दिया गया है, तो क्या उसके लिये कोई संशोधन आयेगा या फिर यह कैसे होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी बातों में संशोधन नहीं आता है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

तो इसको मै नहीं समझा कि यह डबल इंजन क्यों लगाया गया है, क्या यह ऐसे ही लगा रहेगा ?

श्री राममूर्ति—

जब वह कागजात जाते हैं तो डिपार्टमेंट में चेक कर लिये जाते हैं। वह अपने आप ही उसमें दुरुस्ती कर लेते हैं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन विधेयक जो है, उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। टाइम बहुत कम है, इसलिये समर्थन की बात और बिल का मकसद जो है, वह माननीय मंत्री जी ने कह दिया और बाद में उसका जवाब दे देंगे। मेरे पास इतना समय है कि मैं माननीय मंत्री जी के सम्मुख कुछ अपने सुझाव प्रस्तुत करूं।

एक युग था बैलगाड़ी का लेकिन आज हवाई जहाज का युग है। रहट और कुयें से काश्तकार बाबा आदम के जमाने से सींचता रहा फिर १९६५ में लघु सिंचाई के कार्यों में कुएं और रहट अगर गांव सभाओं को पकड़ा दिये गये तो आज अन्न संकट के समय आपके पवित्र ध्येयों की पूर्ति किस प्रकार हो पावेगी, यह मेरी समझ में नहीं आता। इसलिये मेरा सुझाव है कि कुएं और रहट की स्कीमों को ठप कर दिया जाना चाहिये और शारीरिक श्रम और बैलों की मेहनत को बचाने के लिये बिजली और डीजल मोटर्स के द्वारा जल्द से जल्द लघु सिंचाई योजनाओं का श्री गणेश करना अत्यन्त आवश्यक है इसलिय कि अधिक से अधिक सिंचित क्षेत्र को योजना के अन्तर्गत आपको जल्द से जल्द लाना है।

दूसरी बात बाढ़ के संबंध में है। कहां भयंकर बाढ़ और कहां यह छोटा सा चूहे के बराबर प्रयास। गांव सभा बाढ़ के लिये क्या कार्यक्रम बनायेगी और फिर वह कार्यक्रम भी बनावे और उसके लिये अपना शुल्क भी दे। यहां बारह-बारह साल से मुहताज हैं बाढ़ के पानी से फसलें बरबाद हुई और खेती कट गयी है, पैसा नहीं है तो पैसा आयेगा कहां से यह दूसरा दृष्टिकोण है जो मैं माननीय मंत्री जी के सम्मुख आपके माध्यम से रखना चाहता हूं।

तीसरी और आखिरी बात स्पष्ट तरीके से माननीय मंत्री जी के सम्मुख निवेदन करना है। इसमें कोई पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की भावना नहीं है लेकिन यह सत्य बात है कि अवध का

[श्री जे० पी० मिश्र]

इलाका इस प्रदेश में पुराना ताल्लुकेदारी इलाका रहा है और मुहताज रहा है लेकिन इन मासूम १२,१३ जिलों की ओर सरकार की तवज्जह नहीं है । हरदोई, उन्नाव, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बाराबंकी, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर का यह ऐसा इलाका है जिनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है । कैश प्रोग्राम हो या लघु सिंचाई योजना । कैश प्रोग्राम में ४० लाख रुपया एक ब्लाक को दिया जायगा, लेकिन इन १२ जिलों में एक भी ऐसा सौभाग्यशाली ब्लाक नहीं है जिसको ४० लाख रुपया मिला हो और २० लाख की छूट हो जाय । माननीय नियोजन मंत्री जी प्रजातांत्रिक भावनाओं से ओतप्रोत हैं और सदस्यों की बातें मुहब्बत से सुनते हैं इसलिये मैं उनका ध्यान आकृष्ट करता हूं कि इन जिलों के साथ जो नाइंसाफी की जा रही है वे कम से कम अपने विभाग के द्वारा लघु सिंचाई के मामले में एक आंख से न देखें दोनों आंखों से तो देखें। पटेल कमीशन, मैनपावर कमीशन, कैश प्रोग्राम को हम जब देखते हैं तो हमको और हमारे जिले के काश्तकारों का लालच सताता है "असंभव हेन मृगस्य जन्म, तथापि रामो ललभे मृगाय" की भांति लालच में तड़पता है, हम इन आंखों से देखते हैं कि सारी योजनायें आती हैं लेकिन हमें उसका लाभ नहीं मिलता । तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि १०, २० हजार किसान तिरंगे झंडे लेकर विधान सभा के सम्मुख आकर खड़े हों तब क्या आप हमारी तकलीफों को सुनेंगे, अगर हमारे कहने से ही सुन लें तो बहुत धन्यवाद दूंगा । हम मुहताज हैं, हमें पानी दीजिये, हमको अन्नोत्पादन बढ़ाने में मदद दीजिये, जिनको जरूरत है ।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)–

माननीय कमलासिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं । माननीय मंत्री जी संशोधन विधेयक के संबंध में सब कुछ जानते हैं । वह बहुत समझदार हैं और किसान भी हैं । वह इस बात को जानते हैं कि हमारे प्रदेश में लघु सिंचाई के जो साधन थे तालाब और कुएं आदि, उनकी क्या हालत है । अगर कुछ आंकड़े माननीय मंत्री जी हमारे सामने रखते और १७, १८ साल के बाद जो यह संशोधन पेश कर रहे हैं इसको पहले ले आते तो मैं यह समझता कि प्रदेश के किसानों का मंत्री जी बहुत भला चाहते हैं । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सन् १९५६ के पहले कितने हमारे प्रदेश में तालाब थे और कितने कुएं थे और आज उनकी क्या हालत है ? क्या उनके ऊपर आज गांव सभा का कब्जा है ? पहले गांव सभा की मिल्कियत में वह सब तालाब थे लेकिन आज क्या वे बरकरार हैं ? नहीं हैं । आज सारे पोखरे और तालाब जोत लिये गये हैं । सरकार ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया । मैं बतलाना चाहता हूं कि लाखों कुएं इस प्रदेश में बनाये गये लेकिन जहां-जहां पर ट्यूबवेल बने हैं और उनकी जो नालियां बनीं थीं वह आज किस हालत में हैं । किसान जिनसे सिंचाई कर सकते थे वे सब साधन आज बरबाद हो गये हैं । १८ साल के बाद आज सरकार की नजर उस तरफ जा रही है कि किस तरह से देहात में सिंचाई के साधन पैदा करें । अगर आपने पहले ही ध्यान दिया होता तो आपको इतनी परेशानी न होती और करोड़ों रुपया खर्च न होता ।

आपने जो यह प्राविजन किया है कि टैक्स लगायेंगे तो जिन साधनों से, तालाबों से, बन्धियों से या और तरहसे सिंचाई करेंगे तो आप टैक्स लगायेंगे चाहे वह मशीन लगाकरही पानी क्यों न ले और चाहे अभी तक उन पर टैक्स न लग रहा हो लेकिन अब उन पर टैक्स लगाया जायगा । दूसरे यह भी कर दिया है कि पानी पीने के लिये गांव सभा व्यवस्था करेगी तो उस पर वह टैक्स लगा सकती है । पहले हमारे प्रदेश में सेन्ट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम चली जिसके माध्यम से १ करोड़ ३२ लाख रुपया ४ हजार ट्यूबवेल के टैंक बनाकर पीने के पानी की व्यवस्था करनी था। वह इसलिये करनी थी कि सरकार को सेन्ट्रल गवर्नमेंट से अनुदान मिला था कि किसी तरह से पानी तुरन्त पहुंचाया जाय लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वह पानी एक जगह भी नहीं पहुंचा । आप चाहे इसकी जांच करा लें । वह १ करोड़ ३२ लाख रुपया शुद्ध जल पेय योजना के लिये रखा गया था, सब व्यर्थ ही चला गया । फिर आज आप उस पर टैक्स लगाने की बात करते हैं तो किसानों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के साथ यह अन्याय होगा। आज भी बहुत से तालाब ऐसे हैं जहां से किसान पानी लेकर सिंचाई करता है। झांसी में एक गांव में तालाब है वहां आज भी किसान उससे सिंचाई करते हैं और कर रहे हैं। सिंचाई विभाग उनको अपने कब्जे में लेकर सिंचाई का रेट लगा देगा तो यह किसानों के साथ न्याय नहीं होगा। जब आप सिंचाई मंत्री थे उस समय भी मैंने आपको बतलाया था लेकिन उस समय भी आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। ५, ६ साल उस बात को हो गये लेकिन आपका फैसला अभी तक नहीं हुआ। इस कारण से टैक्स वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। इस टैक्स वाली बात को छोड़कर ७-८ साल पहले इसको लाना चाहिये था और हम यह समझते कि इससे किसानों का भला होता और बहुत से कुएं बच जाते और बन्धियां बच जातीं। खैर, देर से ही आये तो ठीक है जो किसानों का नुकसान हो गया सो हो गया। अब इससे कुछ भला हो जायगा लेकिन टैक्स वाली बात जो आपने इसमें लगाई है इसको आप निकाल दें और नहीं तो इससे किसानों का नुकसान होगा।

*श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। विवाद में जो चर्चा की गई है वह टैक्सेशन के संबंध में चर्चा की गई है। माननीय कमलासिंह जी और माननीय ऊदल जी ने इस टैक्सेशन के संबंध में, कर निर्धारण के संबंध में अधिक आपत्ति की है। कर निर्धारण के संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत जो कर निर्धारण संबंधी अधिकार दिये गये हैं वह धारा ३७ में हैं। अगर यह मान भी लिया जाय कि सरकार कोई कर लगाने जा रही है या सरकार कर के संबंध में कोई निश्चित नीति निर्धारित करने जा रही है तो उसमें इसका प्राविजन है :

"Subject to the rules made or directions given or restrictions imposed by the State Government."

यह सारे अधिकार जो दिये गये हैं वह गांव सभा को दिये गये हैं। गांव सभा के अन्दर सभी लोग रहते हैं। उसमें गांव सभा के तमाम मेम्बर होते हैं और एक गांव सभा के क्षेत्र के अन्तर्गत तमाम सामूहिक रूप में लोग रहते हैं उन सबको अवसर रहता है जो उन गांवों की एक जनरल बाडी है, उसमें तमाम गांव के लोग रहते हैं और एक समह रहता है। उसमें किसान भी रहते हैं। इस तरह से सारा अधिकार उन लोगों के हाथ में है जो गांव पंचायत को दे दिया गया है। ज्यादा विवाद में जाने की जरूरत नहीं है। सारा अधिकार जो दिया गया है वह संपूर्ण बालिगों को दे दिया गया है। किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया गया है उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी को नहीं दिया गया है, सेक्रेटरी को नहीं दिया गया है, पंचायत आफिसर को नहीं दिया गया है बल्कि सारे गांव के बालिगों के समूह को दिया गया है। यह जो प्राविधान किया गया है उसमें गांव सभा को पूरा अधिकार है। वह चाहे टैक्स लगावे चाहे न लगावे, वह अपने रिसोर्सेज के बारे में खुद देख सकती है कि क्या हमारी प्राप्तियां हैं, क्या इन्कम है, क्या व्यय है, कितनी योजनायें हम बनायें, कितना काम हम करें, इन सब बातों के बारे में गांव सभा खुद जागरूक है। तो यह आपत्ति या यह आलोचना कि यह जो अधिकार दिया गया है यह ठीक नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है क्योंकि टैक्स लगाने का केवल प्राविधान किया गया है, कोई सरकार ने उनको ऐसा आदेश नहीं दिया है कि उनको टैक्स लगाना ही पड़ेगा। अगर गांव पंचायतें टैक्स लगाना उचित समझेंगी, आवश्यक समझेंगी तो लगायेंगी, नहीं समझेंगी तो नहीं लगायेंगी। वह लगायें, न लगायें, अधिक लगायें, कम लगायें, यह देखना उनका काम है। आप देखें जिला परिषदों को यह अधिकार है कि अगर अनौचित्यपूर्ण टैक्स लगा हुआ है, गलत टैक्स लग गया है तो वह उसको ठीक कर सकती हैं। यह जो गांव सभा को टैक्स लगाने का प्राविधान किया गया है यह तो एक ऐसा प्राविधान है कि जो गांव सभा के अनिवार्य कर्त्तव्य रखे गये गये हैं, उनके कारण उनको यह अधिकार देना आवश्यक है। यह उनकी स्वेच्छा पर है लगावें चाहे न लगावें। इसलिये टैक्स लगाने के अधिकार के बारे में वह जो ऊदल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बेचनराम]

जी की आपत्ति थी वह निराधार हो गई कि सरकार ने सब गड़बड़ कर रखा है। अब यह गांव सभाओं के ऊपर है। सरकार इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। बिलकुल उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो अनिवार्य कर्त्तव्य धारा १५ में दिये गये हैं—"ऐसे वर्गों तथा प्रकारों की लघु सिंचाई प्रायोजनाओं का जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट की जायं, निर्माण, मरम्मत तथा अनुरक्षण और सिंचाई के लिये उनमें से जलसम्भरण का विनियमन, और (बी) बाढ़ से रक्षा के लिये दीवालों, बांधों, उठे हुये चबूतरों तथा अन्य निर्माण-कार्यों का अनुरक्षण तथा उनकी मरम्मत" यह पहले उसके कर्त्तव्यों में अनिवार्य रूप से शामिल नहीं थे। तो अब मैं आपसे यह बताऊं कि जब किसी संस्था या आटोनामस बाडी के ऊपर हम कोई अनिवार्य कर्त्तव्य रख देते हैं, किसी स्टेट्यूटरी बाडी पर हम यह कर्त्तव्य लाद देते हैं यह कहकर कि यह आपके अनिवार्य कर्त्तव्य हैं, तो जहां वह कर्त्तव्य लादते हैं, वहीं पर उनके हाथ में अधिकार भी हमको देना पड़ेगा। जब हम उनके ऊपर सिंचाई के कार्य जो हो सकते हैं, उनका भार डालते हैं, पैदावार बढ़ाने का या उद्योग इत्यादि का, बाढ़ से रक्षा आदि का कार्य सौंपते हैं तो जरुरी हो जाता है कि सिंचाई के लिये जलाशय जब वह बनायेंगे या और जलसम्भरण का विनियमन करेंगे तो उनको उसके लिये टैक्स लगाने का भी अधिकार होना चाहिये। इसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं आती। यह हमारी स्टेट्यूटरी बाडीज हैं। हमने पंचायती राज के सिद्धान्त को कानून के रूप में मान लिया है। तो जाहिर है कि हम अपने सारे कार्यों को उसी सिद्धान्त के अनुरूप करना चाहते हैं चाहे वह सिंचाई की योजना के कार्य हों, चाहे उद्योग संबंधी कार्य हों, चाहे निर्माण के कार्य हों, इन सभी कार्यों को हम उनके द्वारा कराना चाहते हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि यह जो अधिकार उनको दिये गये हैं वह गांव सभाओं के अधिकार की सीमा को बढ़ाते हैं। जब उनके अनिवार्य कर्त्तव्यों की सीमा बढ़ेगी तो उसके साथ-साथ कर लगाने का अधिकार भी उनका बढ़ेगा। इसलिये कर लगाने की बात उनके अधिकार सीमा के अन्दर की बात है। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मैं कमलासिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, यह इसलिये कि पंचायत राज अधिनियम बहुत पुराना हो चुका है और इसमें व्यापक परिवर्तन हुए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि पूरे अधिनियम में सामयिक संशोधन किये जायं।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक शर्म की बात है कि इस प्रदेश के देहाती इलाके की पंचायतें तथा उनसे संबंधित लोगों के संबंध में यह कानून अंग्रेजी में है। मैं चाहता था कि जब अंग्रेजी का कानून है, उसमें संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है तो इस सारे कानून का तर्जुमा कर के इसी अवसर पर प्रस्तुत कर दिया जाय और इस प्रकार व्यय हो रहे धन और समय का हमको लाभ उठाना चाहिये। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार अभी अंग्रेजी का मोह दूर नहीं कर पायी है। उस पर यहां के अधिकारियों का इतना दबाव और अंकुश है कि यहां के सरकार चलाने वाले लोग हिन्दी को अपना नहीं रहे हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह संशोधन विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इन पंचायतों के माध्यम से अच्छे कार्य कराये जायं तो इस प्रदेश में कृषि की उन्नति हो सकती है और अन्न की कमी दूर हो सकती है। किन्तु मैं खेद के साथ कहना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक के स्वीकार होने के बाद भी एक छटांक अन्न उत्पादन में वृद्धि होना संभव नहीं है। हमारे पंचायत राज अधिनियम में १९ अनिवार्य तथा १९ ऐच्छिक कार्य पंचायतों के सुपुर्द किये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्या मंत्री जी ने इसका सर्वेक्षण कराया कि यह जो ३८ कार्य हैं इनमें से कितनों को यह पंचायतें संपन्न करती हैं इस प्रदेश में हमारे प्रदेश में जहां २५० की आबादी वाली पंचायतें हैं वहां १५ रुपया सालाना आय की आमदानी वाली पंचायतें भी है और उनके ऊपर हम उनकी हैसियत से ज्यादा बोझ लादने जा रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि यह संशोधन विधेयक एक निष्प्राण जीव पर एक बालू का बोरा लादना है जिसकी वजह से जो उसकी धुकधुकी चल रही है वह भी समाप्त हो जायगी ।

आपने उद्देश्य और कारणों में लिखा है "कि यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७, जैसा कि वह इस समय है, के अधीन छोटे सिंचाई कार्यों का निर्माण, मरम्मत अथवा अनुरक्षण और विद्यमान बाढ़ निवारक कार्यों का अनुरक्षण गांव सभाओं के अनिवार्य कृत्यों में सम्मिलित नहीं है"। मैं जानना चाहता हूं कि आप इन सिंचाई के निर्माण कार्यों के लिये उनको क्या साधन देने जा रहे हैं, क्या साधन मुहैइया कर रहे हैं । आप देंगे नहीं, कहेंगे कि पंचायत यह कार्य करें, वह करें और आपने तसलीम किया है कि फ्लड कंट्रोल बोर्ड ने और केन्द्रीय सरकार ने इस बात की ख्वाहिश की है कि पंचायतों को यह कार्य दिया जाय और केन्द्रीय सरकार की तुष्टि के लिये, हुकुम बजाने के लिये और फ्लड कंट्रोल का हुकुम बजाने के लिये एक संशोधन कर दिया । यह गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया कि हमारी पंचायतें इस कार्य को कर पायेंगी या नहीं । तो मैं चाहता हूं कि आप इसको प्रवर समिति में जाने दें और वहां विचार हो कि निर्माण कार्यों के लिये जो आवश्यक साधनों की आवश्यकता होगी वह भी मुहैइया किये जांय और उसकी सुविधा इस विधेयक द्वारा दी जाय । क्योंकि जो शुल्क व्यवस्था की है वह केवल रख-रखाव के लिये होगा । जब योजनाएं चालू होंगी तब सूद लगायेंगे ।

एक बात और कहना चाहता हूं । हमारे मंत्री जी ने यहां जो पंचायतों को ऋण देने की योजना दो सालों से चालू की है, वह प्रदेश और पंचायतों के लिये लाभप्रद योजना है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन उसके अन्तर्गत आप प्रत्येक पंचायत के अन्दर ४ रुपया प्रति व्यक्ति से अधिक कर्जा नहीं देते हैं। अगर किसी पंचायत का एरिया १ हजार एकड़ या ५०० एकड़ है और ढाई सौ, तीन सौ की आबादी है, उसको आप १ हजार रुपया ऋण देंगे--गांव सभा तो वह एक कुआं भी उससे नहीं बना सकेगी जिसमें ३ हजार कम से कम लगता है। वह कुआं भी ४ एकड़ सिंचाई पूरब में कर पायेगा। तो कहां से साधन गांव पंचायत के पास से आयेंगे और कैसे वह सिंचाई शुल्क देगी और निर्माण होगा ? इसलिये आप व्यावहारिक दृष्टि की तरफ भी ध्यान ले जांय और संतोष के लिये यह विधेयक न पास करें ।

इसमें १९ अनिवार्य कार्य दिये गये हैं जो बिलकुल बेकार हैं । मैं आपका ध्यान राजस्थान के पंचायत कानून की तरफ ले जाना चाहता हूं । जो मूल अधिनियम है उसमें उन्हें ६ कर्त्तव्य दिये गये हैं जिसमें ३ अनिवार्य हैं और ३ ऐच्छिक हैं । बाद में जो तरमीम किया गया है उसमें कुछ और अधिकार या कर्त्तव्य भार दिया है । मैं अधिकार नहीं कहना चाहता, क्योंकि आपने कर्त्तव्य का भार उनको दे दिया है । मैं मानता हूं कि उसके लिये साधन और शक्ति की आवश्यकता है वह आपने मुहैइया नहीं किया है, इसलिये हमारी पंचायतें निष्क्रिय हैं । इसलिये मैं नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि अगर मंत्री जी समझते हैं कि इस प्रदेश में कृषि की उन्नति हो तो उनको आवश्यक साधन इसके लिये उपलब्ध कराने चाहिये । इस प्रदेश में पंचायतों में आज गतिशीलता नहीं आ सकती । कोई निर्माण कार्य सक्षमता से वे संपादित नहीं कर सकतीं वे जब तक सड़ियल लोगों को आप पंचायत राज के ओहदे पर रखेंगे, चाहे निर्देशक पंचायत हो, या हमारे कृषि विकास आयुक्त महोदय हों, इन सड़ियल दिमाग के आई० सी० एस० लोगों से जो पृष्ठ भूमि से भी अवगत नहीं हैं और अधकचरे पी० सी० एस० लोगों से हमारा निर्माण कार्य सम्भव नहीं होगा । आपके अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र हैं, आप ज्यादा अवगत हैं । आप जो सोचें वह काम हो न कि वह जो आपके अफसर सोचें । अपने मस्तिष्क को लगायें, तभी जाकर इस प्रदेश में कृषि की उन्नति पंचायतों के माध्यम से सम्भव हो सकती है ।

*श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो पंचायती राज संशोधन विधेयक माननीय मंत्री जी ने पेश किया है उसके अन्दर जो कुछ संशोधन हैं, उससे इस तरफ के और उस तरफ के बैठनें वाले दोनों ही सहमत हैं। केवल अन्तर इतना है कि उससे लाभ नहीं हो रहा है, उससे लाभ होना चाहिये। यही उनका कहना है। यह बात ठीक है। इस तरह के सुझाव देना बहुत आवश्यक है। दोनों पक्ष यह चाहते हैं कि जितने अधिकार पंचायतों को दिये जा रहे हैं उससे और अधिक उनको दिये जांय। मैं चाहता हूं कि जितने अधिकार पंचायतों को दिये जा रहे हैं, उनमें जहां सरकार की मंशा उनका कार्यक्षेत्र बढ़ाने की है, वहां मैं समझता हूं सबसे बड़ा अभिप्राय यह है कि किस तरह से गांव सभाओं और गांव पंचायतों के माध्यम से अधिक अन्न उत्पादन की भी समस्या का हल हो जाय। इसलिये सरकार गांव पंचायतों और गांव सभाओं को अधिक से अधिक धन देना चाहती है और सभी प्रकार की सुविधायें उन्हें देकर यह चाहती है कि किसी तरह से हम अन्न के मामले में आत्म निर्भर हो जांय। इसमें सन्देह नहीं है कि गांव के रहने वाले अपनी समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं। उनको यह पता है कि उनके रास्ते में आने वाली कठिनाईयां कैसे दूर की जा सकती हैं। कुछ देहाती क्षेत्रों में जहां रहट के कुंओं और इसी प्रकार के सिंचाई के अन्य साधनों की आवश्यकता है, वहां मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं कि पश्चिमी के जिलों में इन चीजो की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। वहां पर जितनी ट्यूब वैलों की संख्या बढ़ाई जा सके, बढ़ाइयें। जितने प्राईवेट आदमी ट्यूबवैल्स लगायें, उन्हें लगाने दें। इससे अधिक अन्न उत्पादन आन्दोलन में अधिक सहायता मिलेगी।

एक बात और है कि पश्चिम के जिलों में समस्या है बाढ़ के पानी आने की। बाढ़ का पानी आता है और इकट्ठा होता है। मैंने कई बार यह कहने का साहस किया कि दो तीन साल, जो कुछ अनुदान विकास विभाग द्वारा दिया जाता है, उसको बन्द करके बाढ़ के पानी की समस्या यदि हल कर दी जाय, वर्षा के ऋतु का पानी इकट्ठा न हो, नदी, नाले या और ढंग से वर्षा का पानी निकाल दें तो उन जिलों का बड़ा कल्याण हो सकता है। श्रीमन्, १९५५-५६ में बाढ़ के कारण से लेकर किसान की कमर टूट गई है। उनके खेतों में पानी भरा रहता है। गेहूं नहीं बोया जा सकता। मक्का और बाजरा भी पैदा नहीं होता। अब दो-तीन वर्षों से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि वहां पर ईख भी पैदा नहीं हो पाती जो काफी पानी को सहार पाती है। अभी हमारे रेवेन्यू मंत्री गये थे और पार्लियामेंट्री सैक्रटरी, शास्त्री जी ने भी देखा था। उनके सामने जिस तरह से किसान रोये उससे उनकी अपनी आंखों में आंसू आ गये। आप पंचायतों को अधिकार दे रहे हैं, यह अच्छी बात है। सिंचाई और दूसरे कामों को करें लेकिन वहां के जिलों की जो और समस्यायें हैं वे गांव सभाओं और गांव पंचायतों के शक्ति के बाहर हैं। अगर आप उन्हें दूर करने का प्रयत्न करेंगे तो वहां के दस बारह जिलों का कल्याण होगा।

*कुंवर श्रीपालसिंह—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं इस पर बोलना नहीं चाहता था किन्तु कुछ बातें ऐसी आई जिनकी वजह से बोलना आवश्यक हो गया।

श्रीमन्, सबसे पहली बात इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में दी है कि गांव पंचायतें टैक्स और सिंचाई शुल्क लगावें। जो भी टैक्स लगावे वह सब देना किसान को ही पड़ता है। टैक्स लगता है मुद्राओं पर, मुद्रायें बनती हैं सोने से और सोना बनता है अन्न से, जिसे किसान पैदा करता है। अभी तक एक सैंटर का टैक्स, दूसरा हमारी सरकार का, तीसरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का और अब यह चौथा पंचायत का है। इतनी चोट किसान के ऊपर बिलकुल गलत है। लघु सिंचाई योजना के बारे में जनसंघ ने एक मर्तबा नहीं, अनेकों मर्तबा और बहुत पहले से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहा है कि सिंचाई की बड़ी-बड़ी योजनायें बिलकुल गलत हैं, उनसे तात्कालिक परिणाम नहीं मिलेगा, इसलिये छोटी योजनाओं से गांवों की उन्नति कीजिये। मगर दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार को बुद्धि देर में आती है। वह बुद्धि तब आई जबकि दिवाला पिट चुका, इनके पास पैसा ही नहीं है लघु सिंचाई योजनाओं के लिये। इसलिये यह एक रास्ता निकाला गया कि गांव पंचायतें किसानों पर टैक्स लगावें। गांव से नहर जाती है, उसका पानी किसान को मिले या नहीं, लेकिन टैक्स लिया जा रहा है। मुझे याद है यहीं किसी उप मंत्री ने कहा था कि टैक्स लगाने में हिचको मत, इनफीरियारिटी कम्प्लेक्स मत, फील करो, वरना काम चलने वाला नहीं है। इसके मानी यह हैं कि गांव सभाओं को टैक्स लगाने के लिए मजबूर या प्रोत्साहित किया जा रहा है।

माननीय मैनेजर सिंह जी क्षमा करेंगे, वह भी प्रधान हैं। अभी बगैर टैक्स लगाये ही न जाने कितने प्रधानों के सिर काट डाले गये। अगर उन्होंने अब यह टैक्स लगाया तो माननीय गृह मंत्री जी को इनके सब प्रधानों के सिर का बीमा कराना पड़ेगा या इनके साथ हर एक के लिये सिपाही रखना होगा। किसान भोजन की सामग्री पैदा करता है। अगर उससे उसके भोजन की सामग्री छीनी गई तो इन गांव सभाओं के प्रधानों के सिर का बीमा कराने के लिये सरकार जिम्मेदारी ले। नहीं तो इन लोगों के लिये जिन्दा रहना बड़ा कठिन हो जायगा इस सरकार के कानूनों से। अगर ये टैक्स नहीं लेना चाहेंगे तो सरकार इनसे कहेगी कि आप तो इनफीरियारिटी कम्प्लेक्स से सफर करते हैं, बगैर टैक्स के काम नहीं चलेगा और जहां इन्होंने टैक्स लगाया कि गांव वाले इनकी खोपड़ी तोड़ डालेंगे। इससे अराजकता उत्पन्न हो सकती है। सरकार को चाहिये कि जिस तरह से अपने सब और काम कर रही है, रुपया दे करके वहां लघु सिंचाई योजना बनावे और बना करके उससे सिंचाई का काम कराये। जब खेती में पैदावार अच्छी हो तभी सरकार टैक्स लेने की मुस्तहक है। अभी तो आपका यही हाल है कि जहां जांय राधा रानी, वहीं पड़े पाथर पानी। इसलिये मेहरबानी करके किसी फसल के बारे में यह न कहिये कि फसल बड़ी अच्छी है, जब तक कि घर में न आ जाय। तो एक तो प्रधानों के सिरों का बीमा कराइये और दूसरे अपने खर्चे से लघु सिंचाई के साधन बनवाइये।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। यह बिल इसलिये पेश किया गया है कि खेती की उन्नति में और जरायत के बढ़ाने में सिंचाई के छोटे-छोटे जरायों का पैदा करना, इस बात की दलील होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न पैदा कर सकें। लेकिन इसी के साथ कहना चाहता हूं कि जहां तमाम रास्ते और जराये पर सरकार विचार कर रही है, वहां यह भी ध्यान रखना चाहिये कि जहां पहले खेती अच्छी होती थी, आया वहां अब कुछ हो रहा है या नहीं और अगर नहीं हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? मैंने कई बार कहा कि जहां तक छोटे-छोटे कुओं और रहट का सवाल है, पश्चिमी जिलों में खास तौर से १९५६ से ६५ तक देखा जाय कि यह कितने लगे हैं, मेरी राय में वहां छोटे कुओं की जरूरत नहीं है। वहां का काश्तकार ट्यूबवेल चाहता है क्योंकि वहां छोटी होल्डिंग्स नहीं है। माननीय मंत्रीजी को खुद मालूम है और उन्होंने देखा भी है कि उन जिलों में १९५६ से १९६५ तक कितनी खेती की पैदावार में कमी हुई है, और क्या उनके कारण हैं? बावजूद सिंचाई के साधन होने के वहां पैदावार कम हो रही है, इसकी क्या वजह है? १९५६ से आज तक बारिश का पानी वहां जमा होता है, जिससे खेती लायक जमीन बेकार हो गई है। किसान उसमें कुछ नहीं बो सकता, इसलिये मैं चाहूंगा कि सबसे पहले इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये कि जो जमीन काबिले काश्त है और सिंचाई के साधन भी जहां मौजूद हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उस जमीन का हम कल्याण करें, और वह तरीका अख्तियार करें, ताकि वह जमीन बच जाय और उस पर काश्त हो सके। माननीय मंत्री जी वहां कई दफे गये और उनसे बताया भी गया है कि वहां तमाम चीजों को छोड़कर वाटर लागिंग को दूर करने की कोशिश की जाय।

[श्री अहमद बख्श]

इसके अलावा नहर से भी कुछ सीपेज होना शुरू हो गया और गंगा नहर में भो से लेकर खतौली तक चोया आ गया है, जिससे हजारों एकड़ जमीन काश्तकाबिल नहीं रही और लाखों रुपये के बागात बरबाद हो गये, आज वहां बागात का होना मुश्किल हो गया है। अगर यही हाल रहा, तो जो जिलेकुछ आगे थे, वह बिलकुल पिछड़ जायेंगे और आइंदा उनका क्या हाल होगा आप खुद समझ सकते हैं। मैनपावर की स्कीम भी पूर्वी जिलों में ही लागू होती है और इसी तरह से पटेल स्कीम भी गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया आदि जिलों में ही लागू होती हैं। आखिर क्या वजह है कि वह स्कीम हमारे यहां लागू न हो जबकि पश्चिमी जिलों में भी यही दशा ही गई है कि साल में ज्यादा दिनों तक जमीन में पानी भरा रहता है जिससे खेती होना सम्भव नहीं है। अगर एक हिस्सा सूबे का ऐसा है, जो औरों को खिलाता है, तो इसके माने यह नहीं हैं कि उसकी तरक्की की तरफ कोई तवज्जह ही न दी जाय। अगर एक गाय दुध दे रही है, और उसका दूध सूखने वाला है, तो अक्ल का तकाजा यही है कि उसको चारा मिलना चाहिए ताकि वह दूध देती रहे और यह न किया जाय कि उसको छोड़कर दूसरे जानवर की तरफ तवज्जह दी जाय। इसलिये मैं कहूंगा तमाम स्कीम बंद करके वाटर लागिंग की समस्या को हल किया जाय, फिर देखिये कि हम खाद्यान्न में सेल्फ सपोर्टिगं होते हैं कि नहीं।

*श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मैंने दोनों पक्षों के लोगों की बातें सुनीं, यह निर्विवाद है कि किसान की दशा अच्छी नहीं है। यह भी माना है कि एक हैंड पम्प गांव में लगा देने से या मामूली कुंआ खोद देने से सरकार जल व्यवस्था के लिये गांव में टैक्स लगाये, तो उचित नहीं होगा। विधेयक की धारा ३७ में यह दिया हुआ है, टैक्सेशन आन लैंड शैल नाट इक्सीड सिक्स पैसे ए रूपी (Taxation on land shall not exceed six paise a rupee) तो ६ पैसे एक रुपये से ज्यादा नहीं लेंगे। तो वह तो टैक्स आप लगा चुके। मैं जानना चाहता हूं कि यह टैक्स आप किस चीज पर लगायेंगे ? गांव में आदमियों की जो गिनती होगी, उस पर टैक्सेशन होगा या जो पानी लेकर जायगा, मोट के जरिये से उसी पर टैक्स वसूल करेंगे मेरी समझ में नहीं आता कि मंत्रीजी गांव में बैठकर एक-एक आदमी को गिनेंगे ? श्रीमन्, मुझे लहर गिनने वाली बाते याद आ रही हैं। एक बादशाह एक आदमी से बहुत नाराज हुआ, राजा ने सोचा कि इसको ऐसी जगह लगा दो जहां कोई काम कर न सके। अतः उसे समुद्र के किनारे लहरें गिनने के लिये बैठाल दिया। उसने क्या किया कि जितने जहाज आते थे, सब को रुकवाता था, यह कहकर कि जहाज पास नहीं करेगा, क्योंकि लहरें गिनने में गड़बड़ी होगी। नतीजा यह हुआ कि उसको ऐसी जगह रखा गया जहां से उसने करोड़ों रुपया पैदा किया, जहाज वालों से। मंत्री जी ने हारे हुए विधायकों को तथा मंत्रियों को तो कहीं न कहीं किसी कमेटी आदि में जगह दे दी...

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

आप कितनी बार हारे ?

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मुझे अफसोस होता है कि अधिष्ठाता मंडल का एक सदस्य इस प्रकार से हस्तक्षेप करे, तो उसके लिये क्या कहा जाय। मैं यह कह रहा था कि हारने वालों की तो व्यवस्था सरकार ने कर दी लेकिन जो पटवारी निकाल दिये गये थे, और लेखपाल नहीं हो पाये, जिनको कहीं नौकरी नहीं मिली क्या उन्हीं को मंत्री जी गांव में बैठाने की चेष्टा कर रहे हैं कि वह वहां बैठकर गिनेंगे कि कौन आदमी कितने घड़े पानी ले गया और तब उस पर टैक्स लगायेंगे ?

दूसरी चीज यहकहना है कि धारा १९(ए) में ९६ घंटे का फोर्स्ड लेबर लेने का प्राविजन है। इसमें दिया हुआ है कि कुछ परिस्थितियों में एक साल में ९६ घंटे का लेबर लिया जा सकता है इट में इक्सटेंड टु मोर दैन ४८ डज इन एड इयर एण्ड ८ आवर्स आन ए डे। तो जहाँ तक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फोर्स्ड लेबर का सवाल है, उसमें कुछ आदमी ऐसे भी होंगे जो लेबर का काम खुद नहीं कर सकेंगे। उनसे लैंड रेवेन्यु की तरह वसूली होगी, जो कि स्टैंडर्ड वेजेज गांव के लोग जो काम करने वाले होंगे, उनकी जो वेज होगी, वह लैंड रेवेन्यु की तरह से गांव सभा कलेक्ट करेगी। तो एक टैक्स गांव में ६ पैसे वाला हुआ और लेट्रिन साफ करने वाला टैक्स है और फोर्स्ड लेबर तो उसके साथ है ही। क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि जो गरीब भूखों मर रहा है, जिसके पास अलाभकर जोतें हैं, जो भूमिहीन हैं, जिन लोगों के लिये गांवों में कोई उद्योग धंधा भी नहीं है, ऐसे आदमियों के पास से पैसा कैसे मिलेगा? ऐसे आदमियों से ९६ घंटे की फोर्स्ड लेबर तो आप ले ही रहे हैं अब आप टैक्स लगा कर उनकी रीढ़ की हड्डी को भी तोड़ना चाहते हैं, यह मुनासिब न होगा।

मैंने शुरू में ही माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि केन्द्रीय सरकार की जलकर योजना को चलाने के लिये टैक्स की जरूरत है। लेकिन लघु सिंचाई योजना को लाने की इसमें क्या जरूरत थी। क्योंकि सन् ४७ के अधिनियम में भी सभी योजनायें दी गयी हैं। जो अधिकार माननीय मंत्री जी चाहते हैं वे सब पहले से ही उसमें दिये हुये हैं। धारा १५ (क) इस प्रकार है--

"Construction, repair and maintenance of public wells, tanks and ponds for the supply of water for drinking, washing and bathing purposes and regulation of sources of water supply for drinking purposes."

कुओं आदि के बारे में इसमें साफ दिया हुआ है। टैंक, पोंड्स वगैरा भी हैं। फिर मैं माननीय मंजी जी से पूछना चाहता हूं कि इसमें वे कौन सी नयी योजना ला रहे हैं जिसके लिये वह टैक्स लगाना चाहते हैं? जो नयी चीज है माननीय मंत्रीजी उसकी जानकारी मुझे करा दें। जो पहले से नहरों की धारायें बनी हुई हैं उनका टैक्स तो वह देगा ही, फिर यह टैक्स और क्यों लगाया जा रहा है। इसके अलावा धारा १७ (ई) में यह दिया हुआ है--

"With the sanction of the prescribed authority and were a canal exists under the Northern India Canal and drainage Act, 1873, with the sanction also of such officer of the Irrigation Department as the State Government may prescribe, undertake small irrigation projects;"

यह तो अब भी है। आप कौन सी नयी बात लाने जा रहे हैं जिसकी वजह से यह टैक्स लगाने की बात आप कर रहे हैं। इन सब बातों की तरफ माननीय मंजी जी ध्यान दें।

मैं बहुत सी अमूल्य बातें माननीय मंत्री जी को बताने जा रहा हूं। इनमें पहली चीज तो यह है कि पंचायतों के जो पंच लोग होते हैं उनमें कुछ पढ़े होंगे। उनमें जो गांव प्रधान होते हैं उनको मैं विद्वान तो कह नहीं सकता उनमें अधिकतर लोग अपढ़ होंगे। उनके अपढ़ होने की वहज से वहां पर आपने लेखपालों को भेजा था लेकिन ९० प्रतिशत गांव सभाओं की मीटिंग्स में लेखपाल नहीं जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि गांव सभाओं के रिकार्ड को रखने के लिये जिम्मेदारी या तो लेखपाल पर निश्चित कर दें या सेक्रेटरी पर निश्चित कर दें क्योंकि ग्राम सभाओं के प्रधानों पर हजारों केस चल रहे हैं। इसलिये कि रिकार्ड नहीं रखे जाते और एकाउन्ट ठीक नहीं होते तो मंत्री जी अगर आज के राजस्व मंत्री जी से दोस्ती कर लें या तो वह अपना विभाग उन को दे दें या उनका लेलें और उनसे कह दें कि गांव समाज की बैठक में लेखपाल मौजूद रहेगा और सब चीजें अपने हाथ से लिखेगा और एकाउन्ट रखेगा लेकिन एक दिक्कत यह है कि उसको एक पैसा नहीं मिलता और वह दिन रात काम करता है और फिर भी मोअत्तली का शिकार होता है, दिन रात कचहरी दौड़ता है और एक पैसा भी वह नहीं पाता। नतीजा यह होता है कि आप किसानों को और प्रधानों को बाध्य कर रहे है कि वह बेईमानी से पैसा पैदा करें और उसका दुरुपयोग करें।

[श्री कमलासिंह यादव]

दूसरे कर जो लैण्ड के रूप से वसूल किया जायगा वह गांव फंड में या कनसालिडेटेड अकाउन्ट में जमा होगा और प्लान्ड योजना का काम जो आप गांव सभाओं से कराने जा रहे हैं उसके लिये उनको अधिकार आप देने जा रहे हैं कि वह बाध्य हों और उसे कार्यान्वित करें। जब तक गांव सभा अपने प्रस्ताव द्वारा उस प्लान्ड योजना पर विचार न करे और तय न कर दें तब तक गांव का जो कनसालिडेटेड फंड एकाउन्ट होगा उससे किस कानून के आधार पर वह रुपया ड्रा कर के खर्च करेंगे ? जहां तक फंड का सवाल है उस के बारे में भी मंत्री जी से कहा था और यहां भी देखा जा रहा है कि जो भी रुपया खर्च करने को दिया जाता है या सरकार जो भी खर्च करती है उसके लिये पहले सदन की सेंक्शन लेनी पड़ती है और मनी बिल के सम्बन्ध में तो गवर्नर तक की सिफारिश की जरूरत होती है तो अगर आप गांव सभाओं से कह रहे हैं कि वह मनचाहे ढंग से कर लगायें और कनसालिडेटेड फंड से रुपया लेकर खर्च करें तो उसके जिम्मेदार मंत्री जी होंगे अगर गड़बड़ी होती है। कैसे वह इतना बड़ा काम करेंगे, जब तक एकाउन्ट पर अंकुश न होगा, कोई काम सुचारु रूप से नहीं चलेगा।

अभी प्लान्ड योजना के बारे में उन्होंने कहा कि यह तो उन लोगों की बात है, आज कहने की है कि योजना उनके ऊपर है लेकिन कल वह वक्त आयेगा जब आप गांव सभाओं को अनुदान नहीं देंगे जब तक कि वह गांव के लोगों पर कर न लगायेंगे और उसका फल यह होगा कि गांव सभायें कर लगाने के लिये मजबूर होंगी। मैं आपको बताऊं कि गांव की हालत आज इतनी खराब है कि वहां न कोई रोजगार है, न उद्योग धन्धे हैं, न कोई जीवन निर्वाह करने के साधन हैं, वह लोग गांव छोड़कर शहर में आकर रिक्शे खींचते हैं और अगर वह बीमार पड़ते हैं तो उनको जानवरों के अस्पताल में जाना पड़ता है। वहां जीवनोपार्जन का, रोजगार का कोई सहारा नहीं है। अगर ऐसे लोगों पर कर लगाने की बात होगी तो गांव के लोगों के हित के बजाय अहित ही होगा। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी हमारी बात पर विचार करेंगे और उन गरीबों पर ऐसी कोई योजना लादने की कोशिश न करेंगे जिससे गांव वालों का और वहां के प्रधानों का अहित हो।

श्री राममूर्ति--

माननीय उपाध्यक्ष जी, डेढ़ घंटे के कम समय जो थोड़े से माननीय सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया उससे यह बात जाहिर है कि सब को यह विधेयक बहुत पसन्द आया और जो बातें इसमें रखी गई हैं वह सब पसन्द आई। और किसी न किसी शक्ल में सब ने इस बात को जाहिर भी किया कि अगर यह बिधेयक यहां ४-६-१० साल पहले आता तो और अच्छा होता लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। इस बात से भी मुझे खुशी हुई कि किसी न किसी शक्ल में सब लोगों ने जो प्राविधान इसमें किया गया है उसको पसन्द किया है। अब जो कोई बोलने खड़ा होता है तो उसको कुछ न कुछ तो बोलना ही चाहिये। अधिकतर लोगों की जो स्थानीय कठिनाइयां हैं, बाढ़ आदि के सिलसिले में उनका वे जिक्र करने लगते हैं। देखने की चीज यह है जब हम आये रोज जिक्र किया करते हैं कि पंचायती राज को अधिक लोकप्रिय बनाने का, इसको ज्यादातर लोगों के बीच में फैलाने के लिये तो कुछ न कुछ इसकी शक्ति को बढ़ाया जाय। एक तरफ तो हम यह कहते हैं दूसरी तरफ अगर हम इसकी शक्ति को बढ़ाते हैं तो यह कहा जाता है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। मैं यह जरूर कह देना चाहता हूं कि दोनों बातें साथ-साथ नहीं चल सकती हैं। जब आप कोई नये कदम उठायेंगे, जिसमें लोगों की शक्ति बढ़े तो उसमें तो यह भी हो सकता है कि दुरुपयोग भी हो जाय लेकिन इस डर से कि कहीं दुरुपयोग न हो जाय, हम कोई काम ही न करें, मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं। मुझे करीब-करीब १३-१४ साल इस सरकार में काम करते हो गये और सन् १९४६ से जब से मैं इस सदन का मेम्बर हुआ हूं मैं बराबर इस बात को देख रहा हूं कि हमने अरबों रुपये का काम किया है। यह बात भी तय है कि इतना काम करन के बाद यह निश्चित बात है कि इसमें कुछ हिस्सा जरूर बरबाद गया होगा, हमें जानकारी या ज्ञान न होने के कारण या अपने अन्दर कुछ करप्शन की भावनाओं के कारण। बहरहाल, हालत ऐसी थी

जिसकी वजह से हमारा कुछ रुपया भी बरबाद गया लेकिन साथ ही साथ हमारे काम बने। उनसे जो फायदा हुआ, उनसे जो आराम पहुंच रहे हैं, और उनके जरिये से जो तरक्की हुई है, वह भी किसी से छिपी नहीं है। तो अगर हम यह सोचें कि अगर काम करेंगे तो रुपया बरबाद होगा, मैं समझता हूं, यह दृष्टिकोण उचित नहीं है। हां, उसके सम्बन्ध में जो खराबियां होंगी, वे आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो जायेंगी। आत्म सम्मान की भावना आ जायेगी। इसी नीति को हम आज मानते हैं और इसी नीति को मानते हुये यह एक खयाल है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने उससे भी ज्यादा विश्लेषण कर दिया। मैं माननीय मैनेजर सिंह की बात से इत्तिफाक करता हूं कि हमारे यहां बहुत गांव सभाएं बन गयी हैं। ये ग्राम सभाएं इस समय ७३ हजार के करीब हैं। हमने २५० की आबादी वाले गांव में गांव सभाएं बना दी हैं। इस २५० संख्या में से मुश्किल से ५० आदमी होते हैं, ५० औरतें और १५० के लगभग बच्चे होते हैं। इतनी छोटी इकाई में किसी गांव सभा के लिये सम्पत्ति बनाना मुश्किल बात है। मैं यह सोच रहा हूं कि हमारी गांव सभाएं एक हजार के ऊपर आबादी वाले गांव में बनायी जायं। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज भी हो जायेंगी और गांव सभाएं भी अपनी-अपनी कैपिटल और संपत्ति, बाजार, हाट, छोटी मोटी सड़कें, पानी आदि का काम कर सकेंगी। जब हम अपने मुल्क में काम कर रहे हैं, तो हमें सोचना होगा कि अगर गांव में एक बांध बनाते हैं तो उसमें सरकार के खर्चे का मतलब यह है कि पब्लिक का खर्चा हुआ। यह एक अलग बात है। पब्लिक अपने तंग नजरिये के कारण यह न समझे कि सरकार की चीज हमारी चीज है और जो चीज बन रही है वह पब्लिक के हित के लिये बन रही है। तमाम गांव उठाये गये, बांध बनाये गये। एक, एक पर अगर, १०, १५, २० हजार रुपया खर्च हुआ और उनकी देख रेख के लिये ध्यान नहीं दिया गया तो नतीजा यह होगा कि १०, १५ साल के अन्दर वे बरबाद हो जायंगे और एक दिन आयेगा कि वह सारा काम खत्म हो जायगा। (व्यवधान) ९६ घंटे का लेबर जो है उसका सदुपयोग किया जाय और बन्धों की मरम्मत की जाय। इस तरह से चीज हमेशा के लिये बनी रहेगी, खराब होने की गुंजायश नहीं रहेगी। बहुत से ड्रेन्स बना रखे हैं। बड़े ड्रेन्स जो है सरकार ठीक कर देती है लेकिन छोटे ड्रेन्स हैं उनकी अगर सफाई नहीं होती है, वे पट जाती हैं लोग उन्हें जोत लेते हैं। लेकिन अगर गांव समाज उसे ठीक करता चला जाय तो उनका उपयोग होता रहेगा। इस मानी में यह काम करना जरूरी है।

मिसाल के तौर पर आपके गांव में चकबन्दी हो रही है। चक में आधा एकड़, १ एकड़ अथवा २ एकड़ के खेत हैं और खेत वाला समझता है कि कुआं बनाना ठीक नहीं है। लेकिन सब मिला कर २५, ३० एकड़ जमीन हो सकती है। गांव सभा के लोग ट्यूबवेल बना देते हैं और जो खर्चा आये यानी जो जितना पानी इस्तेमाल करे उससे उतना खर्चा ले लिया जाय तो उसमें उन सबका फायदा हो जाता है और उससे कोई फायदा नहीं उठाता है। उससे सबका काम बन जायगा। इसमें गांव सभा का हित है, जो लोग पानी लेंगे उनका हित है।

एक बात यह कर दी है कि पानी पीने की योजना के सम्बन्ध में ९० फीसदी रुपया सरकार देगी और १० फीसदी रुपया गांव सभा देगी और वह भी रुपये की शक्ल में नहीं। नल पहुंचा दिया, पत्थर, बजड़ी और सीमेंट पहुंचा दिया। अब बरसात के जमाने में वर्क्स खराब होते हैं, नल टूट जाते हैं और गांव सभा हर घर से रुपया ८ आना जैसा मुनासिब समझे हिस्सा ले ले और काम को अच्छा रखे ताकि सब लोगों को फायदा हो तो इसमें क्या बुराई है?

ऊदल जी ने जिक्र किया कि पेय जल योजना डेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा की बनाई। पूर्व में जाइये तो नये नलकूप मिलेंगे और टंकिया मिलेंगी। एक तरह से वे इंस्टीट्यूशन बन गये हैं और जहां पहले लोगों को पानी नहीं मिलता था, तन्दुरुस्ती गिर रही थी अब वहां ३०० फुट से पानी निकल रहा है, उसका अच्छा सदुपयोग हो रहा है, लोग पानी पी रहे हैं। यह बात ठीक है कि बहुत से स्थानों पर वाटर पोस्ट्स बनी हुई हैं लोग उनको टोंटियां खींच ले जाते हैं।

[श्री कमलासिंह यादव]

तो यह कोई अच्छी बात नहीं है । इससे गांव समाज की इज्जत नहीं बढ़ती है, न खींचने वाले की अपनी इज्जत बढ़ती है और जो स्वार्थी लोग हैं वे सोचते नहीं कि समाज को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं और दो चार आने में बेच लेते हैं । अगर वह टोंटी निकल गयी और गांव समाज ने अपनी तरफ से रुपये, दो रुपये की टोंटी लगा दी अथवा उसकी दुरुस्ती कर दी तो कोई बुरी बात नहीं है । सरकार इस पर कर नहीं लगाती है लेकिन कर लगने से अगर लोगों का हित हो सकता है तो मैं समझता हूं कि यह अच्छी बात है । इसमें कोई शोषण का सवाल नहीं है । इसमें स्वेच्छा से गांव समाज के लोग सोचें, देखें कि यह काम सद्भावना से हो रहा है अथवा नहीं ? जो लोगों के दिल में शंकायें उठ रही हैं वे निराधार हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए ।

श्री जे० पी० मिश्र जी ने कहा कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत काम नहीं हुआ । सरकार यह चाहती है कि क्रेश प्रोग्राम और रूरल मैन पावर के काम हर जिले में लिए जाएं और हर ब्लाक में लिए जायं । और हम कोशिश करते हैं । लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया की नीति बदलती रहती है । एक दफा कुछ कहते हैं और दूसरी दफा कुछ कहते हैं । हर स्कीम में उनसे हमें ५० प्रतिशत की मदद मिलती है इसलिए हम उनको नाराज नहीं करना चाहते हैं । हमारी इच्छा है कि क्रैश प्रोग्राम आगे बढ़े और जिस तेजी से इस ओर प्रगति हो रही है उससे मालूम होता है कि वह दिन जल्द आने वाला है जब कि हर जिले में यह क्रैश प्रोग्राम होगा और यही नहीं बल्कि हर ब्लाक में होगा । पटेल कमेटी इन चार जिलों के लिए ही सीमित नहीं है बल्कि इसलिए बैठी कि इसने पूर्वी प्रदेश का नक्शा सामने रक्खा और सेंपिल सर्वे जैसे होती है उसी तरह की बात हुई । काम पूर्वी जिलों में भी होगा और जो पश्चिमी जिले खराब हैं उनमें भी होगा । पश्चिम के मेरठ, बुलन्दशहर, सहारनपुर वगैरह बेहतरीन जिले थे , उनकी हालत यह रही है कि जहां २० इंच पानी बरसता था वहां ६० इंच बरसने लगा है और पूर्वी जिले गोरखपुर वगैरह में जहां ८० इंच पानी बरसता था वहां ४८ इंच बरसने लगा है । पश्चिमी जिलों की फसलें बरबाद होने लगी हैं और वहां वाटर लौगिंग की समस्या खड़ी हो गई है । सरकार का इधर ध्यान है कि ड्रेंम्स बनाई जायं ताकि वाटर लौगिंग खत्म हो । यह चीज नहीं है कि पूर्वी जिलों में ही काम होगा बल्कि हर जगह काम होगा । यह तो नमूने की चीज हो गई । कोई भेदभाव नहीं हो सकता है । वे जिले इसलिए लिए किये गये कि वहां की हालत बहुत खराब थी तो कुदरती बात है कि उधर प्रायोरिटी दी गई । अब उनकी हालत अच्छी हो रही है । सबका खयाल किया जायगा । मेरे कहने का मतलब यह है कि इस संशोधन विधेयक में कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है । यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों का हित हो और पंचायत राज्य में लोग स्वावलंबी बनें । वह अपने पैरों पर खड़े हों । कर लगाये जायं जहां जरूरत हो, महज तफरीह की बात नहीं है । अगर उनकी पैदावार बढ़ सकती है तो बढ़ायें । उसके लिए कर लगाना कोई बुरी चीज नहीं है । वह देख लें कि जहां जरूरत हो वहां लगाने चाहिए और जहां जरूरत न हो वहां न लगाने चाहिए ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी चाहता हूं कि मैंने प्रातःकाल निवेदन किया था कि इस संबंध में बता दिया जाय कि ९ तारीख को असेंम्बली होगी या नहीं ? उस समय कहा गया था कि शाम को बताया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बाद ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, मंत्री जी ने जो पूर्वी जिलों को आगे बढ़ाने की बात कही है वह बहुत अच्छा है लेकिन किसी की कास्ट पर यह चीज न हो ताकि दूसरे जिले नीचे न आ जायं ।

श्री लखपतराम शर्मा---

बुन्देलखण्ड में भी इसी तरह होना चाहिए ?

श्री राममूर्ति---

ठीक है । बुन्देलखंड के लिए तो यह बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि वहां सरकार ने बहुत काम किया है । अब समय बहुत थोड़ा है । माननीय कमलासिंह और रक्षपालसिंह जी ने जो प्रस्ताव किया है उसका मैं विरोध करता हूं ।

श्री मैनेजरसिंह---

श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा कि सिंचाई का कार्य पंचायतों को दिया जा रहा है । मैंने भी जक्र किया था कि प्रति व्यक्ति ४ रुपया ऋण देने की व्यवस्था सरकार ने की है; जो निर्माण कार्य होंगे उनके लिए यह नाकाफी है । मैं प्रार्थना करूंगा कि जमीन के हिसाब से रखें कि प्रति एकड़ इतने रुपये ऋण देंगे जिससे वे अपनी योजनाओं को चला सकें ।

श्री राममूर्ति---

श्रीमन्, ऐसा विचार है । साधन समिति बैठी है और उनकी संपत्ति बढ़ सके, इसके लिए ज्यादा ऋण देने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री लखपतराम शर्मा---

श्रीमन्, ९ तारीख को असेंबली होने के बारे में माननीय हुकुमसिंह जी ने कहा था कि शाम को वक्तव्य देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---

९ तारीख को असेम्बली नहीं होगी।

श्री जे० पी० मिश्र---

श्रीमन्, मैंने मंत्री जी को मीठे शब्दों में प्रोवोक किया था, लेकिन उन्होंने हरदोई के बारे में कोई जवाव नहीं दिया ?

श्री उपाध्यक्ष---

९ तारीख को असेम्बली नहीं होगी, छुट्टी रहेगी ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

फिर उसके बाद कब होगी ?

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६५, को एक प्रवर समिति को भेजा जाय जिसको विधेयक में परिवर्तन तथा परिवर्द्धन करने का अधिकार हो तथा समिति अपना प्रतिवेदन ६० दिन के अन्दर सदन के समक्ष प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६५, पर जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २–३

यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७, की धारा १५ का संशोधन।

२—यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७, (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १५ में खंड (टी) के अन्त में आए हुए पूर्ण विराम के स्थान पर सेमीकोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित नये खंड बढ़ा दिए जायें, अर्थात्—

"(यू) ऐसे वर्गों तथा प्रकारों की लघु सिंचाई प्रायोजनाओं का जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट की जायें, निर्माण, मरम्मत तथा अनुरक्षण, और सिंचाई के लिए उनमें से जल-संभरण का विनियमन ;

(वी) बाढ़ से रक्षा के लिए दीवालों, बांधों, उठे हुए चबूतरों तथा अन्य निर्माण-कार्यों का अनुरक्षण तथा उनकी मरम्मत।"

यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७, की धारा १७ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा १७ के खंड (इ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(इ) नियत प्राधिकारी की स्वीकृति से और जहां नार्दर्न इंडिया कैनाल एंड ड्रेनेज ऐक्ट, १८७३, के अधीन कोई नहर विद्यमान हो तो सिंचाई विभाग के ऐसे अधिकारी की स्वीकृति से भी, जिसे राज्य सरकार नियत करे, धारा १५ के खंड (यू) के अधीन आदेश द्वारा निर्दिष्ट लघु सिंचाई प्रायोजनाओं के अतिरिक्त लघु सिंचाई प्रायोजनायें आरंभ कर सकती है,"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ व ३ इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७, की धारा ३७ का संशोधन।

४—मूल अधिनिचम की धारा ३७ की उपधारा (१) में—

(क) खंड (एच) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(एच) जल शुल्क, जहां गांव सभा द्वारा घरेलू उपभोग के लिए जल संभारित किया जाता हो"; और

(ख) खंड (जे) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (के) बढ़ा दिया जाय :—

"(के) सिंचाई शुल्क, जहां गांव सभा द्वारा अपने द्वारा निर्मित या अनुरक्षित किसी लघु सिंचाई प्रायोजना से सिंचाई के लिए जल संभारित किया जाता हो।"

*श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (क) के खंड (एच) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाए :—

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

"(एच) जल शुल्क जहां गांव-सभा द्वारा घरेलू उपयोग के लिए जल सम्पूर्ति जलकल योजना द्वारा किया जाता हो।"

असल में, श्रीमन्, मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान अभी इसलिए दिलाया कि यह टैक्सेशन बहुत ही आवश्यक है। अभी केंद्रीय सरकार ने जो जलपूर्ति की योजना की है वह स्टेट हेल्थ बोर्ड के जरिए वहां जल सप्लाई योजना लागू हुई है और उसके २ अंग हैं, एक तो अरबन एरिया और दूसरा रूरल एरिया। तो जहां अरबन एरिया का सवाल है वहां पर तीन चौथाई हिस्सा हमारे प्रदेश की सरकार और केंद्रीय सरकार वहन करेगी तथा एक चौथाई हिस्सा वहां की स्थानीय ग्राम-सभा को देना पड़ेगा। अरबन एरिया में जो होता है वहां पर तो टैक्सेशन होता है, जिसके द्वारा वह उस स्कीम को लागू कर सकते हैं। लेकिन जहां तक रूरल एरिया का संबंध है वहां जलकल योजना के लिए टैक्सेशन करने का कोई भी प्राविधान नहीं है। तो जो आप नया संशोधन लाए हैं, उसमें यदि आप थोड़ा-सा संशोधन कर दें, जैसा कि मैंने दिया है, तो गांव-सभाओं को पूरा अधिकार हो जायगा कि वह भी यदि जल योजना अपने गांव में चलाना चाहें तो उसे चलाने के लिए वह टैक्सेसन अपने अधिकार क्षेत्र में कर सकेंगी। अन्यथा जो पावर दिया गया है वह काफी नहीं है।

दूसरी चीज यह है कि माननीय मंत्री जी ने जो जल टोंटी वाली बात कही, वह भी उस रूप में ठीक नहीं है। जो गांव के बड़े आदमी हैं वे देखते हैं कि १ टोंटी २ रुपये की मिलेगी, तो वह तो कोई भी कर सकता है। जलकल योजना जो है, उसमें जब तक टैक्सेशन नहीं होगा, गांव में यह योजना चलाई नहीं जा सकती है। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे ताकि केन्द्रीय सरकार द्वारा जो योजनायें चलाई जा रही ह वह सफल हो सकें तथा गांव-सभा को भी उसे चलाने में आसानी हो सके और सफलता मिल सके।

श्री राममूर्ति—

वैसे, जो संशोधन है, उसको मानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किन्तु पहाड़ का जो इलाका है, उसमें दिक्क़त यह है कि वहां पर लोग कुयें में या अन्य तरीके से अपना पानी स्टोरेज कर लेते हैं, जो उसे वे बड़े परिश्रम से करते हैं। तो वहां अगर यह टैक्स लगाया जाएगा, इस विधेयक में संशोधन करने के बाद, तो उनको भी १०–५ रुपये निरर्थक देने पड़ेंगे जो उचित नहीं है। इसलिये यह संशोधन मैं मान नहीं सकता। फिर भी मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि जिस समय इसमें रूल्स बनाये जाएंगे उस समय हम आपके विचार का ध्यान रक्खेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

कमालसिंह जी, आप इसे वापस लेते ह ?

श्री कमलासिंह यादव—

जी हां, लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड 'क' के खंड (के) की प्रथम पंक्ति में शब्द "सभा" और "अपने" के बीच का शब्द 'द्वारा' निकाल दिया जाय।

इसमें आप देखें कि दो बार "द्वारा" शब्द एक बार "गांव सभा" के बाद और दोबारा "अपने" के बाद। यह दोनों बड़ा भ्रम पैदा करते हैं अगर इनमें से पहले वाला निकाल दिया जाय तो यह वाक्य बिलकुल ठीक हो जायगा कि "सिंचाई शुल्क, जहां गांव सभा अपने द्वारा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

निर्मित या अनुरक्षित किसी लघु सिंचाई प्रायोजना से सिंचाई के लिये जल सम्भारित किया जाता हो।" इससे यह बिलकुल शुद्ध हो जायगा और इसको निकालने में कोई कानूनी दोष भी नहीं आयेगा।

श्री राममूर्ति--

यह एक टेकनिकल बात है। हमारे ला डिपार्टमेंट ने देख लिया है। "गांव सभा द्वारा जल सम्भारित किय जाता हो" और "अपने द्वारा निर्मित या अनुरक्षित किया जाता हो" इस तरह से पढ़ेंगे तो ठीक मालूम होगा। वैसे फिर भी ला डिपार्टमेंट इसको देख लेगा और जरूरत हुई तो ठीक कर देगा।

श्री कमलासिंह यादव--

अगर जल के पहले कामा होता तो ठीक होता। लेकिन कामा न होने से मतलब ठीक समझ में नहीं आ सकता। वैसे, आप बाद में ठीक करा दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राममूर्ति--

जी हां।

श्री कमलासिंह यादव--

तो मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*श्री कमलासिंह यादव--

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "खंड ४ के उपखंड 'क' के खंड 'के'" की द्वितीय पंक्ति में शब्द "प्रयोजना" और "से सिंचाई के लिये" के बीच निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"चाहे भले ही सरकार द्वारा निर्मित हो"

श्रीमन्, इस विधेयक में दिया हुआ है कि "सिंचाई शुल्क गांव सभा द्वारा अपने द्वारा निर्मित या अनुरक्षित किसी लघु सिंचाई प्रायोजना" उसमें जोड़ दिया जाय तो हो जायगा' "चाहे भले ही सरकार द्वारा निर्मित हो, से सिंचाई के लिये जल सम्भारित किया जाता हो" श्रीमन्, दो चीजें हैं। एक तो यह कि गांव सभायें अपने खेती के लिये पोखरे वगैरह सिंचाई के लिये साधन बनायेंगी लेकिन कभी-कभी यह भी होता है कि सरकार ने कोई सिंचाई योजना बना दी और खुद मेनटेन न करके वह गांव सभाओं को देना चाहती है कि वह मेनटेन करे तो इससे इसका प्राविधान इस उपखंड में हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन का समय ५ मिनट के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री राममूर्ति--

मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड 'क' के खंड 'के' की द्वितीय पंक्ति में शब्द "'प्रयोजना" और "से सिंचाई के लिये" के बीच निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

'चाहे भले ही सरकार द्वारा निर्मित हो"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७।

खंड १ प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रडेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६५

(जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है)

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ का और संशोधन करने के लिये विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश में पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९६५, कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राममूर्ति—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ हैं, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६५ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
७ अप्रैल, १९६५।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८१ पर]

उन अभ्यर्थियों की सूची जो कि सितम्बर अक्तूबर, १९६४ के परीक्षाफल के आधार पर लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा, आबकारी निरीक्षक के पद के लिए उचित पाए गए ।

उत्तीर्ण क्रम-संख्या	अभ्यर्थी का नाम	योग्यता	निवास स्थान
१	२	३	४
१	सर्वश्री पदमाकरप्रसाद गुप्ता ..	एम०ए०, एल-एल०बी०एड०	आजमगढ़
२	नरेन्द्र बीर पराशरी ..	एम०ए० ..	इलाहाबाद
३	उमेश प्रसाद मिश्र ..	बी०ए० ..	देवरिया
४	श्रीप्रकाश सिंह ..	एम०ए० ..	आजमगढ़
५	सैयद वकील अहमद ..	बी०ए० ..	जौनपुर
६	राज बहादुर तिवारी ..	एम०ए० ..	फैजाबाद
७	गिरीश कुमार श्रीवास्तव ..	एम०ए० ..	मिर्जापुर
८	प्रताप नारायण त्रिपाठी ..	बी०ए० ..	कानपुर
९	अजय सिंह ..	एम०ए०बी०एड० .	आजमगढ़

नोट—ऊपर की सूची में से केवल ५ अभ्यर्थियों को लेना है, जैसा कि पहले ही घोषित किया जा चुका था, परन्तु शर्त यह है कि वे सब मेडिकली ठीक हों, अनुसूचित जाति का कोई भी अभ्यर्थी कमीशन द्वारा योग्य नहीं पाया गया जो कि इस पद के लिये चुना जा सकता ।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८२पर]

सूची

सुमेरपुर

पूर्ण सामुदायिक केन्द्र

क्रम-संख्या — नाम ग्राम

राज्य स्वावलम्बन योजना के अनुदान द्वारा

१ चैनपुर मवैया
२ छाछीराई खेड़ा
३ जगतपुर
४ सेदूपुर
५ पाठन

स्थानीय निर्माण कार्य अनुदान (केन्द्रीय)

६ बिहार
७ बुबेपुर
८ साहिला

क्षेत्र समिति अनुदान द्वारा

९ कोटवर
१० सराय मनियार
११ मदेवरा
१२ नरायन दास खेड़ा
१३ मानभऊ

बीघापुर

(राज्य स्वावलम्बन योजना)

१ रायपुर
२ मसीरपुर
३ पएन्डा

स्थानीय निर्माण कार्य अनुदान (केन्द्रीय अनुदान)

४ खरक्षरा
५ गहरेन्दा
६ अलवरपुर
७ गोरी
८ निहाली खेड़ा

क्षेत्रीय समिति अनुदान

९ आंव
१० पाही हरदो
११ पाली
१२ मीरमऊ

अपूर्ण सामुदायिक केन्द्र

सुमेरपुर

क्षेत्र समिति के अनुदान से

१ क्लानी
२ मलेपुर
३ ताजकपुर
४ देवारा
५ सेरैंया (बल्वा)
६ गौरा
७ कुतुबपुर]

बीघापुर

स्थानीय निर्माण कार्य (केन्द्रीय अनुदान)

१ बीघापुर खुर्द
२ मंझिगवां

नत्थी 'ग'

[देखिए नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १७–१८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८४ पर]

ग्रामीण जन शक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले के स्वीकृत कार्य-क्रम तथा उन पर फरवरी, १९६५, तक का व्यय

क्रम-संख्या	चरण	ब्लाक तथा योजनाओं के नाम	स्वीकृत अनुमानित धनराशि (लाख रु० में)	फरवरी, १९६५, तक व्यय	विवरण
१	२	३	४	५	६
			रु०	रु०	
१	द्वितीय आजमतगढ़—				
		१—चंगईपुर ड्रेन ..	०–२५	०–२५	काम लगभग समाप्त पर है ।
		२—कच्ची गूलें ..	०–१०	०–०८	" " "
		३—आजमतगढ़ अमिलिया सड़क ..	२–००	१–०६	पूरी सड़क पर काम आरम्भ है ।
	अतिरिक्त द्वितीय ..	४—९ गांवों का ऊंचा करना ..	०–७२	..	अभी काम आरम्भ नहीं किया जा सका ।
		५—जौनपुर आजमतगढ़ सड़क ३–२० मी०	१–९५	..	इस सड़क को ग्राम जन शक्ति योजना से निकालने की कार्यवाही की जा रही है ।
		६—नहर की गूलें ४६ मील ..	०–४६	..	अभी काम आरम्भ नहीं किया जा सका है ।
		७—मुबारकपुर-जौनपुर सड़क ३–४ मी०	२–४५	..	एस्टीमेट पर स्वीकृति की कार्यवाही हो रही है ।
२	द्वितीय बिलारीगंज:—				
		१—ट्यूबवैल गूल ..	०–१४	०–११	काम लगभग समाप्ति पर है ।
		२—बिलारियागंज रावनापार सड़क २–४ मील ..	१–६७	०–९५	पूरी सड़क पर काम आरम्भ है ।

क्रम-संख्या	चरण	ब्लाक तथा योजनाओं के नाम	रु० स्वीकृत अनुमानित धनराशि (लाख रु० में)	रु० फरवरी, १९६५ तक व्यय	विवरण
१	२	३	४	५	६
	अतिरिक्त द्वितीय ..	१—गांव का ऊंचा करना ..	०—०८	..	अभी काम आरम्भ नहीं किया जा सका ।
		४—नहर की गूलें ६ मील ..	०—०६	..	,, ,, ,,
३	द्वितीय परदहा:				
		१—कच्ची गूलें ..	०—१७	०—१७	काम पूरा हो गया है ।
		२—रनबीरपुर ड्रेन ..	०—४०	०—३७	काम लगभग पूरा हो गया है ।
		३—बुधवन खाजा सड़क ..	२—००	०—९६	पूरी सड़क पर काम आरम्भ है ।
	अतिरिक्त द्वितीय ..	४—८ गांवों का ऊंचा करना लिंक ..	०—६४	..	अभी काम आरम्भ नहीं किया जा सका
		५—इतौरा मऊ कासिमाबाद (सड़क १ मील)	०—६०	..	एस्टीमेट बनाने की कार्यवाही हो रही है ।
		६—फूलपुर परदहा सड़क २ मील ..	१—४०	..	,, ,, ,,
		७—सुल्तानपुर-रानीपुर-मऊ सड़क ४ मील	२—४०	..	एस्टीमेट पर स्वीकृति की कार्यवाही हो रही है ।
		८—बुधवा-खाजन सड़क ३ मील ..	२—१०	..	एस्टीमेट बनाये जा रहे हैं ।
४	द्वितीय तहबरपुर:				
		१—धईताल ड्रेन ..	०—४१	०—८०	काम लगभग पूरा हो गया।
		२—कैप्टनगंज तहबरपुर सड़क ४ मील ..	२—५०	१५६	लगभग ३ मील सड़क बन चुकी है ।
	अतिरिक्त द्वितीय ..	३—२ गांवों का ऊंचा करना ..	०—१६	०—०७	काम आरम्भ हो गया है ।

अतिरिक्त विधान सभा

१	२	३	४	५	६
५	तृतीय दोहरीघाट				
		१—गांव का ऊंचा करना ..	०–५०	०–२०	लगभग आधा काम पूरा हो गया है
		२—ट्यूबवेल गूल ..	०–०५	०–०२	" " "
		३—दोहरीघाट सूरजपुर सड़क ६ मील ..	३–९५	१–३४	पूरी सड़क पर काम आरम्भ है।
	अतिरिक्त तृतीय ..	४—एम० जी० बन्द ..	०–५३	..	अभी काम आरम्भ नहीं किया जा सका है।
		५—नहर की गूलें ..	०–१४	..	" " "
		६—दोहरीघाट सूरजपुर सड़क १ मील	०–७०	..	काम आरम्भ होने वाला है।
६	तृतीय बदरांव:—				
		१—ट्यूबवेल गूल ..	०–०६	०–०६	काम समाप्ति पर है।
		२—अजमतगढ़ अमिला खास सड़क ७–४ मील	४–४४	२–०४	साढ़े तीन मील सड़क बन चुकी है।
	अतिरिक्त तृतीय ..	३—७ गांवों का ऊंचा करना ..	०–५६	..	अभी काम आरम्भ नहीं किया जा सका।
		४—नहर की गूलें १० मील ..	०–१०	..	" " "
७	तृतीय महराजगंज :—				
		१—ट्यूबवेल गूल ..	०–०६	०–०६	काम लगभग समाप्ति पर है।
		२—कैप्टेनगंज महराजगंज सड़क १ मील	१–६७	१–४२	लगभग ३–४ मील सड़क पर काम आरम्भ हो गया है।
		३—कैप्टनगंज तहबरपुर सड़क ३–४ मी०	२–४०		
		४—४ गांवों को ऊंचा करना ..	०–३२	..	अभी काम आरम्भ नहीं हो सका है।
८	तृतीय हरैया :—				
		१—बिलारीगंज रावनापार सड़क ४–४ मील	३–८२	२–६५	काम लगभग समाप्ति पर है।
	अतिरिक्त तृतीय ..	२—गांवों का ऊंचा करना ..	०–६८	०–९७	काम समाप्ति पर है।
		३—एम० जी० बन्द ..	०–९९	..	
		४—कच्ची गूलें ..	०–०५	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तगत तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८६ पर]

पी--४६३ ।

श्रीमान्,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी ने सन् १९५६ व १९५७ ई० में कमल सागर बीज भण्डार से बोस सेर गेहूं लिया था, उसकी कीमत १५.८९ न० पै० २०-२-६० को जमा कर दिया, जिसकी रसीद किताब नं० १८९ रसीद नं० ७३ प्रार्थी के पास मौजूद है। इसके बाद उसी समय से प्रार्थी से बारह मन गल्ला का दाम इस समय तक करीब ३७५ रु० मांगा जा रहा है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने कई बार प्रार्थना-पत्र इसकी जांच के लिए दिया, जिला अधिकारी आदि आए, परन्तु आज तक इसका कोई निर्णय नहीं हो पाया है। प्रार्थी का सम्बन्ध उससे बराबर है।

अतः श्रीमान् से नम्र प्रार्थना है कि शीघ्र से शीघ्र इसकी छान-बीन कर के प्रार्थी को उक्त रकम से मुक्त करने की कृपा करें।

प्रार्थी,
द० श्रीनारायण अहीर,
पुत्र पालाद अहीर,
ग्राम--जगदीशपुर,
पोस्ट--रामपुर करही,
आजमगढ़, ४-४-६४ ।

मा० सहकारिता मन्त्री जी,
प्रार्थना उचित है प्रार्थी के
साथ न्याय होना चाहिए ।

ह० बृज बिहारी लाल,
एम०एल०ए०,
४-४-६४

नत्थी 'ङ'

(देखिय तारांकित प्रश्न ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०० पर)

मथुरा जिले में सुपरवाइजर व इन्स्पेक्टर (ए० डी० ओ० कोआपरेटिव) जो पिछले ५ वर्ष से अधिक से मथुरा में ही मौजूद है की सूची

क्रमांक	नाम सुपरवाइजर/इंस्पेक्टर	जिले में कायरत रहने की अवधि	
		वर्ष	मास
१	सौवरन सिंह, सुपरवाइजर	८	५
२	रामनाथ वर्मा	८	१
३	मनीराम यादव, सुपरवाइजर	८	१
४	गौरीशंकर भारद्वाज, सुपरवाइजर	७	७
५	हेतसिंह, सुपरवाइजर	७	१
६	मदनलाल मौतम, सुपरवाइजर	७	९
७	कामेश्वर दयाल कौल, सुपरवाइजर	७	६
८	सुन्दर सिंह, सुपरवाइजर	७	१
९	ओमप्रकाश शर्मा, सुपरवाइजर	७	१
१०	नानक चन्द शर्मा, सुपरवाइजर	७	४
११	टी० पी० सिंह, ए० डी० ओ०	६	६
१२	सतेन्द्र पाल सिंह, सी० ओ०	५	०

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०२ पर)

क्रमांक	नाम	पता	विवरण
		तहसील फतेहपुर	
१	श्रीमती मागा, पत्नी छेदी	ग्राम बरौलियापो० किन्टूर।	स्वीकृत
२	श्रीमती छब्बा, पत्नी महाबीर	ग्राम बहनपुर पो० बहरामघाट	स्वीकृत
३	श्री राम जियावन, पुत्र ठाकुर	ग्राम इब्राहीमपुर पो० सेठमऊ	स्वीकृत
४	श्री सरजू प्रसाद, पुत्र गंगा राम	ग्राम गनेशपुर, पो० बहरामघाट	स्वीकृत
५	श्री मन्ना लाल उर्फ मुनक्का, पुत्र गया दीन।	ग्राम व पोस्ट सहादतगंज	—
६	श्रीमती राम दुलारी, पत्नी मुन्ना लाल उर्फ मुनक्का।	,, ,,	—
७	श्री मोहित हैदर, पुत्र भूरे खां	ग्राम व पो० बेलहरा	स्वीकृत
		तहसील हैदरगढ़	
८	श्री फकीर अहमद, पुत्र मोहम्मद यूसुफ	ग्राम गढ़ी करमे मऊ	—
९	श्री बैज नाथ सिंह, पुत्र गंगा बक्श सिंह।	ग्राम व पो० राम नगर	स्वीकृत
१०	श्री गुर प्रसाद, पुत्र कन्हई	ग्राम लाही	—
११	श्री सरजू पांडेय, पुत्र भगवान दीन	ग्राम दोह ० सेमरावां	—
१२	श्री बाबू खां, पुत्र सहजादी	ग्राम व ब० सिद्धूर	—
१३	श्रीमती घरन द्वारा मन्ने खां, पेन्शनर, कान्सटेबिल।	,, ,,	—
		तहसील नवाबगंज	
१४	श्रीमती तुलसा देवी, पत्नी शिवपाल	ग्राम लक्षमनसुर	स्वीकृत
१५	श्री मुहम्मद हुसैन, पुत्र कल्लू	ग्राम मितई परगना देवा पो० ख्याली	—
१६	श्री मजहर हुसैन, पुत्र हाफिज अली	,, ,,	—
१७	श्री नत्था, पुत्र जाफर अली	मकान नं० के/५९८, मोहल्ला कटरा	स्वीकृत
१८	श्रीमती शफीकुननिसां, पत्नी काजी फरीद उद्दीन।	द्वारा चौधरी, मोहल्ला गयास उद्दीन अशरफ पसार।	—
१९	श्री गुर सरन लाल, पुत्र तुलसीराम	म० नं० ३१४ मो० गुलरियागर्दा, शहर नवाबगंज।	स्वीकृत
२०	श्री चन्द्रिका प्रसाद, पुत्र सिंह नाथ	द्वारा गुरु प्रसाद पांडे, मो०, कटरा	स्वीकृत
२१	श्री महाबीर, पुत्र रामअधीन	ग्राम हमीरा, परगना प्रतापगंज	—
२२	श्री मु० इस्माइल, पुत्र निजाम अली	ग्राम अच्छा गांव, पो० जहांगीराबाद	स्वीकृत
२३	श्रीमती चन्द्र कामिनी देवी, पत्नी त्रिलोकी नाथ।	मकान नं० यस/९७ मो० सरावगी, नवाबगंज।	स्वीकृत

क्रमांक	नाम	पता	विवरण
२४	श्री श्रीराम, पुत्र राम अवतार	मकान ७८६/५६८, मो० कानून-गोयान ।	—
२५	श्रीमती गिल्ला, पत्नी सरूप	मकान नं० ४५७, मो० कटरा	स्वीकृत
२६	श्री बिन्दा प्रसाद, पुत्र कामता	सा० पीरबटावन]	—
२७	श्री जयन्ती दयाल, पुत्र राम दयाल	मकान न० १३३ मो० कटरा	—
२८	बाबा गंगा दास, पुत्र सावन दास	ग्राम दहेजया ज्योरी, मो० मसौली	—
२९	श्रीमती मेडाना, पत्नी लकड़े घिस	मो० उत्तर टोला, कस्बा बकी	—
३०	श्रीमती बिसमिल्ला, पत्नी छेदा	मो० उत्तर टोला, कस्बा बकी	—
३१	श्रीमती राम कली, पत्नी जगन्नाथ	मो० कटरा कस्बा जैतपुर	—
३२	श्रीमती अनजुमन खातून, पत्नी अमजद अली ।	मो० शेषे, कस्बा देवा	—
३३	श्रीमती बिशुन देयी, पत्नी छोटे लाल	म० नं० पी/१८४, मो० पीरबटावन	—
३४	श्री गनेशी, पुत्र माधव चरन	म० नं० आर/७२, मो० रसूलपुर	—
३५	श्रीमती राम बली, पत्नी भगवान दास	मो० रमन, नाका बहरामघाट, शहर नवाबगंज ।	—
३६	श्रीमती मुन्नी, पत्नी मुजफ्फर हुसैन	म० नं० ५४२, मो० पीरबटावन, शहर नवाबगंज ।	—
३७	श्री राम चरन, पुत्र सालिक राम	लखपेड़ा बाग कोरिन पुरवा	—
३८	श्रीमती राम सखी देवी, पत्नी प्रहलाद सिन्हा ।	द्वारा श्री जे० पी० श्रीवास्तव, टिकिट चेकर स्टेशन, बाराबंकी ।	—
३९	श्री रमजान अली, पुत्र बाबू अन्सारी	म० नं० २४६, मो० भितरी, शहर नवाबगंज ।	—
४०	श्री अब्दुल गफूर, पुत्र कादिर बख्श	सिविल लाइन, नवाबगंज	—
४१	श्री अब्दुल हमीद	मो० पीरबटावन	—

तहसील राम स्नेही घाट

४२	श्रीमती चन्द्रा ,पत्नी तेग अली	ग्राम खेरनपुर, पो० भेलसर	—
४३	श्रीमती इन्द्र कुंवर उर्फ जैरानी, पत्नी त्रिलोकी ।	ग्राम गाजीपुर, पो० हयाधा	—
४४	श्री भभूती, पुत्र सुकई	ग्राम तेलवारी, पो० टिकैत नगर	स्वीकृत
४५	श्री मु० समी, पुत्र खैरात अली	मो० मसदम जादान, कस्बा दरियाबाद	स्वीकृत
४६	श्रीमती राम दुलारी, पत्नी राम उदित	मो० कायस्थान, म० नं० २२६, रुदौली	स्वीकृत
४७	श्री अवतार उर्फ पहाड़ी, पुत्र महाबीर	ग्राम परेगोपाला मजरे काजीपुर, पोस्ट दरियाबाद ।	स्वीकृत
४८	श्री लक्ष्मी नारायण, पुत्र चन्दी प्रसाद	ग्राम व पोस्ट भेसर	स्वीकृत
४९	श्रीमती चुटुकन, पत्नी भोला	मो० भूरे खान, कस्बा रुदौली	स्वीकृत
५०	श्रीमती बुग्गन, पत्नी बरसाती	मो० ख्वाजा हाल	—

क्रमांक	नाम	पता	विवरण
५१	श्री राम नाथ, पुत्र अवसान	सा० ब्रह्मण पुरवा, मजरा मौहुबारा	—
५२	श्रीमती रूप रानी, पत्नी मन्नु लाल	ग्राम लखीमपुर, पो० करौदी	स्वीकृत
५३	श्रीमती हरदेयी ,पत्नी प्रभू दयाल	ग्राम रामपुर, पो० देवीगंज	स्वीकृत
५४	श्री भिकारी, पुत्र महाबीर	मो० सरावगी, कस्बा टिकैतनगर	स्वीकृत
५५	श्रीमती जैनब, पत्नी यूसुफ	ग्राम व पो० इचौली	स्वीकृत
५६	श्रीमती गंगा देई, पत्नी ठाकुर	मो० राय साहब, कस्बा टिकैतनगर	स्वीकृत
५७	श्रीमती भगवान देई, उर्फ भगवाना, पत्नी मतावन ।	ग्राम नेवली, पो० दरियाबाद	स्वीकृत
५८	श्रीमती सबीहन, पुत्री उम्मीदी	मो० शेखाना, कस्बा इचौली	स्वीकृत
५९	श्री छेदी लाल, पुत्र मिव चरन	ग्राम मथुरा नगर	स्वीकृत
६०	श्रीमती उम्दा उर्फ परहा, पत्नी रहमत	ग्राम सुलैमानपुर मजरे बुनौली	स्वीकृत
६१	श्री अब्दुल हफीज, पुत्र इनायत उल्ला	ग्राम अलियाबाद	—
६२	श्रीमती सतना, पत्नी दुर्गा	ग्राम भेलसर	—
६३	श्री माता प्रसाद, पुत्र संतू	मो० सातार, रुदौली	—
६४	श्रीमती रज्जा, पत्नी राम दास	ग्राम निस्कापुर, पो० मऊ	—
६५	श्रीमती चुभना, पत्नी सन्त गुलाम	,, ,,	—
६६	श्रीमती महाराना, पत्नी मेवालाल	ग्राम व पोस्ट टिकैतनगर	—
६७	श्रीमती अभतुलुनिमा, पत्नी हशमत खां	मो० मुगलान, दरियाबाद	—
६८	श्री श्याम लाल, पुत्र शंकर प्रसाद	कस्बा व पोस्ट टिकैतनगर	—
६९	श्रीमती सुशीला, पत्नी श्याम लाल	,, ,,	—

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न 'छ' का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०३ पर)

तालिका

क्रम-संख्या	मिल का नाम	राष्ट्रीय टैक्स-टाइल मजदूर यूनियन	सूती मिल मजदूर सभा	इंडस्ट्रियल इम्प्लाइज यूनियन	टैक्सटाइल लेबर एसोसियेशन	मिल क्लर्क यूनियन	लक्ष्मी-रतन काटन मिल्स वर्कस यूनियन
१	कानपुर टैक्सटाइल्स लि०	१,२२७	३५१	२	१५	१६	—
२	एलगिन मिल नं० १ ..	९९७	४०९	—	४९	२९	—
३.	एलगिन मिल नं० २	१,६६६	५१८	३	३६	—	—
४	जे० के० काटन स्पिनिंग ऐंड वीविंग मिल्स कं० लि०।	९११	४२७	८३	—	—	—
५	जे० के० काटन मैनुफैक्चरर्स लि० ..	१८४	५२३	१	३८	४४	—
६	म्योर मिल्स कं० लि०	१,५४१	८५८	४०	१४	—	—
७	न्यू विक्टोरिया मिल्स कं० लि० ..	१,२५६	५८०	२५	९	२५६	—
८	स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि० ..	१,६४३	—	९६	२१	४५	—
९	ग्रथर्टन वेस्ट काटन मिल कं० लि० ..	१,२५०	४७२	२	२	—	—
१०	लक्ष्मीरतन काटन मिल्स लि० ..	—	—	—	—	—	१,४१८